

खण्ड

3

शिक्षा का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य

इकाई 9

शिक्षा एवं समाज

175

इकाई 10

शिक्षा एवं समाजीकरण

193

इकाई 11

शिक्षा में मुद्दे एवं चिन्ताएं

207

इकाई 12

विद्यालय एवं समुदाय के मध्य अंतःक्रिया

226

खण्ड 3 शिक्षा का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य

खण्ड का परिचय

‘शिक्षा का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य’ पाठ्यक्रम – **BESC-131**, ‘शिक्षा : संप्रत्यय, प्रकृति एवं परिप्रेक्ष्य’ का तीसरा खण्ड है। प्रत्येक क्षेत्र के अपने संदर्भ तथा परिप्रेक्ष्य होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र के भी दार्शनिक, सामाजिक, ऐतिहासिक तथा राजनैतिक परिप्रेक्ष्य हैं। यह खण्ड विशेष रूप से शिक्षा के सामाजिक परिप्रेक्ष्य को संबोधित करता है जिसमें समाज को समझना, तथा शिक्षा पर इसकी अन्तर-निर्भरता, बच्चे के सामाजीकरण में शिक्षा के योगदान, विद्यालय तथा समुदाय के बीच के मिलन बिंदुओं तथा शिक्षा के विभिन्न मुद्दों को संबोधित करने के संदर्भ विशेष में चर्चा की गयी है।

इस खण्ड की पहली इकाई, (इकाई 09) ‘शिक्षा एवं समाज’, शिक्षा और समाज के अन्तर्संबंधों के बारे में एक समझ प्रदान करती है तथा यह शिक्षा के एक सामाजिक, मानवीय एवं सांस्कृतिक विकास की प्रक्रिया के रूप में होने पर चर्चा करती है। आगे, यह इकाई, सामाजिक बदलाव एवं गतिशीलता के संदर्भ में शिक्षा की अवधारणा और भूमिका को विस्तारपूर्वक प्रस्तुत करती है क्योंकि समाज की प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील तथा गत्यात्मक है। शिक्षा के समाज की एक उप-प्रणाली होने के कारण, यह इकाई विद्यालय की व्याख्या एक सामाजिक संगठन के रूप में करती है।

इस खण्ड की दूसरी इकाई, (इकाई 10) ‘शिक्षा और समाजीकरण’, बच्चे के समाजीकरण में शिक्षा की भूमिका पर चर्चा करती है क्योंकि शिक्षा सामाजीकरण की एक प्रक्रिया मानी जाती है। इसके आगे, यह इकाई बच्चे के समाजीकरण में शिक्षा के विभिन्न अभिकरणों जैसे कि परिवार, विद्यालय, समुदाय, मीडिया तथा समवय समूह के योगदान का विश्लेषण करती है।

इस खण्ड की तीसरी इकाई, (इकाई 11) ‘शिक्षा में मुद्दे एवं चिंताएँ’, शैक्षिक मुद्दों, जैसे कि शिक्षा में पहुँच, नामांकन, ठहराव, गुणवत्ता, समानता तथा समता की व्याख्या करता है तथा उनमें दखल देने की युक्तियों को विस्तारित करता है, जिससे कि इन शैक्षिक मुद्दों के संदर्भ में अपेक्षित परिणामों को प्राप्त किया जा सके। यह इकाई विविध समूहों, जैसे कि समाज के कमजोर तबकों तथा वंचित समूहों, की आवश्यकताओं तथा विभिन्न स्तरों पर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों तथा योजनाओं को लागू करने संबंधी युक्तियों को भी चिह्नित करती है।

इस खण्ड की चौथी इकाई, (इकाई 12) ‘विद्यालय तथा समुदाय के मध्य अंतःक्रिया’ विद्यालय तथा समुदाय के बीच के अन्तर्संबंधों तथा बच्चों के मानसिक विकास में उनकी भूमिका की व्याख्या करता है। विद्यालय तथा समुदाय के बीच का मिलन बिंदु ठीक वैसा ही है जैसे कि एक ही सिक्के के दो पहलू। एक का विकास दूसरे पर निर्भर करता है। विद्यालय कभी भी समुदाय की प्रतिभागिता एवं समर्थन के बिना अच्छा नहीं कर सकता और वहीं दूसरी ओर, समुदाय का विकास शिक्षा की पहल और विद्यालय पर निर्भर करता है। आगे यह इकाई शिक्षा का अधिकार कानून, 2009 के प्रावधानों का विश्लेषण, विद्यालय के विकास के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) के गठन के संदर्भ विशेष में करती है।

इकाई 9 शिक्षा एवं समाज

संरचना

- 9.1 परिचय
- 9.2 उद्देश्य
- 9.3 समाज के उपतंत्र के रूप में शिक्षा
 - 9.3.1 उपतंत्र के रूप में शिक्षा
 - 9.3.2 उपतंत्र के रूप में शिक्षा की विशेषताएँ
- 9.4 विकास की प्रक्रिया के रूप में शिक्षा
 - 9.4.1 सामाजिक विकास की प्रक्रिया के रूप में शिक्षा
 - 9.4.2 मानव विकास की प्रक्रिया के रूप में शिक्षा
 - 9.4.3 सांस्कृतिक विकास की प्रक्रिया के रूप में शिक्षा
- 9.5 सामाजिक परिवर्तन तथा इसकी अवधारणा
 - 9.5.1 सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा
 - 9.5.2 सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति
 - 9.5.3 सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक
 - 9.5.4 शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन
 - 9.5.5 सामाजिक परिवर्तन में शिक्षक की भूमिका
- 9.6 शिक्षा और सामाजिक गतिशीलता
 - 9.6.1 सामाजिक गतिशीलता की परिभाषा
 - 9.6.2 सामाजिक गतिशीलता के प्रकार
 - 9.6.3 सामाजिक गतिशीलता के आयाम
 - 9.6.4 सामाजिक गतिशीलता में शिक्षा की भूमिका
 - 9.6.5 सामाजिक गतिशीलता का गुण
- 9.7 परसंस्कृति—ग्रहण और सहसंस्कृतिकरण
- 9.8 विद्यालय एक सामाजिक संगठन के रूप में
- 9.9 सारांश
- 9.10 संदर्भ और प्रस्तावित अध्ययन सामग्री
- 9.11 अपनी प्रगति के लिए उत्तर की जांच करें

9.1 परिचय

शिक्षा और समाज में अन्योनाश्रित संबंध है। दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। आपने इस पाठ्यक्रम की पिछली इकाइयों में समुदाय और स्कूल एक दूसरे पर कैसे निर्भर हैं, का अध्ययन किया है। किसी भी समुदाय की बेहतरी उसके शैक्षिक मानकों पर निर्भर होती है। अतः स्कूल को सुचारू रूप से चलाने के लिए समाज और समुदाय को शिक्षा की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से योगदान देना चाहिए। शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 में भी इसे स्वीकार किया गया है। हर स्कूल में स्कूल प्रबंधन समिति का गठन करके

स्कूल और समुदाय को एक साथ लाने का महत्वपूर्ण प्रयास किया गया है। अतः शिक्षा और समाज एक—दूसरे के साथ अनिवार्य रूप से जुड़े हुए हैं, इसीलिए शिक्षा को समाज का उपतंत्र भी कहा जाता है।

यह इकाई आपको समाज के उपतंत्र के रूप में शिक्षा और मानव तथा सामाजिक विकास की प्रक्रिया के रूप में शिक्षा के बारे में समझायेगी। यह मानवीय, सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक पहलुओं के संदर्भ में समाज के विकास के साथ शिक्षा के अंतर—संबंधों को भी स्पष्ट करती है। यह इकाई आपको सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक गतिशीलता लाने में शिक्षा की भूमिका से भी परिचित कराएगी। इस इकाई में सामाजिक संगठन के रूप में स्कूल की अवधारणा पर भी चर्चा की गई है। इस प्रकार यह इकाई दक्षता और परिश्रम के साथ शिक्षकों को उनकी सामाजिक भूमिका का मार्गदर्शन करने के लिए एक आधार प्रदान करती है।

9.2 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप :

- शिक्षा की अवधारणा और शिक्षा को समाज के एक उपतंत्र के रूप में व्याख्या कर सकेंगे।
- सामाजिक, मानवीय और सांस्कृतिक विकास की प्रक्रिया के रूप में शिक्षा पर चर्चा कर सकेंगे।
- सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न कारकों को समझ सकेंगे।
- सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक गतिशीलता में शिक्षा की भूमिका की व्याख्या कर सकेंगे।
- संस्कृति—ग्रहण और संस्कृतिकरण की अवधारणा में अंतर कर सकेंगे।
- एक सामाजिक संगठन के रूप में स्कूल की व्याख्या कर सकेंगे।

9.3 समाज के उपतंत्र के रूप में शिक्षा

शिक्षा को 'सामाजिक व्यवस्था' में उसकी प्रक्रिया और आंतरिक रूप से जुड़ी एक तार्किक इकाई के रूप में विश्लेषित किया जाता है। शिक्षा को समाज के अन्य पहलुओं से अलग भी किया जाता है। समाज के विभिन्न वर्गों के सदस्यों को सामाजिक व्यवस्था से अलग नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे सामाजिक व्यवस्था में शिक्षा के प्रतीकों और झुकावों को से जुड़े होते हैं। बच्चे उनसे कुछ संस्कृति सीखते हैं। वे अपने परिवार और आस—पड़ोस से बात, व्यवहार और जीवन—शैली को सीखते हैं। बच्चे स्कूल में प्रवेश के तुरंत बाद पोशाक की शैली के बारे में नहीं जान जाते हैं। वे अक्सर संयमित तो रहते हैं, लेकिन उस गहराई से जुड़े रहते हैं। सामाजिक पृष्ठभूमि और साथी के साथ संबंध समान रूप से महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह एक बच्चे को रिश्ते के एक निश्चित पैटर्न में प्रवेश करने, या स्कूल और सामाजिक पृष्ठभूमि के बारे में कुछ प्रतिक्रियाएं देने के लिए अभ्यास करवाता है।

9.3.1 उपतंत्र के रूप में शिक्षा

शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्थिर जीवन की प्राप्ति में मदद करती है। शैक्षिक व्यवस्था सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के माध्यम से जटिल होती जाती है। इस संबंध में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो समाज के सदस्यों को समाज

के लगातार बदलते पहलुओं के अनुकूल बनाने में मदद करती है। शिक्षा को एक विशिष्ट संगठन और अद्वितीय पैटर्न के साथ एक अलग सामाजिक प्रणाली के रूप में देखा जा सकता है। शिक्षा सामाजिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण उपतंत्र है। इसमें एक अच्छी तरह से परिभाषित संरचना और भूमिकाओं के सेट होते हैं और यह अन्य सामाजिक प्रणालियों को भी प्रभावित करते हैं। कलार्क के अनुसार, "शैक्षिक प्रणाली का समाज पर एक निश्चित प्रभाव होता है। किसी भी समाज की अर्थव्यवस्था, राजनीतिक संगठन, सामाजिक स्तरीकरण, संस्कृति, रिश्तेदारी और सामाजिक एकीकरण शिक्षा के साथ निकट रूप से जुड़ी हुई है।"

इस प्रकार, शिक्षा ज्ञान के हस्तांतरण और प्रगति के साथ—साथ व्यक्तियों के समाजीकरण के लिए एक एजेंट का कार्य करती है। शिक्षा समाज की एक उपतंत्र के रूप में है और यह अन्य सामाजिक प्रणाली में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए जवाबदेह है।

शैक्षिक प्रणाली कई अलग—अलग उपतंत्र या भागों से मिलकर बनी है, जिसमें प्रत्येक के अपने—अपने लक्ष्य होते हैं। ये उपतंत्र पूरे तंत्र को कार्यशील रखते हैं। प्रत्येक उपतंत्र प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तंत्र को कार्यशील रखने के लिए एक दूसरे पर निर्भर है। विलार्ड वालर शिक्षा को सामाजिक व्यवस्था के अंग के रूप में मानने के पाँच कारण बताते हैं :

- विभिन्न कर्मी शैक्षिक प्रणाली में कार्य कर रहे हैं, जो शैक्षिक लक्ष्यों की दिशा में योगदान करते हैं।
- शिक्षा की एक अपनी सामाजिक संरचना होती है, जो विद्यालय के भीतर सामाजिक अंतःक्रिया से बनती है।
- यह यह एक मजबूत सामाजिक संबंधों से जुड़ी होती है।
- यह अपनेपन की भावना से जुड़ी होती है।
- इसके पास अपनी संस्कृति, परंपरा और चीजों को करने का तरीका है।
- शिक्षा लोक संगठनों को स्थानांतरित करने में मदद करती है, सामाजिक संगठन में संस्थानों के पैटर्न।
- शिक्षा लोकमार्गों को प्रसारित करने में मदद करती है। शिक्षा सामाजिक संगठन के अंतर्गत संस्थानों के पैटर्न को लोकमार्गों के रूप प्रसारित करने में मदद करती है।

(स्रोत: डीडीसीई, उत्कल विश्वविद्यालय, (http://ddceutkal-ac-in/Syllabus/MA_Education/Paper&2-pdf)

9.3.2 उपतंत्र के रूप में शिक्षा की विशेषताएं

समाज के उपतंत्र के रूप में शिक्षा की विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

- शिक्षा सामाजिक व्यक्तिवाद के निर्माण की दिशा में एक शक्तिशाली और मजबूत एजेंसी है।
- शैक्षिक प्रणाली समाज की विभिन्न संस्थानों की गतिशीलता और संचालन के परिणामस्वरूप उभर कर आती है।
- शैक्षिक प्रणाली अपने अनुभवों के माध्यम से शिक्षा के ज्ञानानुशासन को मजबूत करती है और विभिन्न मुद्दों और समस्याओं के समाधान की नई दिशा भी प्रदान करती है।
- विद्यालय और कॉलेज जैसे शैक्षिक संस्थान मनुष्य की जरूरतों को पूरा करने के अवसर प्रदान करते हैं ताकि वे मूल्यों, मानदंडों आदि के रूप में अपनी संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषताओं को हस्तांतरित कर सकें।

- यह समाज को वांछित दिशा में ले जाने में भी मदद करती है।
- यह सामाजिक मानदंड के साथ—साथ समाज के जिम्मेदार और प्रभावी सदस्य बनाने के लिए एक व्यक्ति में मूल्य, ज्ञान और समझ को विकसित करती है।
- यह मानव समूहों की संरचना और कार्यप्रणाली की अंतःक्रिया का अध्ययन भी करती है और यह बच्चों को इन अंतःक्रिया के मापदंडों को समझने में मदद भी करती है।

अपनी प्रगति जाँचें 9.1

टिप्पणी : क) नीचे दिए गए खाली स्थान पर उत्तर लिखिए :

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से अपने उत्तर की तुलना कीजिए।

1. शिक्षा को सामाजिक व्यवस्था का रूप क्यों माना जाता है? किन्हीं दो कारणों को लिखिए?

.....
.....
.....

2. समाज के उपतंत्र के रूप में शिक्षा की दो विशेषताएँ बताइये।

.....
.....
.....

9.4 विकास की प्रक्रिया के रूप में शिक्षा

किसी व्यक्ति का जन्मजात व्यवहार एक जानवर की तरह ही माना जाता है। उसके व्यवहार को बदलने और ढालने के लिए ही शिक्षा का उपयोग किया जाता है। मनुष्य अपने अनुभव को शिक्षा की मदद से हासिल करता है और उन्हें अगली पीढ़ी को हस्तांतरित कर देता है। इस ज्ञान के आधार पर अगली पीढ़ी आगे बढ़ती है और अपने स्वयं के अनुभवों और विचारों को संवर्धित करती है। इस प्रकार सामाजिक सभ्यता और संस्कृति का विकास होता है। यह शिक्षा के बिना संभव नहीं है। इससे स्पष्ट है कि शिक्षा विकास की एक प्रक्रिया है। शिक्षा व्यक्ति की विभिन्न आदतों और सोच के विकास में निरंतर परिवर्तन का वाहक बनती है और व्यक्ति के जीवन को सुखद बनाने के लिए विभिन्न सहायता और साधन भी उपलब्ध करवाती है। इस प्रकार के परिवर्तन का दूसरा नाम ही विकास है। उपरोक्त तर्कों से स्पष्ट होता है कि शिक्षा वह मुख्य एजेंसी है जो लोगों के विकास की प्रक्रियाओं को सुगम बनाती है।

जॉन डीवी के अनुसार “शिक्षा अनुभवों के निरंतर पुनर्निर्माण के माध्यम से जीने की प्रक्रिया है। यह व्यक्ति में उन सभी क्षमताओं का विकास करती है जिससे व्यक्ति अपने परिवेश पर नियंत्रण कर सके और उसके अनुरूप अपने भीतर काबिलियत को विकसित कर सके।” (सक्सेना और दत्त, 2009)

टी. रेमंट के शब्दों में “शिक्षा विकास की वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मनुष्य के शैशवावस्था से परिपक्वता तक का मार्ग शामिल है, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य अपने को भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण में धीरे—धीरे विभिन्न विभिन्न तरीकों से खुद को ढाल लेता है।” (सक्सेना और दत्त, 2009)

9.4.1 सामाजिक विकास की प्रक्रिया के रूप में शिक्षा

शिक्षा एवं समाज

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आज जब हम शिक्षा के संदर्भ में सामाजिक विकास की बात करते हैं, तो इसमें बच्चों को भाषा, रहन—सहन, रीति—रिवाज और समाज के आचरण का प्रशिक्षण देने जैसी सभी चीजों को शामिल किया जाता है। शिक्षा मनुष्य को समाज में समायोजित करने में सक्षम बनाती है और उन्हें समाज की अच्छाइयों और बुराइयों के प्रति संवेदनशील भी बनाती है। इसके साथ—साथ उनमें अच्छाइयों का विकास करके सामाजिक बुराइयों को मिटाने के लिए उनमें नेतृत्व के गुणों का विकास भी करती है। सामाजिक परिवर्तन के लिए समाज के भीतर और अंतर—संबंधों को विकसित करने में प्रेम, सहानुभूति और सहयोग का बहुत अधिक महत्व होता है। इसलिए बच्चों में इन गुणों का विकास आवश्यक होता है और इनके विकास से ही सामाजिक विकास होता है। इसके विकास के लिए हम स्कूलों में समूहिक रूप से कार्य करने की विधियों का उपयोग करते हैं। बच्चे स्कूल में समाज की भाषा और आचार—व्यवहार को सीखते हैं और समाज के साथ तालमेल बिठाते हैं। वे प्रेम, सहानुभूति और सहयोग के साथ विभिन्न कार्यों को निष्पादित करते हैं। वे अपने विशिष्ट समूहों का नेतृत्व करते हैं और यह सच्चे अर्थों में उनके सामाजिक विकास के बारे में बताता है।

9.4.2 मानव विकास की प्रक्रिया के रूप में शिक्षा

ऐसा माना जाता है कि मनुष्य पशुओं की प्रवृत्ति के साथ पैदा होता है। यह शिक्षा ही है जो मानव प्रजाति को एक सामाजिक जीव बनाती है। मूल्यों, सामाजिक मानदंडों, सामाजिक रूप से वांछनीय प्रथाओं, जीवन की घनिष्ठता, सहयोग आदि वे परिवार के सदस्यों के साथ—साथ समाज से सीखते हैं। बच्चे के जीवन के शुरुआती दिनों के दौरान उनके पालन—पोषण और उनमें अच्छी आदतें विकसित करने में परिवार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चा जैसे—जैसे बड़ा होता जाता है, तो वह समुदाय और समाज के संपर्क में आता है और सामाजिक जीवन के बारे में नया अनुभव प्राप्त करता है और इससे उसे महसूस होने लगता है कि वह भी समाज का एक हिस्सा है। हालांकि सहयोग और सामाजिक जीवन की भावना परिवार से शुरू होती है लेकिन जब वह समाज और समुदाय के सदस्यों के संपर्क में आता है तो वह अपने को और करीब महसूस करने लगता है। जीवन के प्रारंभिक वर्षों की यह प्रक्रिया स्कूली शिक्षा का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसे विभिन्न रूपों में शिक्षा का हिस्सा माना जा सकता है। समय के साथ बच्चा स्कूल में प्रवेश करता है और उसकी औपचारिक शिक्षा शुरू होती है। वह अपने साथियों से संवाद के माध्यम से भाषा सीखता है, निर्धारित विषयों के ज्ञान को भी सीखता है, और समाज में बेहतर समायोजन के लिए अपने भीतर कई जीवन कौशल को भी विकसित करता है। शिक्षा भी बच्चे को समाज का एक कुशल नागरिक बनने और सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए प्रेरित करती है। यह व्यक्ति को एक पेशेवर जैसे एक कारीगर, शिल्पकार, संगीतकार, चित्रकार, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, वकील, नौकरशाह, व्यावसायिक व्यक्ति, स्व—नियोजित व्यक्ति इत्यादि के रूप में विकसित करता है। इसलिए शिक्षा एक ऐसा उपकरण है जिसके उपयोग से सभी प्रकार के सामाजिक और मानवीय विकास संभव हैं।

9.4.3 सांस्कृतिक विकास की प्रक्रिया के रूप में शिक्षा

किसी समाज की संस्कृति भी उस समाज के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा और संस्कृति की जड़ें एक दूसरे से गहरे रूप से जुड़ी हुई हैं। शिक्षा एक बच्चे को सांस्कृतिक विरासत को समझने और उसका अभ्यास करने में मदद करती है। यह संस्कृति के संरक्षण, विकास और हस्तांतरण में समान रूप से मदद करती है। जब हम एक बच्चे को शिक्षित करते हैं, तो हम अपनी सांस्कृतिक विरासत के कई उदाहरण देते हैं य जैसे वह

एक नृत्य रूप, कला रूप, भाषा—अभ्यास, शिल्प संस्कृति, रीति—रिवाज, वेशभूषा और भोजन आदि हो सकता है। यह अनुसरण करने और सीखने के पर्याप्त अवसर प्रदान करती है। बच्चा समाज की सांस्कृतिक परंपराओं से कई चीजें सीखता है। शिक्षा सांस्कृतिक परंपराओं को एक व्यवस्थित तरीके से संरक्षित करने में मदद करती है जैसे मौखिक परंपराओं को व्यवस्थित रूप से रिकॉर्ड किया जा सकता है और आसानी से अन्य स्थानों और समाजों में हस्तांतरित करने के लिए एक लिखित और ऑडियो—वीडियो रूप में संरक्षित किया जा सकता है। सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन से सांस्कृतिक हस्तांतरण भी संभव हो सकता है। उपरोक्त सांस्कृतिक विकास के लिए हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शिक्षा का उपयोग एक उपकरण के रूप में करते हैं। इसलिए शिक्षा को सांस्कृतिक विकास की एक प्रक्रिया भी कहा जा सकता है।

अपनी प्रगति जाँचें 9.2

नोट : क) नीचे दिए गए खाली स्थान पर उत्तर लिखिए :

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से अपने उत्तर की तुलना कीजिए।

3. किस प्रकार शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है? संक्षेप में उत्तर दीजिए।

.....
.....
.....

4. सांस्कृतिक विकास में शिक्षा की भूमिका बताइए।

.....
.....
.....

9.5 सामाजिक परिवर्तन तथा इसकी अवधारणा

संसार की प्रकृति गतिशील है। इसलिए परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम और जीवन का भी यही नियम है। जब भी कोई परिवर्तन होता है तो जीवन में भी परिवर्तन होता है। इस प्रकार प्राकृतिक जीवन और परिवर्तन के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। सामाजिक परिवर्तन शब्द का प्रयोग मानव संबंधों और अंतर्संबंधों में होने वाले परिवर्तन को इंगित करने के लिए किया जाता है। सामाजिक परिवर्तन की घटना में हस्तक्षेप करने वाले चरों में से एक चर शिक्षा है। शुद्धर्खीमश शिक्षा को छुवा पीढ़ी के समाजीकरण के एक महत्वपूर्ण घटक रूप में स्वीकार करते हैं।

जेम्स वाल्टन के अनुसार, "मानव समाज के वयस्क सदस्य जीवन के अपने आदर्शों के साथ भावी पीढ़ी के विकास को आकार देने के प्रयास शिक्षा में ही निहित है।" जैसा कि सैमुअल कोएनिंग ने बताया कि "शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी समूह की सामाजिक विरासत को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित किया जाता है।"

किसी भी परिस्थिति में कोई भी फेरबदल, संशोधन या अंतर को परिवर्तन कहा जाता है। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक सम्बन्धों की व्यवस्था में बदलाव होने से है। सामाजिक संबंध को सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक अंतःक्रिया और सामाजिक संगठनों के संदर्भ में समझा जा सकता है। यह समाज की संरचना और कार्यों में बदलाव करता है।

9.5.1 सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा

शिक्षा एवं समाज

सामाजिक परिवर्तन का वास्तव में क्या अर्थ है इसका उत्तर परिवर्तन के वैज्ञानिक अध्ययन के अंतर्गत शायद सबसे कठिन है। सामाजिक परिवर्तन को क्या माना जाये? परिवर्तन किस प्रकार का और कितनी मात्रा में होता है इसका ठीक तरह से अनुमान नहीं लगाया गया है। विभिन्न देश और काल के समाजशास्त्रियों ने 'सामाजिक परिवर्तन' शब्द को अलग—अलग तरह से परिभाषित किया है।

जोन्स के अनुसार "सामाजिक परिवर्तन शब्द का प्रयोग सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक पैटर्न, सामाजिक अंतःक्रिया या सामाजिक संगठन के किसी भी पहलू में बदलाव या संशोधन के लिए किया जाता है।"

मॉरिस गिन्सबर्ग कहते हैं कि "सामाजिक परवर्तन को मैं सामाजिक संरचना में परिवर्तन को समझता हूँ। उदाहरण के लिए समाज का आकार, उसका संयोजन या उसके भागों का संतुलन या उसके संगठन का प्रकार।"

गिलिन और गिलिन के अनुसार "सामाजिक परिवर्तन जीवन के स्वीकृत तरीकों में रूपान्तरण है यभौगोलिक परिस्थितियों में, सांस्कृतिक उपकरणों में, जनसंख्या या विचारधाराओं के संयोजन में बदलाव समूह के विस्तार या आविष्कार द्वारा होता है।"

किंग्सले डेविस का मानना है कि "सामाजिक परिवर्तन से अभिप्राय केवल ऐसे फेरबदल से है जो सामाजिक संगठन में होते हैं, अर्थात् समाज की संरचना और कार्य।"

मैकलेवर और पेज के अनुसार "सामाजिक परिवर्तन कई प्रकार के परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी एक प्रक्रिया को संदर्भित करता है य मनुष्य की जीवन की दशा में परिवर्तन के लिए, मनुष्य के दृष्टिकोण और विश्वासों में परिवर्तन के लिए और उन परिवर्तनों के लिए जो मनुष्य के नियंत्रण से परे जैविक और भौतिक चीजों की प्रकृति तक जाते हैं।"

उपरोक्त परिभाषाओं से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन उन संशोधनों को संदर्भित करता है जो लोगों के जीवन के पैटर्न में होती है। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ है कि सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक पैटर्न, सामाजिक अंतःक्रिया या सामाजिक संगठन के किसी भी पहलू की विविधता। यह समाज के संस्थागत और मानक ढांचे में एक परिवर्तन है। सामाजिक परिवर्तन सामाजिक वृद्धि, सामाजिक विकास, सामाजिक उद्विकास, सामाजिक प्रगति, सामाजिक क्रांति, सामाजिक सुधार आदि को दर्शाता है। इसलिए हम इसे इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, "सामाजिक परिवर्तन किसी भी बदलाव की प्रक्रिया है, जो मौजूदा सामाजिक संरचना, सामाजिक व्यवहार और सांस्कृतिक मूल्यों का वर्णन करता है या नहीं लेकिन नए आविष्कारों और खोजों के बाद, वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान के विस्फोट के परिणामस्वरूप होता है।"

9.5.2 सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति

सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति इस प्रकार समझा जा सकता है

- **सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक है:** सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है और यह सभी समाजों में होता है। कोई भी समाज सामाजिक परिवर्तन से बच नहीं सकता है। परिवर्तन की गति और क्षेत्र एक समाज से दूसरे समाज में भिन्न हो सकती है।
- **सामाजिक परिवर्तन सतत होता है:** यह सच है कि सामाजिक परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है। समाज में लगातार परिवर्तन होता रहता है जिसे रोका नहीं जा

सकता है। हर पल हमारे समाज में कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। यह कभी भी स्थैतिक घटना के रूप में नहीं होता है, बल्कि यह हमेशा गतिशील, परिवर्तनशील और लोचदार के रूप में रहता है। समाज के पुराने नियम नई अवधारणाओं और अभ्यासों के साथ विकसित होते रहते हैं।

- **सामाजिक परिवर्तन एक आवश्यक कानून के रूप में होता है:** परिवर्तन प्रकृति का नियम है। सामाजिक परिवर्तन भी स्वाभाविक है। परिवर्तन प्रकृति का एक अपरिहार्य और अपरिवर्तनीय नियम है। स्वभावतः हम परिवर्तन की इच्छा रखते हैं। हमारी जरूरतें बदलती रहने वाली इच्छा को पूरा करने के लिए बदलती रहती हैं और इन जरूरतों को पूरा करने के लिए सामाजिक परिवर्तन एक जरूरत बन जाता है।
- **सामाजिक परिवर्तन काल(समय) से संबंधित है:** सामाजिक परिवर्तन अस्थायी है। सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति और गति काल(समय) से संबंधित और प्रभावित होती है क्योंकि समाज केवल काल(समय) के अनुक्रम के रूप में मौजूद है। हम इसका अर्थ पूरी तरह से केवल काल(समय) के कारकों के माध्यम से समझते हैं।
- **सामाजिक परिवर्तन की भविष्यवाणी करना बहुत कठिन है:** सामाजिक परिवर्तन के सटीक रूपों पर कोई भी भविष्यवाणी करना असंभव है। आधुनिकीकरण, औद्योगीकरण और शहरीकरण ने हमारे परिवार, समाज और विवाह प्रणाली में अंतरसंबंधित परिवर्तनों की एक श्रृंखला को लाया है। लेकिन हम उन सटीक रूपों की भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं जो भविष्य में सामाजिक संबंध ग्रहण करेंगे। इसी तरह भविष्य में हमारे विचार, दृष्टिकोण और मूल्य क्या होंगे इसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं।
- **सामाजिक परिवर्तन एक समान नहीं होता है:** सामाजिक परिवर्तन की गति एक समान नहीं होती है। अधिकांश समाजों में सामाजिक परिवर्तन धीरे-धीरे होता है जबकि कुछ अन्य समाजों में तेजी से होता है। हम ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में तेजी से होने वाले सामाजिक परिवर्तन को देख सकते हैं, लेकिन जैसा कि इस खंड में पहले चर्चा की जा चुकी है कि सामाजिक परिवर्तन एक सतत, गतिशील और व्यावहारिक प्रक्रिया है।

9.5.3 सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक

सामाजिक परिवर्तन एक जटिल और बहुआयामी अवधारणा है। सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने वाले अंतर्जात (समाज के आंतरिक) और बहिर्जात (समाज के बाह्य) दोनों कारक हैं। सामाजिक परिवर्तन में योगदान करने वाले और उसको प्रभावित करने वाले मुख्य कारक निम्नलिखित हैं-

- **मनोवैज्ञानिक कारक:** सामाजिक परिवर्तन में मनोवैज्ञानिक कारक एक महत्वपूर्ण कारक है। मनुष्य जन्मजात ही परिवर्तन से प्रेम करता है। मनुष्य हमेशा अपने जीवन के हर क्षेत्र में नई चीजों का पता लगाने की कोशिश करता रहता है और नए अनुभवों के लिए हमेशा उत्सुक रहता है। इस तरह की प्रकृति और आदतों के परिणामस्वरूप प्रत्येक मानवीय समाज की अधिकतर परंपराएं, रीति-रिवाज कुछ निश्चित परिवर्तनों से गुजरती हैं।
- **मूल्य और विश्वास:** सामाजिक परिवर्तन में मूल्यों की भूमिका को स्पष्ट रूप से मैक्स वेबर ने अपनी पुस्तक (2003) 'प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म' में हमारे सामने रखा है। वेबर ने स्थापित किया कि कुछ ऐतिहासिक परिस्थितियों

में सिद्धांत या विचार स्वतंत्र रूप से सामाजिक परिवर्तन की दिशा को प्रभावित कर सकते हैं। उन्होंने यह स्पष्ट रूप से दर्शाया कि कि आधुनिक पूँजीवाद का उदय मुख्यतः धार्मिक मूल्यों में निहित था जैसा कि एशियाई प्रोटेरेंटवाद में निहित है। समाज के विश्वास और मूल्य समाज में विभिन्न तरीकों से परिवर्तन को प्रभावित करते हैं और कई बार यह सामाजिक परिवर्तन को धीमा भी कर देते हैं।

- **वैचारिक कारक:** समाज में विचारों और वैचारिक कारकों के कारण सामाजिक परिवर्तन होता है। राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक विचारधारा सामाजिक संरचना और संबंधों में परिवर्तन ला सकती है। सामाजिक परिवर्तन बौद्ध, ईसाई, इस्लाम, हिंदू, जैन, सिक्ख धर्म और अन्य संप्रदायों के सिद्धांतों से भी प्रभावित होता है।
- **संस्कृति:** संस्कृति न केवल हमारे सामाजिक संबंधों को प्रभावित करती है बल्कि तकनीकी परिवर्तनों की दिशा और विशेषता को भी प्रभावित करती है। हर समाज अपनी संस्कृति का अभ्यास करता है। किसी व्यक्ति या समूह के रीति-रिवाज और परंपरा, मान्यता और मूल्य, मानदंड और मानक सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करता है। चूंकि परिवर्तन रातोंरात नहीं होता है, इसलिए हमेशा अभ्यास किये जाने वाले सांस्कृतिक मानदंड और मानक परिवर्तन को प्रभावित करता है।
- **युद्ध:** युद्ध भी सामाजिक परिवर्तन का एक कारण है क्योंकि यह जनसंख्या, आर्थिक स्थिति, लिंगानुपात और जीवन स्तर आदि को प्रभावित करता है। इतिहास में कई युद्धों के परिणामस्वरूप समाज में परिवर्तन आया है।
- **नये विचार और मत:** सामाजिक परिवर्तन का एक अन्य कारक नए विचारों और मतों की उपस्थिति है। समाज सुधारकों, समाजशास्त्रियों, शिक्षाविदों, राजनेताओं, प्रौद्योगिकीविदों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अन्वेषक, आदि के योगदान ने दुनिया भर में अलग-अलग समय में सामाजिक परिवर्तन लाने में खुद को एक सहायक के रूप में साबित किया है।
- **उच्च हैसियत और प्रतिष्ठा वाले व्यक्तियों द्वारा स्वीकृति:** किसी भी परिवर्तन को समाज में आसानी से स्वीकार कर लिया जाएगा यदि समाज में ऊँची हैसियत और प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार करेंगे।
- **जनांकिकीय कारक:** जनसंख्या सामाजिक परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जनसंख्या में वृद्धि या कमी के कारण भी सामाजिक परिवर्तन की संभावना प्रभावित होती है। इन कारकों के कारण किसी भी देश के समाज में संरचनात्मक परिवर्तन तीव्र गति से होता है। जनसंख्या में किसी भी परिवर्तन का आर्थिक रूप, संरक्षण और असोसियेशन (संघ) पर तत्काल प्रभाव पड़ता है। एक समाज में पुरुष और महिला का अनुपात विवाह, परिवार और एक समाज में महिलाओं की स्थिति को प्रभावित करता है।
- **शिक्षा:** इसमें कोई संदेह नहीं है कि उपरोक्त सभी सामाजिक परिवर्तन के मुख्य घटक हैं। लेकिन सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा हमेशा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समाजशास्त्रियों का कहना है कि समाज में होने वाले सभी परिवर्तन शिक्षा द्वारा किए जाते हैं यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कला और संगीत, मूल्य और नैतिकता, भाषा और साहित्य आदि के विकास के संदर्भ में हो सकता है। यह स्पष्ट है कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारक है। अगले हिस्से में हम शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन के विवरणों के बारे में चर्चा करेंगे।

9.5.4 शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन

हम शिक्षा के बिना सामाजिक परिवर्तन की कल्पना नहीं कर सकते हैं और इसी तरह शिक्षा भी समाज के बिना संभव नहीं है। इसप्रकार पारस्परिक रूप सेशिक्षा और सामाजिक परिवर्तन के मध्य बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। वे एक ही सिक्के के दो पहलू माने जाते हैं जिन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का एक शक्तिशाली उपकरण है। शिक्षा के माध्यम से है कि समाज में वांछनीय परिवर्तन लाया सकता है और समाज खुद को आधुनिक बना सकता है। शिक्षा समाज में अवसरों और अनुभवों को प्रदान करके समाज को बदल सकती है। इसके माध्यम से व्यक्ति बदलते समाज में उभरती जरूरतों के साथ समायोजन के लिए स्वयं को तैयार कर सकता है। एक स्वस्थ सामाजिक प्रगति को जीवन के हर पहलूजैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक में सावधानीपूर्वक नियोजन की आवश्यकता होती है। समाज की और व्यक्तियों की जरूरतों और आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा की योजना बनाई जानी चाहिए।

9.5.5 सामाजिक परिवर्तन में शिक्षक की भूमिका

शिक्षक किसी भी औपचारिक शैक्षिक प्रणाली में केंद्रीय व्यक्ति होता है। सामाजिक बदलाव लाने में एक शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक को सामाजिक परिवर्तन का एक प्रभावी एजेंट माना जाता है। यह हमारे समाज में देखा गया है कि अलग—अलग समय में शिक्षक खुद को समाज के सुधारक रूप में खुद को साबित करते हैं और वे खुद को समाज में रचनात्मक बदलाव लाने लगाते हैं। शिक्षक के बिना कोई भी सामाजिक परिवर्तन एक कल्पना मात्र है। एक शिक्षक को समाज की आवश्यकता और सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति और दिशा के बारे में अच्छी तरह जानकारी रखनी चाहिए। वर्तमान लोकतांत्रिक समाज उम्मीद करता है कि शिक्षकों को वास्तव में सामाजिक परिवर्तन के एजेंट के रूप में कार्य करना चाहिए।

आइए देखते हैं भारतीय समाज में बदलाव लाने में शिक्षक की क्या भूमिका होती हैरु

- शिक्षक को सामाजिक परिवर्तन का एजेंट माना जाता है क्योंकि शिक्षक पूरे राष्ट्र को शिक्षित करता है। शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का एक उपकरण है। इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षक सामाजिक परिवर्तन को लाने में स्वयं को संलग्न किये रहता है।
- शिक्षक हर प्रकार के परिवर्तन और आधुनिकता के लिए एक रोल मॉडल के रूप में कार्य करता है। शिक्षक के द्वारा ही समाज में कई रचनात्मक परिवर्तन होते हैं।
- शिक्षक को एक विशेषज्ञ और अच्छे विचारों का व्यक्ति माना जाता है जिसे विचारों क्रियान्वयन में भी विशेषज्ञता हासिल होती है। यह स्पष्ट है कि परिवर्तन नए विचारों के माध्यम से आते हैं और यह शिक्षकों द्वारा शिक्षा के ढांचे में शुरू होता है।
- हर समय और काल में जो बदलाव होते हैं वह शिक्षकों की सक्रिय भागीदारी के कारण होते हैं। इसलिए शिक्षक को समाज का पथ प्रदर्शक माना जाता है।
- शिक्षक समाज का एक शक्तिशाली अंग होता है जो सभी सामाजिक बुराइयों, कुरीतियों, रुद्धिवाद के प्रति लोगों को जागरूक करता है। शिक्षक कई सामाजिक बाधाओं में सक्रिय रूप से योगदान करता है।
- शिक्षक समाज को प्रशिक्षण देता करता है और समाज में व्यक्तियों की बेहतरी के लिए उचित तरीके से समाज को निर्देशित भी करता है।
- शिक्षक समाज और उसके सदस्यों को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाता है।

अपनी प्रगति जाँचें 9.3

नोट : क) नीचे दिए गए खाली स्थान पर उत्तर लिखिए :

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से अपने उत्तर की तुलना कीजिए।

5. सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित कीजिए।

.....
.....
.....

6. सामाजिक परिवर्तन में शिक्षक की भूमिका को लिखिए।

.....
.....
.....

9.6 शिक्षा और सामाजिक गतिशीलता

सामाजिक गतिशीलता सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक प्रगति का सूचक है। यह सामाजिक संरचना में एक व्यक्ति या एक समूह का संचलन है। इसका अर्थ सामाजिक हैसियत में रूपांतरकारी परिवर्तन से है। एक व्यक्ति या एक समूह अपने कार्यों और प्रयासों के अनुसार अपनी सामाजिक हैसियत को ऊपर या नीचे कर सकता है। इसएक सामाजिक स्थिति से दूसरे सामाजिक हैसियत में परिवर्तन को एक सामाजिक संचलन के रूप में समझा जा सकता है। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि किसी व्यक्ति या समूह या जनसंख्या में वस्तुगत परिवर्तन या भौतिक संचलन प्रवासन है न कि सामाजिक गतिशीलता। सामाजिक गतिशीलता निम्न वर्ग से उच्च वर्ग या इसके विपरीत उच्च वर्ग से निम्न वर्ग में पदोन्नति या अवनति है। सामाजिक गतिशीलता हमारे सामाजिक जीवन में एक सामान्य विशेषता है। जब समाज की संरचना में कुछ परिवर्तन होता हैतो सामाजिक संबंधों का स्वरूप भी बदल जाता है। इसे हम सकते कहते हैं कि समाज में संगठित रूप से और सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

9.6.1 सामाजिक गतिशीलता की परिभाषा

पी.ए. सोरोकिन के अनुसार "किसी व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान पर या सामाजिक समूह का एक स्तर से दूसरे स्तर पर गतिमान होना ही सामाजिक गतिशीलता है।"

विलियम सेसिल हेड्रिक के शब्दों में "एक सामाजिक समूह से दूसरे सामाजिक समूह में व्यक्तियों का संचलन ही सामाजिक गतिशीलता है।"

वालेस और वालेस सामाजिक गतिशीलता को इस प्रकार से परिभाषित करते हैं "एक व्यक्ति की एक सामाजिक स्थिति से दूसरे सामाजिक स्थिति में गति करना ही सामाजिक गतिशीलता है।"

आधुनिक समाज में हम सामाजिक गतिशीलता को इस रूप में परिभाषित कर सकते हैं। एक व्यक्ति के पेशे, व्यवसाय, नेतृत्व या जिम्मेदारियों में उसके प्रयासों या किसी अन्य मापदंड के कारण मौजूदा सामाजिक स्थिति से किसी अन्य सामाजिक स्थिति में परिवर्तन ही सामाजिक गतिशीलता है।

9.6.2 सामाजिक गतिशीलता के प्रकार

सोरोकिन ने समाज में व्यक्तियों के संचलन की दिशा के अनुसार सामाजिक गतिशीलता को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया है।

क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता : किसी व्यक्ति या सामाजिक समूह के एक सामाजिक समूह से दूसरे सामाजिक समूह में समान स्तर पर गति ही क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता है। क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता में व्यक्ति की स्थिति बदल सकती है लेकिन उसकी हैसियत वही रहती है। दूसरे शब्दों में उसका वेतन, ग्रेड, प्रतिष्ठा और अन्य विशेषाधिकार वही रहता है। यदि कोई व्यक्ति जो किसी संगठन में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है और वह एक ही ग्रेड पर उसी संगठन में फोरमैन बन जाता है तो इसे क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता कहा जाएगा।

ऊर्ध्वाधर सामाजिक गतिशीलता : जब कोई व्यक्ति एक सामाजिक हैसियत से दूसरे सामाजिक हैसियत पर गति करता तो इसे ऊर्ध्वाधर सामाजिक गतिशीलता के रूप में जाना जाता है। यदि कोई व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करता है और समृद्ध हो जाता है तो इसे ऊर्ध्वाधर सामाजिक गतिशीलता के रूप में जाना जाता है। सोरोकिन के शब्दों में ऊर्ध्वाधर सामाजिक गतिशीलता से हमारा आशय एक व्यक्ति या एक सामाजिक समूह का एक सामाजिक निकाय से दूसरे सामाजिक निकाय में परिवर्तन से है।” उन्होंने दो प्रकार की ऊर्ध्वाधर सामाजिक गतिशीलता की चर्चा किया है जो कि निम्नलिखित हैं-

आरोही गतिशीलता : आरोही गतिशीलता में एक व्यक्ति ऊपर की ओर गति करता है। यदि कोई व्यक्ति धनवान हो जाता है, तो इसे हम उस व्यक्ति में सामाजिक गतिशीलता के रूप में देखते हैं। वह निम्न स्थिति से उच्च स्थिति में चला जाता है। एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को एक पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षक के रूप में पदोन्नत करना और एक कलर्क को एक अधिकारी के रूप में पदोन्नत करना आरोही गतिशीलता का उदाहरण है।

अवरोही गतिशीलता : अवरोही गतिशीलता में एक व्यक्ति उच्च स्थिति से निम्न स्थिति में चला जाता है। यदि कोई व्यक्ति वर्षों से धनी रहने के बाद गरीब हो जाता है, तो उसे अवरोही गतिशीलता जाना जाता है।

गतिविधि 1

सामाजिक गतिशीलता के अनुभाग में की गई चर्चा के अनुसार निम्नलिखित पर अपने स्वयं के कुछ उदाहरण दीजिएः

1. क्षैतिज गतिशीलता

.....
.....
.....
.....

2. ऊर्ध्वाधर गतिशीलता

.....
.....
.....

3. आरोही गतिशीलता

4. अवरोही गतिशीलता

9.6.3 सामाजिक गतिशीलता के आयाम

लिपसेट और जिटरबर्ग (1959) के अनुसार सामाजिक गतिशीलता के निम्नलिखित आयाम हैं:

- व्यावसायिक श्रेणीरूपव्यवसाय सामाजिक गतिशीलता का एक सामान्य आधार है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि व्यावसायी जिनके समान सामाजिक और आर्थिक आधार होते हैं उन्हें व्यावसायिक वर्ग कहा जाता है। यह अनुभव किया जा सकता है कि प्रत्येक व्यावसायिक वर्ग की अपनी विशिष्ट सामाजिक प्रतिष्ठा और हैसियत है। केवल यही नहीं बल्कि विभिन्न व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के आदर्शों, मूल्यों, भावनाओं और आदतों में बहुत अंतर होता है।
- सामाजिक वर्गरूप किसी व्यक्ति के लिए एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में स्थानांतरण आसान हैलेकिन किसी व्यक्ति को एक सामाजिक वर्ग से दूसरे सामाजिक वर्ग में स्थानांतरित करना तुलनात्मक रूप से बहुत मुश्किल है। इस संबंध में यह नोट किया जा सकता कि समाज के विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के लोगों का जु़ड़ाव निम्न सामाजिक हैसियत वाले व्यक्ति के साथ नहीं होता है।
- उपभोग श्रेणीरूपकिसी की आर्थिक स्थिति को उपभोग के अनुसार पता लगाया जा सकता है जबकि आय के अनुसार व्यावसायिक स्थिति को श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। चूंकि उपभोग का सीधा संबंध जीवन—शैली और जीवन—स्तर से होता है, इसलिए समान जीवन शैली और जीवन की आदतों वाले लोगों को समाज के समान उपभोक्ता समूह के रूप में देखा जाता है। यह आमतौर पर देखा गया है कि एक ही व्यवसाय के व्यक्तियों के जीवन में सामाजिक जीवनयापन के भिन्न तरीके होते हैं। सामाजिक स्थिति या सामाजिक प्रतिष्ठा न केवल आय से, बल्कि उपभोग और जीवन स्तर से भी निर्धारित होती है।
- सत्ता या शक्ति श्रेणीरूप समाज के संदर्भ में व्यक्तियों के संबंध की भूमिका का निर्धारण उनके सत्ता या शक्ति की श्रेणी से होता है। इस प्रकार समान शक्ति प्रभाव के व्यक्ति एक शक्ति समूह बनाते हैं। ये शक्ति समूह स्वतंत्र होते हैं। यहां तक कि एक अल्प श्रमिक नेता अधिक से अधिक राजनीतिक शक्ति और प्रभाव प्राप्त कर सकता है।

9.6.4 सामाजिक गतिशीलता में शिक्षा की भूमिका

सामाजिक गतिशीलता को बढ़ाने में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक शिक्षित व्यक्ति को पूरे समाज में पहचान, हैसियत और प्रतिष्ठा मिलती है। शिक्षा, उच्च स्थिति, हैसियत या प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति में योग्यता और क्षमता विकसित करने का प्रयास करती है और प्रभावी सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा भी देती है। शिक्षा का उद्देश्य हैंकि व्यक्ति के भीतर ऐसी प्रेरणा का विकास करे जिससे वह अपनी सामाजिक स्थिति में संवृद्धि के लिए कड़ी मेहनत करे। एक दृढ़ और प्रेरित व्यक्ति अपने बेहतर भविष्य के लिए अपने आराम और खुशी का त्याग करने को तैयार रहता है। एक गरीब छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर सकता है ताकि सामाजिक गतिशीलता मिल सके।

9.6.5 सामाजिक गतिशीलता के गुण

सामाजिक गतिशीलता के निम्नलिखित गुण हैं:

- यह व्यक्ति को पूर्ण और संपूर्ण विकास प्राप्त करने में मदद करती है।
- यह व्यक्ति के जीवन स्तर और आयको बढ़ाती है।
- यह व्यक्ति की सामाजिक श्रेणी और प्रतिष्ठा को बढ़ाती है।
- यह सामाजिक और आर्थिक विकास की ओर ले जाती है।
- यह देश के सामने आये खतरे में राष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा देती है।
- यह सामाजिक दक्षता और सामाजिक प्रगति को विकसित करती है।
- यह योग्य व्यक्ति को उच्च स्थान प्राप्त करने में मदद करती है।
- यह व्यक्ति को समाज में उच्च सामाजिक स्थिति और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करती है।

अपनी प्रगति जाँचें 9.4

टिप्पणी : क) नीचे दिए गए खाली स्थान पर उत्तर लिखिए :

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से अपने उत्तर की तुलना कीजिए।

7. सामाजिक गतिशीलता की अवधारण की व्याख्या कीजिए।

.....
.....
.....
.....
.....

8. सामाजिक गतिशीलता में उपभोग श्रेणी से आप क्या समझते हैं?

.....
.....
.....
.....

9.7 परसंस्कृति—ग्रहण और सहसंस्कृतिकरण

परसंस्कृति—ग्रहण और सहसंस्कृतिकरण शब्द का प्रयोग समाजशास्त्र और सामाजिक नृविज्ञान में प्रयुक्त किया जाता है। इसके द्वारा लोगों की सांस्कृतिक विशेषता के समावेश की विभिन्न प्रक्रियाओं की व्याख्या किया जाता है। दोनों प्रक्रियाएं समाज में व्यक्तियों के समाजीकरण की व्याख्या करने में मदद करती हैं। समाज में रहने वाले व्यक्ति को सहसंस्कृतिकरण संस्कृति के सामाजिक मूल्य जिससे वह चारों ओर से घिरे रहते हैं को अंतर्ग्रहित और विसर्जित करने में मदद करती है। एक और शब्द है परसंस्कृति—ग्रहण, जो कभी—कभी इस प्रक्रिया के लिए प्रयोग किया जाता है और कई लोगों को भ्रमित भी करता है।

परसंस्कृति—ग्रहण का अर्थ:

परसंस्कृति—ग्रहण को व्यक्ति की दूसरी समाजीकरण प्रक्रिया के रूप में पहचाना जा सकता है। ऐसा तब होता है जब दो या दो से अधिक संस्कृतियां आपस में मिलती हैं और सांस्कृतिक आदान—प्रदान की संभावना होती है। जब दो संस्कृतियां आपस में मिलती हैं, तो विश्वासों, रीति—रिवाजों, परंपराओं, वेश—भूषा की शैली, भोजन के प्रकार आदि में आदान—प्रदान हो सकता है। यह परिवर्तन दोनों संस्कृतियों में दिखाई दे सकता है और उसे प्रभावित कर सकता है। उपनिवेशवाद के समय वर्चस्वशाली संस्कृतियों ने प्रभावशाली संस्कृति की सांस्कृतिक विशेषताओं को अपनाया। वहां, परसंस्कृति—ग्रहण कई सांस्कृतिक पहलुओं में दिखाई दे रहा था। इसके अलावा, सामूहिक परसंस्कृति—ग्रहण तब हो सकता है जब एक पूरा समूह परंपराओं, रीति—रिवाजों को अपनाता है और सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन करता है। व्यक्तिगत परसंस्कृति—ग्रहणमें एक बड़ा मनोवैज्ञानिक परिवर्तन भी शामिल रहता है। वह दैनिक गतिविधियों, कपड़ों के पैटर्न, मान्यताओं और कई अन्य चीजों को बदल देता है। शरणार्थियों और अप्रवासियों को भी एक नई जगह पर समायोजित करने के लिए परसंस्कृति—ग्रहणकी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। परसंस्कृति—ग्रहणएक आवश्यक और सार्वभौमिक घटना है।

सहसंस्कृतिकरण

जब कोई व्यक्ति दुनिया में पैदा होता है तो उसे सीखने की आवश्यकता है कि उसके आसपास के समाज में लोग कैसे जीवनयापन करते हैं और कैसे जीवित रहते हैं। सामाजिक मूल्यों और मानदंडों के सीखने की इस प्रक्रिया को समाजीकरण के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार सहसंस्कृतिकरण, समाजीकरण दोनों शब्दों के समान अर्थ होते हैं। संस्कृति में सामाजिक मूल्य, मानदंड, कला, विश्वास, रीति—रिवाज, परंपराएं, भोजन पैटर्न, कपड़ों की शैली और कई और चीजें शामिल होती हैं जिन्हें उस विशेष समाज में जीवनयापन और जीवित रहने के लिए आवश्यक माना जाता है। एक व्यक्ति को इन पैटर्नों और मूल्यों को दूसरों द्वारा सीखना चाहिए अन्यथासमाज के अन्य लोगों के द्वारा उसे पथब्रष्ट के रूप में स्वीकार किया जायेगा। रिश्तेदार, अभिभावक, सहकर्मी, सहकर्मी और अन्य सामाजिक सदस्य आवश्यक सामाजिक कौशल को सीखने में मदद करते हैं। अपने पूरे जीवनकाल में व्यक्ति कई सांस्कृतिक विशेषताओं को सीखता है और उसका पालन करने की कोशिश करता है। इस तरह सहसंस्कृतिकरण व्यक्ति को उस विशेष संस्कृति की स्थिति, भूमिकाएँ, अपेक्षाएँ और व्यवहार को सिखाता है जिसमें वह रहता है।

सहसंस्कृतिकरण और परसंस्कृति—ग्रहण में अंतर

- सहसंस्कृतिकरण और परसंस्कृति—ग्रहण दोनों एक समाज में होने वाले समाजीकरण की प्रक्रिया हैं।

- सहसंस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति को उस संस्कृति के सामाजिक मूल्यों, मानदंडों, रीति-रिवाजों आदि को सीखने और उसका अनुपालन करने में मदद करती है, जबकि परसंस्कृति-ग्रहण परिवर्तन की दोहरी प्रक्रिया है जो तब होती है जब दो संस्कृतियां आपस में मिलती हैं।
- परसंस्कृति-ग्रहण में दोनों संस्कृतियों में बदलाव महसूस किये जाते हैं, हालांकि यह ज्यादातर अल्पसंख्यक संस्कृति में होता है जिसमें भाषा, कपड़े, रीति-रिवाजों और अभ्यास आपस में बदल जाते हैं।
- सहसंस्कृतिकरण एक व्यक्ति को उस संस्कृति में जीवित रहने और उसके योग्य बनाने में जिससे वह खुद को घिरा रहता है, मदद करती है।
- कुछ देशों में परसंस्कृतिग्रहण को सहसंस्कृतिकरण के समान माना जाता है, दोनों शब्दों के बीच कोई अंतर नहीं किया जाता है।

अपनी प्रगति जाँचें 9.5

नोट : क) नीचे दिए गए खाली स्थान पर उत्तर लिखिए :

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से अपने उत्तर की तुलना कीजिए।

9. सहसंस्कृतिकरण को परिभाषित कीजिये।

.....
.....
.....

10. परसंस्कृतिग्रहण क्या है?

.....
.....
.....

9.8 विद्यालय एक सामाजिक संगठन के रूप में

इस पाठ्यक्रम की इकाई 3 में आपने स्कूल को शिक्षा की एजेंसी के रूप पढ़ा है। जिसमें आपने अध्ययन किया है कि विद्यालय समाज का एक लघु रूप है और यह भी कहा जाता है कि यह समाज की एक उप-प्रणाली है। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ बच्चे के वास्तविक जीवन की गतिविधियों को सुगम और परिष्कृत किया जाता है। ताकि बच्चे अपने सामाजिक जीवन को आरंभ करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि विद्यालय सामाजिक जीवन का एक हिस्सा है और इसे घर के जीवन के बाहर धीरे-धीरे विकसित करना चाहिए।

सामाजिक संगठन के रूप में विद्यालय के बारे में यह सही कहा जाता है। यह एक सामाजिक संगठन है जिसमें सहकर्मी और समूह की बातचीत, गतिविधियों, व्यवहारों, विमर्शों आदि के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहती है। एक बच्चा जब विद्यालय में प्रवेश करता है तो वह अपने परिवार की तुलना में एक नया वातावरण मिलता है। वहाँ वह दूसरों के साथ प्रतिभागिता करके सीखता है और सही परिस्थितियों के अनुसार खुद को अभिव्यक्त करता है। उन्हें देश का एक जिम्मेदार नागरिक होने के लिए पूर्ण मार्गदर्शन करना है और उन्हें संवारना है। विद्यालय में सभी सामाजिक मानदंडों, समाज की प्रथाओं का भी अभ्यास किया

जाता है। सहयोगी जीवन जीने, एक दूसरे से सीखने, अभिव्यक्त करने की गुंजाइश और साथ—साथ रहने की दृष्टि से एक सामाजिक संगठन है। एक समाज की तरह, विद्यालय में भी कुछ मानक और मापदंड, नियम और कानून, रीति—रिवाज और परंपराएं, सदस्यों के बीच पदानुक्रम जैसे कि सीनियर और जूनियर आदि होते हैं। विद्यालय में एक निश्चित उद्देश्य भी निर्धारित किया जाता हैताकि शिक्षक और विद्यार्थी साथ—साथ मिलकर लक्ष्य हासिल करने के लिए कार्य करें।

9.9 सारांश

प्रत्येक समाज की अपनी उप—प्रणालियाँ होती हैं जो एक समाज को अपने नागरिकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं और दायित्वों को पूरा करने में मदद करती हैं। विद्यालय हर समाज की एक प्रमुख उप—प्रणाली है। यह आदर्शों और प्रक्रियाओं को दर्शाती है ताकि इसकी समझ और प्रक्रियाओं को और अधिक परिष्कृत किया जा सके। इस इकाई में यह व्याख्या की गयी है कि विद्यालय किस तरह से समाज के एक उप—तंत्र के रूप में कार्य करते हैं, जिसका वे हिस्सा हैं और जिसमें वह अपनी प्रक्रिया भी विकसित करते हैं।

सामाजिक परिवर्तन और गतिशीलता एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। समाजों की बदलती आवश्यकता के अनुरूप लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। इसलिए समाज के विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन होते हैं जैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संचार, जीवन स्तर और अंतर वैयक्तिक संबंध, व्यक्ति का आर्थिक मानक इत्यादि में परिवर्तन। सामाजिक गतिशीलता क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर होती है और यह आरोही और अवरोही भी होती है। इस इकाई में इन सभी पहलुओं पर चर्चा की गई है।

9.10 संदर्भ और प्रस्तावित अध्ययन सामग्री

अब्राहम, फ्रांसिस और मार्जिन, जॉन (2002). सोशियोलॉजिकल थॉट, मैकमिलन इंडिया लि.

भट, एम. एस. (2013). शैक्षिक समाजशास्त्र. एपीएच प्रकाशन, नई दिल्ली.

मैक्स वेबर और माइकल, डी. कोए (2003). द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म.फोर्थ एडिशन, डोवर पब्लिकेशन्स.

लिपसेट, एस.एम. और जेटरबर्ग, एच. (1959). सोशल मोबिलिटी इन इंडस्ट्रियल सोशायटी इन एस.एम. लिपसेट एंड आर. बैंडिक्स, सोशल मोबिलिटी इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, लंदनरु हीनमान.

एस.एस. माथुर (2008). ए सोशियोलॉजिकल अप्रोच टू इंडियन एजुकेशन. विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा.

शंकर राव (2004). सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, नई दिल्लीरु एस.चंद एंड कंपनी.

श्रीनिवास, एम. एन. (2009) सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया. मैकमिलन इंडिया लि.

सक्सेना, एस. एंड दत्त, एन.के. (2009). प्रिसिपल्स ऑफ एजुकेशन. आर. लाल बुक डिपो, मेरठ.

विद्या भूषण. एन इंट्रोदक्शन टू सोशियोलॉजी. किताब महल इलाहाबाद.

वेबसाइट का संदर्भ

<https://sol-du-ac-in/mod/book/view-php?id%1449&chapterid%1330> retrieved on 20-07-2019

9.11 अपनी प्रगति के लिए उत्तर की जांच करें

1. शिक्षा में विभिन्न कार्मिक काम कर रहे हैं, जो शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान करते हैं। शिक्षा की अपनी एक सामाजिक संरचना होती है जिसमें स्कूल अंदर सामाजिक अंतःक्रिया होती है।
2. सामाजिक व्यक्तिवाद के निर्माण में शिक्षा एक शक्तिशाली और मजबूत एजेंट का कार्य करती है और समाज के विभिन्न संस्थानों के कामकाज और गतिशीलता के परिणामस्वरूप ही शैक्षिक प्रणाली का उभार होता है।
3. शैक्षिक प्रणाली में समाज के सभी नियमों का अभ्यास किया जाता है। एक समाज की तरहशिक्षा में भी साधियों और समूह की बातचीत में ही सीखने की संभावना होती है। इसलिएशिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया भी कहा जाता है।
4. शिक्षा से संस्कृति में बदलाव आता है। यह समाज की संस्कृति को संरक्षित, विकसित और संचारित भी करती है।
5. सामाजिक परिवर्तन एक शब्द है जिसका उपयोग सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक पैटर्न, सामाजिक अंतःक्रिया या सामाजिक संगठन के किसी भी पहलू में बदलाव या संशोधन के लिए किया जाता है।
6. स्व अभ्यास कीजिए।
7. सामाजिक गतिशीलता का अर्थ है किसी व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान या किसी सामाजिक समूह का एक स्तर से दूसरे स्तर पर संचरण।
8. सामाजिक स्थिति या सामाजिक प्रतिष्ठा न केवल आय सेबल्कि उपभोग और जीवन शैली से भी निर्धारित होती है। यह उपभोग श्रेणी सामाजिक गतिशीलता को दर्शाती है।
9. सहसंस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति को उस संस्कृति के सामाजिक मूल्यों, मानदंडों, रीति-रिवाजों आदि को सीखने और उसका अनुपालन करने में मदद करती है।
10. परसंस्कृति—ग्रहण समाजीकरण की एक प्रक्रिया है जो दो अलग-अलग संस्कृतियों की बैठक होती है। इन परिवर्तनों को सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक दोनों स्तरों पर देखा जा सकता है।

इकाई 10 शिक्षा एवं समाजीकरण

संरचना

- 10.1 परिचय
- 10.2 उद्देश्य
- 10.3 समाजीकरण की प्रक्रिया के रूप में शिक्षा
- 10.4 समाजीकरण के अभिकरण
 - 10.4.1 परिवार और समाजीकरण
 - 10.4.2 विद्यालय और समाजीकरण
 - 10.4.3 समुदाय और समाजीकरण
 - 10.4.4 संचार और समाजीकरण
 - 10.4.5 साथी—समूह और समाजीकरण
- 10.5 बच्चों के समाजीकरण को प्रभावित करने वाले अन्य कारक
- 10.6 उपसंहार
- 10.7 संदर्भ और प्रस्तावित अध्ययन सामग्री
- 10.8 अपनी प्रगति के लिए उत्तर की जाँच करें

10.1 परिचय

पिछली इकाई में, आपने पढ़ा है कि कैसे शशिकाश बच्चों में सामाजिक विकास को सुगम बनाती है। इसलिए, शिक्षा एक मुख्य घटक है जो समाज में सामाजिक परिवर्तन लाती है। आप यह भी समझ चुके हैं कि समाज में बच्चे लिंग, परिवार, सामाजिक परिवेश, वर्ग, जाति और प्रजातीय पृष्ठभूमि के संदर्भ में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। विभिन्न पालन—पोषण की प्रथाएं उनके व्यक्तित्व और संज्ञानात्मक क्षमताओं पर एक अमिट प्रभाव डालती हैं। परिवार के सदस्यों द्वारा अपनाई गई इस तरह की प्रथाओं और सामाजिक वातावरण के अनुरूप ही बच्चों का सामाजिक विकास होता है। यह इकाई में, हम बच्चों के समाजीकरण की शैलियों को समझने का प्रयत्न करेंगे। यह इकाई, बच्चों के समाजीकरण के विभिन्न अभिकरणों पर जैसे परिवार, विद्यालय, समुदाय, मित्र और संचार पर केन्द्रित है। इसके साथ ही, यह इकाई बच्चों के समाजीकरण को प्रभावित करने वाले विभिन्न अन्य कारकों पर प्रकाश डालेगी।

10.2 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद, आप:

- समाजीकरण के अर्थ और उसकी प्रक्रिया को समझ सकेंगे
- समाजीकरण के विभिन्न अभिकरणों को सूचीबद्ध कर सकेंगे
- बच्चों के समाजीकरण में परिवार, विद्यालय, समुदाय, मीडिया और साथी समूह की भूमिका का विश्लेषण कर सकेंगे और
- बच्चों के समाजीकरण को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की पहचान कर सकेंगे।

10.3 समाजीकरण की प्रक्रिया के रूप में शिक्षा

आप इस बात से अवगत हैं कि समाज कुछ और नहीं बल्कि संस्थाओं का एक समूह है। सभी सामाजिक संस्थान, उनसे जुड़े व्यक्तियों से अपेक्षित सम्बन्ध और व्यवहार के स्वरूपों को परिभाषित करते हैं। प्रमुख सामाजिक संस्थान मानव जीवन के आर्थिक, राजनीतिक, परिचित, शैक्षिक और धार्मिक आयामों के नियमन से संबंधित हैं।

विशेष रूप से, एक संस्था के रूप में शिक्षा लोगों को समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से जटिल सामाजिक संरचना के अनुरूप तैयार करने का कार्य करती है। यह बच्चे को भविष्य में वयस्क जीवन की भूमिकाओं के लिए तैयार करने में सहायता करती है। बच्चों को पिता या माता, शिक्षकों या नागरिक सेवकों, दुकानदार या पुजारियों की भूमिकाओं को समझना होगा। उन्हें एक से अधिक संस्थागत समूह के सदस्य बनना सीखना होगा। इसलिए, बच्चे को सामान्य रूप से समाजीकरण और विशेष रूप से शिक्षा की प्रक्रिया के माध्यम से स्वयं को कई भूमिकाओं के लिए तैयार करने की आवश्यकता होती है। इस संदर्भ में शिक्षा परिवार या साथी समूह द्वारा प्राप्त अनौपचारिक शिक्षा हो सकती है या विद्यालय द्वारा प्राप्त औपचारिक शिक्षा हो सकती है।

समाज अपने सदस्यों की शिक्षा की व्यवस्था के लिए विद्यालयों की स्थापना करता है। बच्चा समाज में शिष्टाचार, आदतें, मित्रता, व्यवहार के स्वरूपों और अन्य सामाजिक प्रक्रियाओं को सीखता है। हम भाषा का उपयोग करते हैं जो समाज के लिए विशेष महत्व रखती है। उसी प्रकार बच्चे को ये सभी सामाजिक प्रक्रियाएं सीखनी पड़ती है, और फिर वह अपने व्यक्तित्व का समुचित विकास कर सकेगा। सरल शब्दों में, हम कह सकते हैं कि समाजीकरण उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा व्यक्ति ज्ञान, कौशल और चरित्र प्राप्त करते हैं जो उन्हें समाज के सक्षम सदस्य बनाते हैं। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा नई पीढ़ी उन ज्ञान, दृष्टिकोणों और मूल्यों को सीखती है जो उन्हें समाज में उत्पादक नागरिक बनाने में आवश्यक होंगे। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक वातावरण के साथ अपने परस्पर सम्बन्धों के माध्यम से एक स्वीकृत और महत्वपूर्ण सदस्य बन जाता है।

समाजीकरण स्वयं नहीं हो सकता। व्यक्ति, समूह और संस्थाएँ समाजीकरण के लिए सामाजिक संदर्भ बनाते हैं। इन अभिकरणों के माध्यम से हम सीखते हैं और अपनी संस्कृति के मूल्यों और मानदंडों को अंगीकृत करते हैं। वे वर्ग, नस्ल और लिंग के संबंध में सामाजिक संरचना में हमारे स्थान के लिए भी उत्तरदायी हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया में सीखी जाने वाली आदतें, कौशल, विश्वास और निर्णय के मानक हमें समाज के एक कार्यात्मक सदस्य बनने में सक्षम बनाते हैं।

जन्म के समय, बच्चा समाज और सामाजिक व्यवहार के बारे में कुछ भी नहीं जानता। जैसे—जैसे वह बढ़ा होता है वह न केवल भौतिक संसार के बारे में सीखता है, बल्कि यह भी सीखता है कि समाज में अच्छा व्यक्ति या बूरा व्यक्ति होने का क्या अर्थ है। समाजीकरण को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिससे बच्चा धीरे—धीरे आत्म—जागरूक, ज्ञानवान व्यक्ति बन जाता है य उस संस्कृति के तरीकों में दक्ष बनता है, जिसमें जिसमें वह जन्म लेता है वही है। वास्तव में, समाजीकरण के बिना, एक व्यक्ति एक मनुष्य की तरह बर्ताव नहीं सकता। जबकि समाजीकरण का व्यक्तियों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, यह एक प्रकार की सांस्कृतिक व्यवस्था (कल्याल प्रोग्रामिंग) नहीं है, जिसमें बच्चा सम्पर्क में आने वाले व्यक्ति के प्रभावों को निष्क्रिय रूप से समाहित करता है।

औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा बच्चों के समाजीकरण में एक बड़ी भूमिका निभाती है। तदनुसार, इसकी प्रकृति और उद्देश्य के बारे में विभिन्न सिद्धांत अस्तित्व में आए हैं। आइए अब हम शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों की जाँच करें।

- समाजीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए:** शिक्षा का मुख्य सामाजिक उद्देश्य समाजीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण करना है। समाजीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए विद्यालय और अन्य संस्थान परिवार के स्थान पर आ गए हैं। अब, लोगों को लगता है कि विद्यालय का कार्य बच्चे को पूर्ण रूप से प्रशिक्षित करने का है, यहां तक कि उसे पढ़ाने से आगे जाकर उसे ईमानदारी, निष्पक्षता, दूसरों के लिए विचार और सही और गलत की भावना को भी सिखाना। विद्यालय अपना अधिकांश समय और ऊर्जा सहयोग, अच्छी नागरिकता, अपना कर्तव्य निभाना और कानून को बनाए रखने जैसे मामलों के लिए समर्पित करता है। प्रत्यक्ष रूप से पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से और अप्रत्यक्ष रूप से कार्यक्रमों के मनाने के माध्यम से, देशभक्ति की भावनाएं पैदा होती हैं। राष्ट्र का अतीत गौरवशाली है, इसके महान नायकों का सम्मान किया गया और इसके सैन्य उपक्रमों को उचित ठहराया।
- सामाजिक व्यक्तित्व का निर्माण:** व्यक्ति का व्यक्तित्व उस तरह से तैयार होता है, जिससे वह संस्कृति के अनुरूप बन सके। शिक्षा हर जगह सामाजिक व्यक्तित्व के निर्माण का कार्य करती है। शिक्षा सामाजिक व्यक्तित्वों के उचित परिवर्तन के माध्यम से संस्कृति को प्रसारित करने में सहायता करती है।
- रोजगार के लिए शिक्षा:** शिक्षा को अपनी आजीविका कमाने के लिए किशोरों की सहायता करनी चाहिए। शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों को भविष्य के व्यावसायिक पदों के लिए तैयार किया जाना चाहिए। युवा वर्ग को समाज में एक उत्पादक भूमिका निभाने के लिए सक्षम होना चाहिए।
- सांस्कृतिक विरासत को प्रसारित करने के लिए:** सांस्कृतिक विरासत को प्रसारित करना भी शिक्षा के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। यहां संस्कृति विश्वास और कौशल, कला, साहित्य, दर्शन, धर्म, संगीत आदि को संदर्भित करती है, जो कि आनुवांशिकता के तंत्र के माध्यम से आगे नहीं बढ़ती है, इन्हें सीखा जाना चाहिए। इस सामाजिक विरासत (संस्कृति) को सामाजिक संगठनों के माध्यम से प्रेषित किया जाना चाहिए। शिक्षा का सभी समाजों में संस्कृति संचरण का कार्य करती है।
- दृष्टिकोणों में सुधार:** शिक्षा का उद्देश्य बच्चों में सकारात्मक दृष्टिकोण का निर्माण करना है। विभिन्न कारणों से, बच्चों द्वारा दृष्टिकोण, विश्वासों और अविश्वासों, निष्ठाओं और पूर्वाग्रहों, ईर्ष्या और घृणा आदि को आत्मसान किया गया हो सकता है, जिसे सुधारने की आवश्यकता है। शिक्षा का कार्य है कि बच्चे के मन से निराधार मान्यताओं, पूर्वाग्रहों और अनुचित विश्वासों को दूर करें। यद्यपि इस संबंध में विद्यालय की अपनी सीमाएं हैं, उम्मीद है कि ये बच्चे के दृष्टिकोण को सुधारने में अपने प्रयासों को जारी रखेंगे।

गतिविधि 1

सामाजिक बनाना, उपरोक्त अनुभाग में शिक्षा के कार्यों में से एक के रूप में चर्चा की गई है, अब आप उन अन्य शैक्षिक कार्यों का उल्लेख कीजिए जो आप बच्चे को सामाजिक बनाने के लिए सुझाएंगे?



10.4 समाजीकरण के अभिकरण

बच्चे का समाजीकरण कई अभिकरणों और संस्थानों द्वारा किया जाता है जिसमें वह भाग लेताधी है, जैसे परिवार, विद्यालय, समुदाय, साथी—समूह, पड़ोस और व्यावसायिक समूह और सामाजिक वर्ग, जाति, धर्म और क्षेत्र आदि द्वारा। समाजीकरण की विभिन्न अभिकरणों के बारे में विवरण निम्नानुसार हैं :

10.4.1 परिवार और समाजीकरण

एक सामाजिक संस्था के रूप में, परिवार को समाजीकरण का कार्य करना होता है। परिवार बच्चे को किसी समूह के व्यवहार के स्वीकृत करने के तरीके सिखाता है। इसके माध्यम से, बच्चों को समाज के जीवन के स्वरूपों के अनुरूप ढाला जाता है। बच्चे व्यवहार के स्वरूपों को सीखते हैं जो समाज में एक अच्छा जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं। वे अपनी और दूसरों की भूमिका सीखते हैं और इस तरह उनका समाजीकरण होता है।

बच्चे की शिक्षा में, परिवार सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चा एक परिवार में जन्म लेता है और यह पहला अभीकारण है जिसके माध्यम से वह सामाजिकता की शिक्षा प्राप्त करता / करती है। परिवार एक प्राथमिक सामाजिक समूह है। यह समाजीकरण का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण है। परिवार समाज की मूल इकाई है। बच्चा माता, पिता, भाइयों, बहनों, दादा और दादी आदि के संपर्क में आता है और परिवार में प्यार, सहानुभूति, सहयोग, सहिष्णुता, विचार जैसे कई अन्य गुण पहली बार सीखता है। ये सभी सदस्य बच्चे में परिवार के आदर्शों को संचारित करते हैं। बच्चे का सामाजिक और नैतिक विकास उसके परिवार में उसके प्रारंभिक जीवन काल में ही होता है। परिवार के सदस्यों द्वारा वह परंपराओं, रीति—रिवाजों से आदि के साथ परिचित हो जाता है। परिवार के साथ रहते हुए, बच्चे को वांछनीय और अवांछनीय व्यवहार के बारे में प्राथमिक ज्ञान प्राप्त होता है।

बच्चे के समाजीकरण में परिवार एक निर्णायक भूमिका निभाता है। इस संदर्भ में विवरण इस प्रकार हैं:

- माता—पिता का एक विनियमन प्रभाव होता है और साथ ही उनके बच्चों के व्यवहार पर उनका प्रभाव भी पड़ता है। यह पाया गया है कि बच्चों में अपराध अक्सर उनके माता—पिता द्वारा बच्चों की अस्वीकृति का परिणाम है। कुछ परिवारों में, एक विशिष्ट स्थिति मिलती है जैसे, माता—पिता बच्चे को अस्वीकार कर देते हैं लेकिन उससे बहुत अधिक स्नेह प्रदर्शित करते हैं। इस स्थिति को प्रत्यक्ष स्वीकृति और अप्रत्यक्ष अस्वीकृति के रूप में वर्णित किया गया है। ऐसी स्थिति में, बच्चे के आत्मविश्वास को कम आंका जाता है ये पहल और उद्यम क्षमताओं को अस्वीकृत कर किया जाता है। बच्चे स्वयं को पीछे ले लेते हैं और उनका समाजीकरण बेहद कठिन हो जाता है। दूसरी ओर, उचित अनुशासन के साथ एक देखभाल और प्यार वाली अभिवृत्तिबच्चों में सकारात्मक व्यवहार और दृष्टिकोण के विकसित करने में सहायता करती है।

- जब तक परिवार का सहयोग नहीं मिलता, तब तक बच्चे की वांछनीय तरीके से शिक्षा नहीं हो सकती। एक बच्चा चौबीस घंटे में से लगभग एक चौथाई समय विद्यालय में बिताता है। दिन का बाकी समय वह उसके परिवार के साथ बिताता/ती है। इसलिए, उसकी शिक्षा की एक बड़ी जिम्मेदारी, अन्य अभिकरणों से अधिक उसके परिवार पर निर्भर करती है।
- सबसे पहले, बच्चें अपनी पसंद और नापसंद को अपने उनके परिवार के सामने व्यक्त करते हैं। यदि परिवार अच्छी बातों को प्रोत्साहित करता है और बुरी बातों को हतोत्साहित, तो यह बच्चों में रुचियों को लेकर सकारात्मक वृद्धि करने सहायक होगा। लेकिन इसके लिए, यह आवश्यक है कि परिवार के माहौल शांतिपूर्ण और स्वस्थ बना रहे।

परिवार एक शिशु को मानव समुदाय के एक परिपक्व सदस्य के रूप में ढालता है और संस्कृति संचारित करने के प्रथम माध्यम के रूप में कार्य करता है। परिवार ही बच्चों में रनेह, सुरक्षा और समाजीकरण प्रदान करता है जो महत्वपूर्ण वर्षों के दौरान एक बच्चे के लिए मूल स्रोत हैं। यह वह समय भी है जब बच्चा परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करते हुए बुनियादी व्यवहारों के स्वरूपों, आदतों, दृष्टिकोणों, रीति-रिवाजों और परम्पराओं को सीखता है। परिवार उसेउन वांछनीय सामाजिक दृष्टिकोणों में ढालता है जो परिवार की स्थिति और प्रतिष्ठा के अनुकूल होते हैं।

परिवार के कार्य, समाजीकरण की प्रक्रिया में अपूरणीय महत्व रखते हैं, परिवार बच्चों को प्रारंभिक मानव व्यवहार के स्वरूपों और प्रारंभिक पारस्परिक संबंधों से परिचित कराने का कार्य करता है। समाजीकरण की प्रक्रिया इस स्तर पर अनौपचारिक बनी रहती है। कुछ समाजशास्त्री परिवार को एक सूक्ष्म समाज के रूप में परिभाषित करते हैं जो व्यक्ति और समाज के बीच संचरण कराने का कार्य करता है। आपने देखा होगा कि बच्चे की पालन-पोषण की प्रथाएँ हर परिवार में अलग-अलग होती हैं। प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है और अपने परिवार की संस्कृति में विशिष्ट रूप से शामिल है। लेकिन यहाँ एक सामान्य सहमति है कि माता-पिता का सहज सम्बन्ध सकारात्मक विकास में योगदान देता है। एक ऐसा संबंध, जहां माता-पिता अपने बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हों और उनकी जिज्ञासा को प्रोत्साहित करें, उन्हें सामाजिक बनाने में सकारात्मक तरीके से योगदान कर सकता है। परिवार के सदस्यों द्वारा बच्चे की परवरिश, बड़ों के प्रति सम्मान, सहिष्णुता और अनुकूलनशीलता विकसित करने में योगदान देती है।

परिवार से मिलने वाली शिक्षा की महत्ता कभी इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि यह शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रथमशिक्षा होती है जो जीवन पर्यन्त बनी रहती है। विभिन्न परिवारों के विभिन्न बच्चे परिष्कृत विशेषताओं को धारण करते हैं। बच्चों के लिए, परिवार प्रथम सामाजिक वातावरण हैं। परिवार बच्चों को सही और गलत की पहचान करना सीखता है और विभिन्न प्रोत्साहनों और प्रशंसाओं से उनके मस्तिष्क को उत्तेजित करने का कार्य करते हैं यै उदाहरण के लिए जब बच्चों सही कार्य करता है जैसे कार्य से लौटने के बाद माता-पिता का अभिवादन करना, उनके पैर और हाथ साफ तरीके से धुलवाना, आवश्यकता होने दवा देना आदि। दूसरी ओर, यदि परिवार में समाजीकरण अविश्वास, निरंकुशता और झगड़े की पृष्ठभूमि में होता है, तो ऐसे परिवार में पलने वाले बच्चे असामाजिक व्यवहार करेंगे। हालांकि, यह उल्लेखनीय है कि कई अन्य कारकों, परिवार का आकार, सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि, माता-पिता के व्यवसाय, माता पिता का अत्यधिक हस्तेक्षण, माता पिता की लापरवाही और माता पिता का दबाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप से बच्चे के समाजीकरण को प्रभावित कर सकते हैं। परिवार के वयस्कों द्वारा बच्चे के किसी व्यवहार को प्रोत्साहित या हतोत्साहित करना और जिस प्रकार का अनुशासन, वे बच्चों पर लागू करते हैं, बच्चे के जीवन के प्रति उन्मुखीकरणको प्रभावित करते हैं।

अपनी प्रगति जाँचें 10.1

टिप्पणी : क) नीचे दिए गए खाली स्थान पर उत्तर लिखिए :

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से अपने उत्तर की तुलना कीजिए।

1. समाजीकरण की विभिन्न अभिकरणों के नाम बताइए।

.....
.....
.....

2. बच्चे परिवार से क्या मूल्य सीखते हैं?

.....
.....
.....

10.4.2 विद्यालय और समाजीकरण

विद्यालय समाजीकरण का एक बहुत महत्वपूर्ण अभिकरण है। विद्यालय सामाजिक संस्कृति के साथ बच्चों को परिचित करने और उन्हें सामाजिक रीति-रिवाजों के मूल्यांकन के बाद एक नए समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करता है। विद्यालय भी एक तरह का समाज है। यहाँ, विद्यार्थी और प्रधानाचार्य व प्रधानाचार्य और शिक्षकों के बीच में सामाजिक संपर्क के बीच बना रहता है। जब बच्चा विद्यालय में जाता है तो उसके समाजीकरण में एक मोड़ आता है। एक सामाजिक मनुष्य होने के तौर पर केवल विद्यालयी शिक्षा के माध्यम से ही, विद्यार्थी सामाजिक जिम्मेदारियों के बारे में परिचित होते हैं। विद्यालय लोकतांत्रिक वातावरण प्रदान करता है जो बच्चों को लोकतांत्रिक मानदंडों को प्राप्त करने में सहायता करता है। बच्चे लोकतांत्रिक मानदंडों के साथ रहना और एक दूसरे के साथ व्यवहार करना सीखते हैं। है जो उनके समाजीकरण में सहायता करता है। विद्यालय बच्चों को विभिन्न प्रकार की सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है ये गतिविधियाँ बच्चों को उनमें नेतृत्व शैली विकसित करने में सहायता करती हैं। विद्यालय सामुदायिक कार्य, सामाजिक सेवा शिविर, सामाजिक कार्य और वार्षिक कार्यों का आयोजन करके बच्चों को सामाजिक वातावरण प्रदान करता है, ताकि उनमें सभी सामाजिक मानदंड और मूल्य जैसे सहानुभूति, सहयोग, सहिष्णुता, सामाजिक जागरूकता विकसित की जा सकें।

विद्यालयों में, शिक्षक समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण अभिकरण है। शिक्षक, अपने विद्यार्थियों पर सामाजिक प्रभाव डाल सकता है। यह निम्न प्रकार से किया जा सकता है—
(क) विद्यार्थियों को बौद्धिक गतिविधियों में संलग्न करने के लिए प्रेरित करना,
(ख) विद्यार्थियों को व्यवहार के बारे में प्रतिक्रिया देना और उन्हें व्यवहार के वांछनीय तरीकों के बारे में सुझाव देना,
(ग) यदि भूमिका निर्धारण और भूमिका प्रस्तुत करने का संबंध है विद्यार्थियों के सामने अपने स्वयं के उदाहरण प्रस्तुत करना, और
(घ) समाज में विभिन्न पदों का ज्ञान देना और बच्चों को भूमिका-व्यवहार के लिए तैयार करना।

क) पूर्व-प्राथमिकविद्यालय स्तर पर, अच्छे संस्कार और शिष्टाचार आदि के विकास पर अत्यधिक बल दिया जाता है। यहाँ है बच्चों के इस प्रशिक्षण पर अधिक जोर दिया जाता है कि वे अपने माता-पिता और भाई-बहनों पर निर्भर बनना छोड़ सकें।

बच्चों के खिलौनों और खेल सामग्री आदि के आदान—प्रदान द्वारा उनमें समानता को आत्मसात और व्यवहार में लाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।

शिक्षा एवं समाजीकरण

- ख) प्राथमिक विद्यालय स्तर पर, विद्यार्थियों को विद्यालय समुदाय के जिम्मेदार नागरिक बनाने का प्रयास किया जाता है। विद्यार्थियों के बीच काम की आदतों को विकसित किया जाता है ताकि उन्हें साथी विद्यार्थियों के साथ सहयोग करने और शिक्षकों की आज्ञा पालन करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। इस प्रकार विद्यार्थियों को अपने सहपाठियों के साथ—साथ अपने वरिष्ठों के साथ सम्बन्धों का अनुभव प्राप्त होता है।
- ग) उच्चतर माध्यमिक स्तर पर, सबसे बड़ा अधिक जोर विद्यालयी और सह विद्यालयी क्षमताओं की उपलब्धि पर होता है। बच्चे विभिन्न कौशल और योग्यता विकसित करते हैं जो उनकी भविष्य के जीवन की रूपरेखा तैयार करने सक्षम बनाते हैं। साथी समूह संबंध और अनुकूलन के कौशल के विकास द्वारा विद्यार्थियों के उचित समाजीकरण की प्रक्रिया पर जोर दिया जाता है।
- घ) विद्यालय में एक विशेष कक्षा बच्चों को एक समतावादी समूह के साथ कार्य करने और मिलने—जुलने के असंख्य अवसर प्रदान करती है। यहां बच्चों को जाति, रंग या नस्ल के भेद के बिना कई अवसर मिलते हैं। हालांकि, शिक्षक को हानिकरक प्रथाओं के बारे में सावधानी बरतने की आवश्यकता है जैसे अस्पृश्यता।

विद्यालय में, विभिन्न परिवारों से संबंधित बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, विभिन्न स्वरूपों में एक दूसरे साथ बातचीत करते हैं और समाज की विभिन्न परंपराओं को आत्मसात करते हैं। विद्यालय के शैक्षिक और सामाजिक कार्यों में भागीदारी भी बच्चों में सामाजिक गुणों, दृष्टिकोण, आदतों और व्यवहार के स्वरूपों को विकसित करती है, जो उनके समाजीकरण में सहायता करते हैं। इस प्रकार, हम कह सकते हैं कि विद्यालय एक बहुत महत्वपूर्ण अभिकरण है जो बच्चों के समाजीकरण में सहायता करता है। बिना पर्याप्त विद्यालयी शिक्षा से विद्यार्थी में एक अच्छे और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आवश्यक विभिन्न दृष्टिकोण, कौशल और व्यवहारों की कमी रहेगी।

10.4.3 समुदाय और समाजीकरण

सरल शब्दों में, एक समुदाय को छोटे क्षेत्र में रहने वाले लोगों के समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो अधिकतर जीवन के सामान्य तरीके समान रूप से साझा करते हैं।

समुदाय में समान कानूनों के तहत एक ही क्षेत्र में रहने वाले लोगों का एक समूह शामिल है जिनके बीच आपस सहभागिता की भावना रहती है। समुदाय को निम्नलिखित कार्यों के साथ संरचित किया जाता है उत्पादन, उपभोग, समाजीकरण, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक भागीदारी, और पारस्परिक समर्थन। पहले से चली आ रही वयस्क की तय भूमिकाओं के माध्यम से समुदाय समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। कुछ सामाजिक और व्यक्तिगत कारक, जैसे पड़ोस और सामुदायिक संपर्क के स्वरूप, समाजीकरण को प्रभावित करते हैं।

समुदाय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण अनौपचारिक और सक्रिय अभिकरण है। जिस तरह बच्चे पर परिवार और विद्यालय का बहुत प्रभाव होता है, उसी तरह समुदाय भी सामाजिक संपर्कों, समूह की गतिविधियों और समूह की गतिशीलता के माध्यम से बच्चे के व्यवहार को इस तरह से संशोधित करता है कि बच्चा अपने समुदाय की सभी वांछनीय गतिविधियों में भाग लेना आरम्भ कर देता है। वास्तव में, बच्चे का विकास केवल अपने परिवार में ही नहीं होताय समुदाय का वातावरण भी उसके व्यवहार को उसके विचारों, आदर्शों और लक्ष्यों के अनुरूप ढालता और संशोधित करता है। यह अकेले समुदाय के वातावरण का

ही चमत्कार है जिसमें बच्चा अपनी भाषा और जीवन स्तर के मानकों को विकसित करता है। संक्षेप में, सामुदायिक वातावरण विकासशील बच्चों पर सभी प्रभावशाली और अगोचर तरीकों से अपना प्रभाव डालता है। चूंकि प्रत्येक समुदाय की अपनी संस्कृति होती है, इसलिए हम विभिन्न समुदायों से संबंधित बच्चों के संस्कृति और व्यवहार के स्वरूपों में बहुत अंतर पाते हैं। हर समुदाय की अपनी विभिन्न आवश्यकताएं और समस्याएं होती हैं। जब आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं और समस्याएं हल हो जाती हैं, समुदाय के मानक स्तर बढ़ता है। यह प्रगति धीरे-धीरे और लगातार चलती रहती है। इसके विपरीत, जो समुदाय अपने सदस्यों को सही प्रकार की शिक्षा प्रदान करने में असमर्थ होता है, उसकी प्रगति स्थिर और अवरुद्ध हो जाती है।

सामुदायिक भागीदारी बच्चों के समाजीकरण को प्रभावित करती है। समुदाय एक सामाजिक अभिकरण है क्योंकि यह वह स्थान है जहाँ बच्चे वयस्कों और साथ ही स्वयं के लिए भी अपेक्षित भूमिका के बारे में सीखते हैं। समुदाय समाजीकरण और शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अभिकरण है। यह बच्चों की प्रयोगशाला है, जहाँ वे, पहली बार विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त करते हैं। समुदाय अपने विभिन्न संसाधनों के माध्यम से सामाजिक मूल्यों और कौशलों के अधिगम को समृद्ध और पूरक बना सकता है। समुदाय अपने विभिन्न संस्थानों के माध्यम से बच्चे का सामाजिकरण करते हैं। यह ठोस, सुगम और मूर्त संसाधन प्रदान करता है जो बच्चों के लिए गतिशील, रोचक और सार्थक होते हैं। विभिन्न सामाजिक कार्य और सामुदायिक गतिविधियाँ जैसे मेलें, त्योहार, उत्सव और समारोहआदि बच्चों के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करते हैं ताकि वे पूर्ण रूप से इनमें भाग ले सकें और स्वयं में वांछनीय सामाजिक गुणों को विकसित कर सकें।

ये सभी गतिविधियाँ बच्चों को सामाजिक विचारों और सामाजिक सेवा की भावना को अधिक से अधिक अंगीकृत करने के लिए प्रेरित करती हैं और इसका परिणाम यह होता है कि वे सामाजिक रीति-रिवाजों, परंपराओं और मान्यताओं के बारे में स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। ये गतिविधियाँ बच्चे को भाग लेने और सामाजिक जीवन, सामाजिक सेवा और सामाजिक ज्ञान का सीधे तौर पर ज्ञान प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती हैं। वे सहानुभूति, सहयोग, सहिष्णुता, त्याग और समायोजन जैसे सामाजिक रूप से वांछनीय मूल्यों को भी सीखते हैं। इतना ही नहीं, समुदाय के अन्य सदस्यों के साथ संपर्क के माध्यम से, बच्चे यह भी सीखते हैं कि कर्तव्य और अधिकार, स्वतंत्रता और अनुशासन उनके व्यक्तित्व के प्राकृतिक और पूर्ण विकास के लिए बहुत आवश्यक हैं जो बच्चों के सामाजिक विकास पर बहुत प्रभाव डालते हैं। समुदाय में समाजीकरण के माध्यम से, बच्चा समझता है कि अधिकारों में कर्तव्यों का समावेश है और स्वतंत्रता का अर्थ संयम होता है। यह कोई रहस्य नहीं रहता कि समुदाय का प्रत्येक सदस्य अपने अच्छे नाम और कल्याण के लिए स्वयं जिम्मेदार है। संक्षेप में, हम कह सकते हैं कि समुदाय बच्चों में नागरिक गुण विकसित करता है और उनके बीच सेवा, त्याग और सहयोग की भावना पैदा करता है।

अपनी प्रगति जाँचें 10.2

टिप्पणी : क) नीचे दिए गए खाली स्थान पर उत्तर लिखिए :

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से अपने उत्तर की तुलना कीजिए।

3. बच्चों के समाजीकरण में शिक्षक की क्या भूमिका है ?

4. समुदाय सामाजिक मूल्यों का अभ्यास करने के लिए प्रयोगशाला है। टिप्पणी कीजिए।

.....
.....
.....

10.4.4 संचार और समाजीकरण

आज, तेजी से बदलाव की गतिशीलता हर समाज और हर संस्थान में महसूस की जा सकती है। यह नए सामाजिक रूपों और जनसंचार माध्यमों जैसे संचार के नए तरीकों के निर्माण की आवश्यकता है। जनसंचार एक बड़े पैमाने पर जानकारी फैलाने और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने का एक वाहन है। जनसंचार में प्रिंट मीडिया जैसे कि किताबें, समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि शामिल हैं और गैर-प्रिंट संचार जैसे रेडियो, टेलीविजन और फिल्मों के साथ—साथ सामाजिक संचार (सोशल मीडिया) भी हैं। इनका लक्ष्य प्रेषकों और प्राप्तकर्ताओं से किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत संपर्क स्थापित किये बिना बड़े पैमाने पर या बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचना है। यह समाज के सभी आयामों तक पहुंचा हुआ है, चाहे वह राजनीतिक, भाषाई, सांस्कृतिक या आध्यात्मिक हों। जनसंचार सबसे शक्तिशाली बलों में से एक बन गया था जो लोगों को अन्य लोगों से जोड़ता है। इस वजह से, जनसंचार को समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण अभिकरण माना जा सकता है।

हमारे जैसे विकासशील देश में, टेलीविजन और इंटरनेट समाजीकरण के बहुत महत्वपूर्ण अभिकरण बन चुके हैं। युवा मरिटिष्ट पर टेलीविजन का प्रभाव वर्तमान में देखा जा सकता है। इंटरनेट और स्मार्ट फोन तेजी से पूरी दुनिया में लोगों के बीच समानता और संपर्कता स्थापित कर रहे हैं। अब बच्चे अपने घरों और समुदाय से परे विश्व के वैश्विक समुदाय के संपर्क में आ रहे हैं और उनका समाजीकरण इस तरह से हो रहा है कि वे एक वैश्विक विश्वके अनुरूप बन सकते हैं। फेसबुक, टिवटर, इंस्टाग्राम जैसी सोशल नेटवर्किंग साइटें, जो पूरी तरह से एक नई दुनिया खोलती हैं और बच्चे का परिचय अलग—अलग संस्कृतियों से करवाती हैं, जिसे वह पहले नहीं जानता था। जनसंचार बच्चों में उनके ही अनुसार विश्वास बनाने में सहायता करता है और जनसंचार के प्रभाव में वे किन वास्तविकताओं का विस्तार करने के लिए चुनते हैं, ये दोनों ही सामग्री और प्रक्रिया के रूप में समाज के सभी क्षेत्रों निर्विवाद है। जनसंचार माध्यमों से जीवन का हर क्षेत्र प्रभावित होता है। जनसंचार बच्चों को कुछ सामाजिक विश्वासों को मानने और उनके संदेशों को चुनने के लिए आकर्षित करता है। सामाजिक संचार कार्यक्रम किसी भी व्यक्ति के परिवार के सदस्यों, दोस्तों, सहपाठियों, या ग्राहकों के साथ संबंध बनाने में सहायक होते हैं। यह लोगों को उनके सामान्य हितों, पसंद और नापसंद को साझा करने और सामाजिक संपर्क बनाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। यह मल्टीमीडिया और नई इलेक्ट्रॉनिक संचार तकनीकों, जैसे ईमेल और अन्य इन्टरनेट आधारित सेवाओं द्वारा सुविधा प्रदान करता है।

यह एक तथ्य है कि समाजीकरण के अभिकरण के रूप में जनसंचार की भूमिका दुनिया के आधुनिकीकरण द्वारा मजबूत और संशोधित हुई है। प्रौद्योगिकी ने बड़े पैमाने पर संचार की पहुंच को बढ़ा दिया है। लोग अपना अधिकांश समय जनसंचार के विभिन्न रूपों के माध्यमों से दुनिया से संपर्क बनाने में बिताते हैं। कभी—कभी, समाजीकरण के अन्य अभिकरणों को आवंटित समय भी बड़े पैमाने पर संचार के उपयोग के लिए प्रयोग कर लिया जाता है।

संचार समाजीकरण के सबसे महत्वपूर्ण अभिकरणों में से एक है जो लोगों को अपने विश्वासों और मानदंडों के निर्माण में सहायता करता है। जनसंचार ने लोगों के जीवन में इस प्रकार प्रवेश कर लिया है कि वह उनकी सोच और कार्यप्रणाली को प्रभावित करने

लगा है। जनसंचार ने हमारी सामाजिक भूमिका को पुनर्परिभाषित किया है और हमारे जीवन की वास्तविकताएं इस बात पर भी निर्भर करती हैं कि हम संचार के विभिन्न रूपों से क्या प्राप्त करते हैं। जनसंचार के माध्यमों से यह संभव है कि हम अपनी दुनिया और इसकी वास्तविकताओं के बारे अधिक से यह अधिक जान सकते हैं। जनसंचार के माध्यम से ही हम अपनी मत और पक्ष निर्धारित करते हैं। सामाजिक विचलन भी समाजीकरण के विभिन्न अभिकरणों का एक परिणाम है क्योंकि ये विचलन लोगों की मान्यताओं से बनते हैं। सामाजिक विचलन भी जनसंचार के कारण ही सम्भव हो सका है क्योंकि जनसंचार ही इन्हें लोकप्रिय बनाता है।

10.4.5 साथी—समूह और समाजीकरण

एक बच्चे के लिए एक अन्य समाजीकरण अभिकरण साथी—समूह है। साथी—समूह एक समान आयु के बच्चों के मित्र समूह हैं। श्पीयरश शब्द का अर्थ है शसमानश। साथी—समूह का गठन उन सदस्यों द्वारा किया जाता है जिनकी कुछ समान विशेषताएं होती हैं जैसे कि आयु (विकास और परिपक्वता का समान चरण) या लिंग आदि। कुछ संस्कृतियों में, विशेष रूप से छोटे पारंपरिक समाजों में, साथी—समूहों को आयु—वर्ग के रूप में औपचारिक रूप दिया जाता है। औपचारिक आयु—वर्ग के बिना भी, चार या पाँच से अधिक बच्चे सामान्यतौर पर उसी आयु के दोस्तों की संगति में काफी समय बिता लेते हैं। पारिवारिक स्थिति में निहित निर्भरता की तुलना में इन समूहों में अधिक मात्रा में आदान—प्रदान होता है। साथी—समूहों में, एक अलग तरह की संपर्क होता है, जिसमें व्यवहार के नियमों का परीक्षण किया जा सकता है और खोजा जा सकता है।

अक्सर व्यक्ति के जीवन में साथी के साथ सम्बन्ध लम्बे समय तक महत्वपूर्ण बने रहते हैं। विभिन्न संदर्भों में समान आयु के अनौपचारिक समूह सामान्यतौर पर व्यक्तियों के दृष्टिकोण और व्यवहार को आकार देने में अत्यधिक महत्व रखते हैं। इन साथियों में समान प्रकार की रुचियाँ, सामाजिक स्तर और सामाजिक निकटता हो सकती हैं। युवा किशोरों के लिए साथियों द्वारा स्वीकृति समाजीकरण का सबसे महत्वपूर्ण आयाम है। इसलिए, वे साथी समूह के अनुरूप होना और दृढ़ निष्ठा की इच्छा का प्रदर्शन करते हैं। साथियों के समूह के प्रभाव को उस समय से जांचा जा सकता है, जब वह तीन वर्ष या उस आयु वर्ग का हो और वह तत्काल परिवार के बाहर के लोगों से मिलना प्रारंभ करता है। इतनी कम उम्र से, बच्चे अपने साथियों के साथ सार्थक संबंध बनाते हैं, जो उन पर प्रभाव डालते हैं। चूंकि वे अधिकतर एक ही आयु वर्ग के हैं, वे बिना किसी बाधा के स्वतंत्र रूप से बातचीत करते हैं। साथी—समूह के साथ इस प्रकार का निरंतर समाजीकरण बच्चों को बहुत महत्वपूर्ण सीख प्राप्त करने में सहायता करता है। एक साथी समूह का हिस्सा बनने से, बच्चे अपने माता—पिता के अधिकार क्षेत्र से दूर होने लगते हैं और अपने विवेक से दोस्त बनाना और निर्णय लेना सीखते हैं। यदि आप बच्चों को खेलते हुए देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि कैसे वे बड़ों से किसी भी दिशा—निर्देश के बिना बातचीत, प्रभुत्व, नेतृत्व, सहयोग, समझौता आदि जैसी विभिन्न रणनीतियों पर कार्य करते हैं। साथी समूह का समाजीकरण उन्हें समूह बातचीत की बारीकियों को समझने और तदनुसार कार्य करने की क्षमता से सुसज्जित करता है।

साथियों का प्रभाव ऐसा है कि कुछ बच्चे माता—पिता और परिवार के प्रभुत्व को चुनौती देने लगते हैं। समय के साथ—साथ, विशेषकर किशोर अवस्था में यह माता—पिता के प्रभाव को कम कर देता है। जब बच्चों को पता चलता है कि उनके साथी—समूह के मानक परिवार के मानकों के अनुरूप नहीं हैं, तो वे निराश महसूस करते हैं। तो जी से बदलते समाजों में, माता—पिता को अक्सर यह शिकायत करते हुए सुना जाता है कि उनके बच्चे अधिक से अधिक विद्रोही होते जा रहे हैं। यह सत्य है क्योंकि बच्चा बिना प्रश्न पूछे और

चुप—चाप माता—पिता के अधिकार को स्वीकार करने से इनकार कर देता है।

शिक्षा एवं समाजीकरण

संक्षेप में, हम कह सकते हैं कि साथी—समूह सामाजिक मूल्यों, कौशल और सामाजिक मान्यताओं और बच्चों के दृष्टिकोणों के निर्माण में भी सहायता करता है। इसलिए, इसे समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण अभिकरण माना जा सकता है।

अपनी प्रगति जाँचें 10.3

टिप्पणी : क) नीचे दिए गए खाली स्थान पर उत्तर लिखिए :

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से अपने उत्तर की तुलना कीजिए।

5. सामाजिक संचार (सोशल मीडिया) का बच्चों के समाजीकरण पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से प्रभाव पड़ता है। आप इस कथन से कितना सहमत हैं? कारण बताईज्ये।

.....
.....
.....

6. साथी—समूह बच्चे को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों दिशाओं में सामाजिक कर सकते हैं। टिप्पणी कीजिए।

.....
.....
.....

10.5 बच्चों के समाजीकरण को प्रभावित करने वाले अन्य कारक

समाजीकरण के इन प्रमुख कारकों के अलावा, अन्य कई कारक हैं जो बच्चों के समाजीकरण में सहायता करते हैं। ऐसे कारकों के बारे में संक्षिप्त विवरण यहाँ दिया गया है:

खेल: खेल बच्चे के समाजीकरण में भी सहायता करते हैं। खेलों में सामाजिक सहभागिता का एक स्वाभाविक प्रदर्शन है। खेल में है कि स्वस्थ संघर्ष और प्रतियोगिता की भावना प्रदर्शित की जाती है। शहर या जीत से बुरी भावना उत्पन्न नहीं करनी चाहिए, यह सीख खेल द्वारा बनाई गई है। यह खिलाड़ियों के बीच सहयोग की भावना के स्वाभाविक विकास की सुविधा प्रदान करता है। खेल में जाति और समुदाय के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता।

बच्चे की देखभाल और पालन—पोषण: बच्चे की परवरिश समाजीकरण की प्रक्रिया में बहुत सहायक होती है। परिवार का वातावरण बच्चे और के लिए सुखदायक नहीं है और उसेअपने माता—पिता से उचित देखभाल और ध्यान नहीं मिल रहा है, तो उसमें समाज विरोधी प्रवृत्तियों का विकास हो सकता है। यह तब होता है जब परिवार स्थिर नहीं रहता या माता—पिता या बच्चे के बीच तनाव बना रहता है। ऐसे बच्चे सामाजिक कुप्रथा के शिकार होते हैं।

सहानुभूति और प्रेम: सहानुभूति और प्रेम के एक शब्द से ही बच्चे में भारी बदलाव लाया जा सकता है। बचपन और प्रारंभिक बचपन के दौरान, एक बच्चा अपने परिवार और अन्य रिश्तेदारों पर पूरी तरह से निर्भर होता है। यदि बच्चे के साथ सहानुभूति और प्रेम से व्यवहार किया जाता है तो वह भी दूसरों के साथ ऐसे ही व्यवहार करेगा।

सख्त पर्यवेक्षण: सफल समाजीकरण के लिए, परिवार के सदस्यों द्वारा सख्त पर्यवेक्षण आवश्यक है। केवल कुछ आनंद प्राप्त करने के लिए ही बच्चा कई कार्य गलत कर सकता है। इसलिए, यदि उसकी गतिविधियों पर ठीक से नजर रखी जाए, तो वह असामाजिक व्यवहार को विकसित करने में सक्षम नहीं होगा।

सहयोग: बच्चे को दिया गया सहयोग उसके अंदर श हम श की भावना पैदा करता है। उसे पता चलता है कि कोई भी कठिन कार्य बहुत आसानी से पूरा हो सकता है, यदि सहकारी और एकजुट प्रयास हों। इस तरह से, वह बच्चा भी समाज के अन्य सदस्यों के लिए सहयोग की भावना रखेगा।

सलाह: सामान्य तौर पर एक बच्चा उसके शुभचिंतकोंद्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार कार्य करता है। यदि समय पर सलाह दी जाए तो तो बच्चे को अपने कार्यों में नकारात्मक परिणामों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह समाजीकरण की प्रक्रिया में सुधार करेगा और एक बेहतर समाजीकरण की ओर ले जाएगा।

धर्म: बच्चे के समाजीकरण के संबंध में धर्म का महत्वपूर्ण योगदान है। जब बच्चा अपने धर्म के बच्चों या अन्य धर्मों में विश्वास रखने वाले बच्चों से मिलता है तो उसमें सहानुभूति, सहयोग, दूसरे साथियों के प्रति सहयोग की भावना और समाजीकरण के लिए समायोजन का गुण उसे सही मायनों में समाजीकरण की ओर अग्रसर करेगा।

सामाजिक श्रेणी: बच्चों की सामाजिक श्रेणी & जाति अपने विशिष्ट आदर्शों, दृष्टिकोण, रीति-रिवाजों, पारंपरिक और संस्कृति के अनुसार उन्हें सामाजिक बनाने का प्रयत्न करती है। यही कारण है कि विभिन्न जातियों के बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से अलग-अलग दिखाई देती है।

पड़ोस: पड़ोस एक व्यापक और बड़े हुए परिवार की तरह है। यदि पड़ोस अपने आप में पूर्ण, रचनात्मक और अनुकूल है य तो बच्चे का समाजीकरण एक सकारात्मक दिशा में होगा। इसके विपरीत, खराब पड़ोस में बच्चों के विकास और समाजीकरण को खराब करने की संभावना रहती है।

इन कारकों के अलावा, समुदाय में भौतिक कारकों का भी समाजीकरण पर प्रभाव पड़ता है। इस तरह के कारक हैं : जनसंख्या घनत्व और उनकी विशेषता, शोर, घरों के प्रकार और उनकी व्यवस्था, और खेलने की जगह। एक समुदाय में आर्थिक कारक भी बच्चों के दैनिक जीवन और समाजीकरण को आकार देने में एक केंद्रीय भूमिका निभाते हैं।

गतिविधि 2

निम्नलिखित कारक बच्चे के समाजीकरण को कैसे प्रभावित करते हैं ?

खेल

.....
.....
.....
.....

धर्म

.....
.....

पड़ोस

सामाजिक श्रेणी

10.6 उपसंहार

इस इकाईको पढ़ने के बाद, आपको समाजीकरण के अर्थ और प्रक्रिया के बारे में पता चला होगा। बच्चों की अस्मिता को आकार देने में समाजीकरण एक बड़ा कारक है। हमारे सामाजिक संबंध हमें अपना व्यक्तित्व और दूसरों के प्रति स्वयं की भावना बनाने में सहायता करते हैं। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपनी संस्कृति के मूल्यों, विश्वासों और मानदंडों को सीखते हैं और अंगीकृत करते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया एक दम से होने वाला विकास नहीं है, लेकिन यह एक सतत प्रक्रिया है जो बच्चे के जन्म से शुरू होती है। बच्चों के समाजीकरण में परिवार, विद्यालय, समुदाय, संचार और साथी-समूह जैसे विभिन्न अभिकरण एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब बच्चे परिवार के सदस्यों के संपर्क में आते हैं, तो वे सामाजिक हो जाते हैं और दूसरों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करते हैं, आगे, जब वे बड़े होते हैं, तो वे अपने आप को साथियों, विद्यालय, समुदाय के सदस्यों, संचारआदि के संपर्क में आने से उनका समाजीकरण प्रभावित होता है, इसलिए उपरोक्त सभी अभिकरण समय के अनुरूप बच्चों के व्यक्तित्व के वांछनीय दृष्टिकोण विकसित करने के लिए उन्हें सही आकार देने में सहायता करते हैं।

10.7 संदर्भ और प्रस्तावित अध्ययन सामग्री

अर्नोट, जे.जे. (1995). ब्रॉड एंड नैरो सोशलार्झेशन: द फॅमिली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए कल्चरल थ्योरी. जर्नल ऑफ मैरिज एंड द फॅमिली, 57 (3), 617–628.

बैलेंटाइन. जे.एच. एंड स्पेड, जे.जेड. (2015). स्कूल्ज एंड सोसाइटी: ए सोशियोलॉजिकल एप्रोच टू एजुकेशन नई दिल्लीरु सेज पब्लिशर्स, इंक.

ब्राउन, फ्रांसिस जे. (1954). एजुकेशनल सोसाइटी. न्यूयॉर्कर्ल प्रेंटिस हॉल.

चंदा, एस.एस. और शर्मा आर.के. (2002). सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, नई दिल्ली: अटलांटिक पब्लिशर्स.

चंद्रा, एस.एस. (1996). सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, गुवाहाटी, ईस्टर्न बुक हाउस.

- दुर्खीम, ई. (1996). एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी, न्यूयॉर्क: द प्री प्रेस.
- गोर, एम.एस. एंड पी. देसाई (1967). पेपर्स इन सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन इन इंडिया,, दिल्ली : एनसीईआरटी.
- हेंडेल, जी. काहिल और एलिन, एफ. (2007). चिल्ड्रेन एंड सोसाइटीरुद सोशियोलॉजी ऑफ चिल्ड्रेन एंड चाइल्डहुड सोशलाईजेशन : लंदन: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.
- हेमलता, टी. (2002). सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन्स ऑफ एजुकेशन, न्यूदिल्ली: कनिष्ठा पब्लिशर्स।
- मोसिश, लूर (1972). सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशनरु एन इंट्रोडक्शन. लंदन: जॉर्ज लेलन और अनविन.
- पांडे, के.पी. (1983). पर्सपेक्टिव इन सोशल फाउंडेशन्स ऑफ एजुकेशन, इंडिया: अमिता प्रकाशन, गाजियाबाद.
- शुक्ला, एस. एंड कुमार, के. (1985). सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, न्यू दिल्ली: चाणक्य पब्लिकेशन.
- सोढ़ी, टी.एस एंड सूरी, अरुणा (1998). फिलोसोफिकल एंड सोशियो लॉजिकल फाउंडेशन्स ऑफ एजुकेशन, पटियालारू बावा पब्लिकेशन.
- स्टब, होलगर , आर. (1975). द सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, इलिनोइस: द डोरसी प्रेस.

10.8 अपनी प्रगति के लिए उत्तर की जाँच करें

1. परिवार, विद्यालय, समुदाय, मीडिया, साथी समूह आदि।
2. बड़ों का आदर करना, सहिष्णुता, अनुकूलनशीलता, दूसरों के प्रति संवेदनशीलता आदि।
3. शिक्षक की भूमिका निम्नलिखित तरीकों से बच्चे को सामाजिक बनाने में सहायता करती हैरू विद्यार्थियों को बौद्धिक गतिविधियों में संलग्न करने के लिए प्रेरित करनाय विद्यार्थियों को व्यवहार के बारे में प्रतिक्रिया देना और उन्हें व्यवहार के वांछनीय तरीकों के बारे में सुझाव देना य यदि भूमिका निर्धारण और भूमिका प्रस्तुत करने का संबंध है विद्यार्थियोंके सामने अपने स्वयं के उदाहरण प्रस्तुत करनाय और समाज में विभिन्न पदों का ज्ञान देना और बच्चों को भूमिका—व्यवहार के लिए तैयार करना।
4. स्व अभ्यास
5. स्व अभ्यास
6. स्व अभ्यास

इकाई 11 शिक्षा में मुद्दे एवं चिन्ताएं

संरचना

11.1 परिचय

11.2 उद्देश्य

11.3 शिक्षा में पहुंच और नामांकन

11.3.1 पहुंच और नामांकन के मुद्दे

11.3.2 पहुंच और नामांकन बढ़ाने के लिए रणनीतियाँ

11.4 शिक्षा में अवधारण

11.4.1 अवधारण के मुद्दे

11.4.2 अवधारण बढ़ाने के उपाय

11.5 शिक्षा में गुणवत्ता

11.5.1 शिक्षा में गुणवत्ता के मुद्दे

11.5.2 शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाना

11.6 शिक्षा में समानता और समता

11.6.1 असमानता के कारण और आयाम

11.6.2 समानता और समता प्राप्त करने के उपाय

11.7 विविध समूहों के लिए शिक्षा

11.7.1 शैक्षिक विन्यास में विविध समूहों की आवश्यकताएं

11.7.2 शैक्षिक विन्यास में विविध समूहों की जरूरतों को संबोधित करना

11.8 सारांश

11.9 संदर्भ ग्रंथ सूची और सुझावित अध्ययन सामग्री

11.10 अपनी प्रगति जाँच के लिए उत्तर

11.1 परिचय

शिक्षा एक राष्ट्र की प्रगति और विकास का एक प्रमुख निर्धारक है। राष्ट्र के विकास के लिए शिक्षा के महत्व को महसूस करते हुए, इसे (शिक्षाको) वर्ष 1976 में भारतीय संविधान के 42 वें संशोधन के तहत भारतीय संविधान की समर्वर्ती सूची में शामिल किया गया है। भारत की स्वतंत्रता से अब तक, भारत सरकार शिक्षा पर कई व्यापक योजनाओं, कार्यक्रमों और उपायों को लागू करने की प्रक्रिया में है, जिसके तहत भारत में शिक्षा की समग्र प्रगति और विकास सुनिश्चित करने वाले सबसे व्यापक कार्यक्रम जैसे समग्र शिक्षा और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान शामिल है। यद्यपि भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकारों के साथ-साथ गैर-सरकारी प्रयासों (जैसे गैर-सरकारी संगठनों) और सामान्य जनता के सहयोग से दोनों स्तर पर विनियमित प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन, अब तक हम अपनी शिक्षा प्रणाली में कई मुद्दों और समस्याओं के कारण अपने शैक्षिक लक्ष्यों को संतोषजनक रूप से प्राप्त करने में सफल नहीं हैं। इन संदर्भों का उल्लेख करते हुए इस इकाई में, हम शिक्षा में विविध समूहों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के साथ-साथ पहुंच, नामांकन, अवरोधन, गुणवत्ता, समानता तथा भागीदारी के संदर्भ में भारतीय शिक्षा में निहित मुद्दों और चिंताओं पर चर्चा करेंगे।

11.2 उद्देश्य

इस इकाई के माध्यम से आप निम्न प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे:

- शिक्षा में पहुंच, नामांकन, अवरोधन, गुणवत्ता, समानता और भागीदारी के मुद्दों का वर्णन कर सकेंगे
- शिक्षा में पहुंच, नामांकन, अवरोधन, गुणवत्ता, समानता और भागीदारी प्राप्तकरने के लिए मध्यस्थ रणनीतियों या उपायों की व्याख्या कर सकेंगे
- शिक्षा में विविध समूहों की आवश्यकताओं को परिभाषित कर सकेंगे
- शिक्षा में विविध समूहों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए विभिन्न मार्गों का वर्णन कर सकेंगे तथा
- शिक्षा में समाज के कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए संचालित हो रहे चुनिंदा कार्यक्रमों और योजनाओं से परिचित हो सकेंगे।

11.3 शिक्षा में पहुंच और नामांकन

शिक्षा में प्रवेश और नामांकन किसी भी शिक्षा प्रणाली की नींव या अनिवार्य बिंदु होते हैं। शिक्षा की पहुंच मूल रूप से शिक्षा में सुविधाओं और अवसरों के प्रावधान को दर्शाता है। शिक्षा में छात्रों के नामांकन का तात्पर्य शिक्षा में छात्रों के प्रवेश या पंजीकरण से है। पहुंच, शिक्षा में नामांकन के लिए एक पूर्व शर्त है। स्कूली शिक्षा के लिए पहुंच से तात्पर्य बच्चों के लिए स्कूल की पर्याप्त व्यवस्था से है। इस प्रावधान को बच्चों के लिए आवश्यक विद्यालयों की संख्या, विद्यालयों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं, बच्चों के घर से उचित दूरी पर विद्यालयों की उपस्थिति, विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षण—अध्ययन सुविधाओं, आदि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। स्कूलों में पर्याप्त संख्या में स्कूलों और सुविधाओं की व्यवस्था करने के बाद, अगला बिंदु यह देखना है कि स्कूलों में पर्याप्त संख्या में बच्चे भर्ती हैं या नहीं।

भारतीय संविधान (2002) का 86 वां संशोधन छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009) उल्लेख करता है कि छह से चौदह वर्ष की आयु समूह के सभी बच्चों को पड़ोस के स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा। निरुशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए लिंग, जाति, वर्ग, रंग, नृजाति, संस्कृति, जन्म स्थान या निवास आदि में अंतर के बावजूद सभी बच्चों के लिए शिक्षा में समान पहुंच की आवश्यक है।

समग्र शिक्षा (एक व्यापक कार्यक्रमजो तीन योजनाओं अर्थात् सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा को समाहित करता है) और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जैसे सरकार के कई अन्य फ्लैगशिप कार्यक्रम सहित कई अन्य योजनाएं विभिन्न स्तरों पर जैसे बुनियादी शिक्षा से उच्च शिक्षा के स्तर तक शिक्षा में पहुंच, नामांकन संबंधी उपलब्धियों को बढ़ावा देने के लिए देश में परिचालन में हैं।

शिक्षा के विभिन्न स्तरों में पहुंच और नामांकन बढ़ाने की आवश्यकता है। विशेषनिवास स्थान या क्षेत्र, लिंग, शारीरिक विकृति, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, आदि से आने वाले वंचित वर्गों के छात्रों हेतु उनकी शिक्षा में पहुंच और नामांकन के लिए उचित प्रावधान किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, शारीरिक विकलांगता वाले छात्र को एक बाधा—मुक्त संस्थागत माहौल प्रदान किया जाना चाहिए जहां उसे / उसके आवागमन तथा

विभिन्न स्कूली सुविधाओं तक पहुंच में बहुत कठिनाई न हो। एक बालिका को अपने लिंग के कारण किसी शैक्षणिक संस्थान में असुरक्षित महसूस न हो तथा उसे कोई भी लाभ प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। कई बार हम पाते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों या भौगोलिक रूप से वंचितधिपिछड़े क्षेत्रों के छात्रों में शिक्षा की पहुंच कम है। उनका नामांकन भी कम है। इसलिए, सभी श्रेणियों के बच्चों के लिए शिक्षा में पहुंच और नामांकन की समता और समानता बनाए रखने की आवश्यकता है।

आइए हम शिक्षा में पहुंच और नामांकन के कुछ मुद्दों पर चर्चा करें, और शिक्षा में पहुंच और नामांकन बढ़ाने के लिए रणनीति बनाएं।

11.3.1 पहुंच और नामांकन के मुद्दे

शिक्षा में बढ़ती पहुंच और नामांकन के रास्ते में कई मुद्दे या बाधाएं पाई जाती हैं। यहां हम पहुंच और नामांकन के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे।

संस्थानों की अवस्थिति: शैक्षणिक संस्थानों के आसपास बिखरी हुई बस्तियां, शैक्षिक संस्थानों तक जाने के लिए खराब मार्ग, शैक्षणिक संस्थानों से छात्रों के निवास की बहुत अधिक दूरी, आदिशिक्षण संस्थानों में छात्रों के नामांकन में कमी का कारण बनते हैं।

संस्थानों की संख्या में कमी: यदि शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों की संख्या छात्रों की मांग के लिए आवश्यक संस्थानों की संख्या से कम है, तो यह छात्रों के समग्र नामांकन को बाधित करता है। यदि भौगोलिक रूप से वंचित और दूरदराज के क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना नहीं की जाती है, तो उन क्षेत्रों में शिक्षा में नामांकन में बाधा आती है।

संस्थानों में खराब सुविधा: कक्षाओं, शिक्षण-अधिगम सामग्री, शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाएं, प्रयोगशालाएं, शिक्षक, खेल के मैदान, स्वच्छता, पेयजल इत्यादि की खराब गुणवत्ता संस्थानों में दाखिला लेने के लिए बड़ी संख्या में छात्रों को आकर्षित नहीं कर सकते हैं।

परिवार की खराब स्थिति: एक गरीब परिवार में, बच्चे अपने परिवार को आर्थिक रूप से सहायता देने के लिए कम आय में ही काम करना शुरू कर देते हैं, और इसी वजह से शायद ही शिक्षण संस्थानों में जाते हैं।

महंगी शिक्षा: प्रारंभिक चरण को छोड़कर, अन्य सभी चरणों (जैसे माध्यमिक चरण, उच्च माध्यमिक चरण, आदि) में शिक्षा महंगी होती जाती है। यहां तक कि पब्लिक स्कूलों में भी प्रारंभिक शिक्षा एक महंगी होती है। अगर शिक्षा सस्ती नहीं होती है तो यह कई छात्रों की पहुंच से बाहर हो जाएगी।

घरेलू काम का दबाव: कुछ परिवारों जैसे एकल-माता-पिता का परिवार, वृद्ध माता-पिता का परिवार, एकल परिवार, गरीब परिवार, आदि के बच्चे घरेलू कामों में व्यस्त रहते हैं या कई परिस्थितियों में पैसा कमाने में व्यस्त रहते हैं। वे अपने परिवार के सदस्यों की मदद करने के लिए आय के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं और इसलिए वे शैक्षणिक संस्थानों में शामिल नहीं होते हैं।

माता-पिता की अशिक्षा और जागरूकता की कमी: बहुत से माता-पिता अपनी अशिक्षा और शिक्षा के प्रति जागरूकता की कमी के कारण अपने बच्चों की शिक्षा को महत्व नहीं देते हैं। ऐसे माता-पिता अपने बच्चों को शिक्षण संस्थानों में भेजने की बजाय घरेलू गतिविधियों, फर्मों, व्यवसाय आदि में संलग्न करते हैं।

सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंड: परिवार के सदस्यों के अंध—विश्वास, अविश्वास, इत्यादि से संबंधित सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंड परिवार के बच्चों की शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए, कई संस्कृतियों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक लड़की के स्थान पर एक लड़के को वरीयता दी जाती है।

11.3.2 पहुंच और नामांकन बढ़ाने के लिए रणनीतियाँ

शिक्षा में पहुंच और नामांकन बढ़ाने के लिए, कई रणनीतियों को अपनाया जा सकता है। आइए कुछ सामान्य रणनीतियाँ खोजें जो शिक्षण संस्थानों में पहुंच और नामांकन बढ़ाने के लिए उपयोगी हैं:

- शैक्षिक संस्थानों में उचित परिवहन और संचार सुविधाओं की व्यवस्था करना।
- आवश्यकता के अनुसार शिक्षण संस्थानों की संख्या स्थापित करना।
- शैक्षिक संस्थानों में पर्याप्त सुविधाएँ बनानाजिनमें भौतिक आधारभूत संरचना (जैसे भवन, कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, फर्नीचर, आदि), शिक्षण—अधिगम सामग्री, शिक्षण—अधिगम प्रक्रिया, छात्रों का मूल्यांकन और इत्यादि।
- स्कूल से बाहर के बच्चों के लिए आयु—उपयुक्त प्रवेश सुविधा प्रदान करना।
- जहाँ भी आवश्यकता हो आवासीय औरध्या मोबाइल शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करना।
- अपने बच्चों की शिक्षा के बारे में माता—पिता के लिए जागरूकता और परामर्श प्रदान करना।
- छात्रों के लिए शिक्षा को सस्ता बनाना। इसके अलावा, शिक्षा के लिए पर्याप्त धन दिया जाना चाहिए।
- औपचारिक शिक्षा के लिए अन्य वैकल्पिक तरीके प्रारंभ करना जैसे दूरस्थ शिक्षा, गैर—औपचारिक शिक्षा, खुली शिक्षा, आदि ताकि उन छात्रों की शैक्षिक मांगों को पूरा किया जा सके जो औपचारिक शिक्षा में प्रवेश नहीं कर सकते हैं।
- ग्रामीण क्षेत्रों, मलिन बस्तियों, पर्वतीय क्षेत्रों, जंगलों आदि जैसे वंचित क्षेत्रों के बच्चों के लिए शिक्षा में विशेष प्रावधान करना।

अपनी प्रगति जाँचें 11.1

टिप्पणी : क) नीचे दिए गए खाली स्थान पर उत्तर लिखिए :

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से अपने उत्तर की तुलना कीजिए।

1. शिक्षा में पहुंच क्या है?

.....
.....
.....

2. उन योजनाओं का नाम बताइए जो समग्र शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत समाहित है।

.....

3. शिक्षण संस्थानों में खराब सुविधा, शिक्षा में पहुंच और नामांकन को कैसे प्रभावित करती है?
-
-
-

11.4 शिक्षा में अवधारण

शिक्षा में एक छात्र का अवरोधन का अर्थ आम तौर पर एक ऐसी दशा या स्थिति से होता है जिसमें छात्र शिक्षा के स्तर पर या अधिगम के पाठ्यक्रम में तब तक बना रहता है भाग लेता है तथा वह उसमें तब तक भर्ती रहता है जब तक कि वह शिक्षा के उस स्तर या अधिगम के उस पाठ्यक्रम को पूरा नहीं करता। यदि कोई बच्चा प्राथमिक विद्यालय में दाखिल होता है और वह विद्यालय में अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ देता है, तो उसे/उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक उसे अवधारित नहीं माना जाता है। आमतौर पर, अवधारण दर को शिक्षा के स्तर या अधिगम के पाठ्यक्रम के आधार पर गिना जाता है। एक शिक्षा प्रणाली की दक्षता बहुत हद तक अपने छात्रों के अवरोधन के माध्यम से विस्तार से समझी जाती है। अवरोधन एक तरफ ड्रॉप आउट तथा दूसरी तरफ पदोन्नति से दृढ़ता से प्रभावित होता है। आइये, बीच में छोड़ना (ड्रॉप आउट) और पदोन्नति का अर्थ समझते हैं:

बीच में छोड़ना (ड्रॉप आउट) : शिक्षा में एक छात्र के ड्रॉप आउट होने का तात्पर्य एक ऐसी स्थिति से है जिसमें छात्र अध्ययन के स्तर या सीखने के स्तर को को पूरा करने से पहले ही उसे छोड़ देता है। ड्रॉप आउट अवधारण का विपरीत है। शिक्षा में ड्रॉप आउट या उसे जारी न रखना एक प्रकार से शिक्षा की हानि है।

पदोन्नति : शिक्षा में एक छात्र की पदोन्नति का संदर्भ यह इंगित करता है कि छात्र ने सफलतापूर्वक एक निश्चित समय के भीतर अध्ययन या अधिगम के स्तर को पूरा कर लिया है। यदि कोई छात्र किसी विशेष स्तर के अध्ययन या अधिगम के पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए दिए गए निर्धारित समय से अधिक समय लेता है, तो इसे ठहराव (जंहदंजपवद) कहा जाता है। ठहराव लगभग विफलता का पर्याय है। शिक्षा में ठहराव एक प्रकार का निरोध या पुनरावृत्ति पदोन्नति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है।

शिक्षा में महज नामांकन का कोई मतलब नहीं है जब तक कि उसमें अवधारण न हो। शिक्षा के एक विशेष स्तर (उदाहरण के लिए उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा) में नामांकित होने के बाद, एक छात्र को इसमें बने रहना चाहिए और अपनी उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को लाभदायक या सफल बनाने के लिए इसे सफलतापूर्वक पूरा करना चाहिए। शिक्षा प्रणाली में शिक्षा को बीच में छोड़ने की इस व्यवस्था को कई मायनों में विफल बना देती है। शिक्षा प्रणाली में ड्रॉप आउट दर जितनी अधिक होगा, व्यवस्था का उतना ही अधिक नुकसान होगा।

देश में शिक्षा के विभिन्न स्तरों में ड्रॉप आउट एक गंभीर चिंता है। हालांकि शिक्षा के प्राथमिक स्तर में देश ने लंबे समय तक नो-डिटेंशन पॉलिसी का पालन किया, लेकिन छात्रों के ड्रॉप आउट दर में प्राथमिक स्तर की शिक्षा पर संतोषजनक रूप से कमी नहीं आई है। वर्ष 2009–10 से प्राथमिक शिक्षा में ड्रॉपआउट दरों में लगातार गिरावट आई है।

वर्ष 2009–10 और 2012–13 के बीच, प्राथमिक शिक्षा में वार्षिक औसत ड्रॉप आउट दर 9.1 प्रतिशत से घटकर 4.7 प्रतिशत रह गई। ड्रॉपआउट दर, हालांकि साल–दर–साल घट रही हैफिर भी यह एक बड़ी चुनौती बनी हुई है (NUEPA, 2014, च–•viii)। शिक्षा के अन्य चरणों की तुलना में माध्यमिक स्तर में ड्रॉपआउट दर बहुत अधिक है।

शिक्षा में ड्रॉप आउट देश की शिक्षा के लिए एक खतरा है। यह शिक्षा में अवधारण को कम करके शिक्षा के लिए एक चिंताजनक रिथर्टि पैदा करता है। सबसे गरीब परिवारों के बच्चों, सामाजिक रूप से वंचित परिवारों, तथा ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों के बच्चों के बीच शिक्षा में अवधारण बहुत कम है। आइये हम शिक्षा में अवधारण के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों एवंशिक्षा में अवधारण को बढ़ाने के बारे में जानें।

11.4.1 अवधारण के मुद्दे

शिक्षा में विद्यार्थियों की अवधारण बड़ी संख्या में बाधक कारकों की वजह से कम हो जाती है। ऐसे कारकों में से कुछ नीचे वर्णित हैं:

संस्थागत सुविधाएँ: संस्थानों में कक्षाओं, खेल के मैदानों, शौचालयों, पानी की आपूर्ति, छात्रावासों आदि के संदर्भ में उचित सुविधाओं की कमी से संस्थानों में विद्यार्थियों का अवधारण कम हो जाता है। इसके अलावा, पाठ्यक्रम, शिक्षाशास्त्र, शिक्षक योग्यता, आदि के संदर्भ में संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव संस्थानों में छात्रों के प्रतिधारण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

संस्थागत वातावरण: यदि संस्थानों का वातावरण शब्दुतापूर्ण, निरंकुश और संकीर्ण राजनीति से प्रभावित है, तो विद्यार्थियों ऐसे माहौल में परेशान महसूस करते हैं और इससे संस्थानों में विद्यार्थियों की अवधारण दर कम हो जाती है। विद्यार्थियों को शारीरिक दंड संस्थानों में विद्यार्थियों के अवधारण दर को कम करता है।

शिक्षक की कमी और अनुपस्थिति: संस्थानों में शिक्षकों की कमी और शिक्षकों की उच्च अनुपस्थिति शिक्षण–अधिगम की गुणवत्ता को कम करती है। संस्थानों में शिक्षण–अधिगम की निम्न गुणवत्ता संस्थानों में विद्यार्थियों की अवधारण को कम करती है।

पाठ्यक्रम भार: कई विद्यार्थी, विशेष रूप से पहली पीढ़ी के छात्र और वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थी, कई बार संस्थानों के पाठ्यक्रम के साथ तालमेल या समायोजन नहीं कर पाते हैं। जब पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के लिए अवास्तविक (unrealistic) और अतिभारित (over loaded) हो जाता है, तो विद्यार्थी इसके साथ समायोजन नहीं कर पाते हैं और खुद को संस्थानों से हटा लेते हैं।

माता–पिता की रुचि और भागीदारी का अभाव: कुछ विद्यार्थी शिक्षा में माता–पिता की रुचि और भागीदारी की कमी के कारण अपनी स्कूली शिक्षा को बंद कर देते हैं। उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों की अवधारण काफी हद तक शिक्षा के प्रति उनके माता–पिता की रुचि और भागीदारी से निर्धारित होती है।

आर्थिक तंगी: गरीब और जरूरतमंद माता–पिता अपनी वित्तीय समस्याओं के कारण अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए नहीं भेज सकते हैं। भले ही वे अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजते हों, लेकिन कई मामलों में, वित्तीय बाधाओं के कारण वे अपने बच्चों को शिक्षा (शिक्षा के किसी विशेष स्तर या पाठ्यक्रम के संबंध में) के पूरे होने से पहले ही शिक्षा छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं।

11.4.2 अवधारण बढ़ाने के उपाय

शिक्षा में विद्यार्थियों का अवधारण को बढ़ाने के कुछ महत्वपूर्ण उपाय नीचे दिए गए हैं:

- बेहतर संस्थागत अवसंरचना और पर्यावरण, पाठ्यक्रम, शिक्षण—अधिगम प्रक्रिया, मूल्यांकन प्रणाली, आदिके संदर्भ में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना।
- सक्षम और प्रतिबद्ध शिक्षकों की आवश्यकतानुसार नियुक्ति और शिक्षक अनुपस्थिति को कम करना।
- शिक्षा में विद्यार्थियों की बेहतर भागीदारी के लिए नियमित रूप से माता—पिता और शिक्षकों की बैठक आयोजित करना।
- संस्थानों में समय—समय पर विद्यार्थियों की उपस्थिति की निगरानी करना।
- लगातार विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन। इसके अलावा, कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए उपचारात्मक कक्षाओं (Remedial Classes) की व्यवस्था करना।
- छात्रों को प्रेरित करने और उन्हें शिक्षा में बनाए रखने के लिए उन्हें मार्गदर्शन और परामर्श सेवाएं प्रदान करने के साथ—साथ प्रोत्साहित करना।
- यदि संभव हो तो विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन (डपक—कंल उमस) प्रदान करना।
- संस्थागत माहौल को शिक्षार्थी के अनुकूल, सुरक्षित और लोकतांत्रिक बनाना।
- अध्ययन सामग्री, पाठ्य पुस्तकों, वजीफा, छात्रवृत्ति, पोशाक, यात्रा प्रोत्साहन और कई अन्य प्रोत्साहनों के रूप में योग्य छात्रों को सहायता प्रदान करना।
- गरीब माता—पिता को छात्र सहायता सेवाओं के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करना ताकि वे अपने बच्चों को शिक्षा के लिए संस्थानों में भेजने के लिए प्रेरित कर सकें।

अपनी प्रगति जाँचें 11.2

टिप्पणी : क) नीचे दिए गए खाली स्थान पर उत्तर लिखिए :

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से अपने उत्तर की तुलना कीजिए।

4. शिक्षा में एक विद्यार्थी की पदोन्नतिसे क्या आशय है?

.....

.....

.....

5. यदि कोई विद्यार्थी किसी विशेष स्तर के अध्ययन या सीखने के पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए दिए गए निर्धारित समय से अधिक समय लेता है, तो उसे कहा जाता है—

- क) अवधारण
- ख) ड्रॉप आउट
- ग) विराम
- घ) ठहराव

6. शिक्षा में अवधारण बढ़ाने के लिए संस्थागत माहौल की प्रकृति क्या होनी चाहिए?

.....
.....
.....

11.5 शिक्षा में गुणवत्ता

किसी भी शैक्षिक प्रणाली का अंतिम लक्ष्य प्रणाली में गुणवत्ता प्राप्त करना है। शिक्षा में गुणवत्ता को समझने से पहले, गुणवत्ता के अर्थ को समझना बेहतर है। गुणवत्ता एक बहुआयामी और सापेक्ष अवधारणा है। इसका कोई पूर्ण या निश्चित अर्थ नहीं है। हालांकि, कई मामलों में, इसे किसी चीज की उत्कृष्टता की सीमा के रूप में परिभाषित किया जाता है या यह किसी पदार्थसामग्री के मानक को दर्शाता है। दूसरे शब्दों में, यह संदर्भित करता है कि 'किसी चीज की विशेषताएं और गुण उसके हितधारकों की मांगों को पूरा करती हैं'। गुणवत्ता को किसी वस्तु के योग्य या मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है। यह किसी चीज की अच्छी या बुरी विशेषताओं को आंकने में मदद करता है। एक शैक्षिक प्रणाली को अधिक गुणात्मक तब कहा जाता है जब यह बुनियादी भौतिक ढांचे, शिक्षण-अधिगम की प्रक्रिया, अधिगम के परिणाम, आदि के संदर्भ में बेहतर शिक्षा प्रदान करता है और इसके विपरीत, एक शैक्षिक प्रणाली को कम गुणात्मक तब कहा जाता है जब यह बुनियादी भौतिक ढांचे, शिक्षण-अधिगम की प्रक्रिया, अधिगम के परिणाम, आदि के संदर्भ में शिक्षा के खराब मानक प्रदान करता है।

गुणवत्ता केवल दक्षता का माप नहीं है इसका एक मूल्य आयाम भी है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार का प्रयास तभी सफल होगा जब यह समानता और सामाजिक न्याय (राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2005, पी - 102) को बढ़ावा देने के लिए कदम से कदम मिलाएगा।

किसी शिक्षण संस्थान की गुणवत्ता के उसके विभिन्न मापदंडों अर्थात् नामांकन, अवधारण, भागीदारी और अंततः उनकी उपलब्धि का छात्रों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि कोई शैक्षणिक संस्थान अपने बेहतर भौतिक अवसंरचना (जैसे कक्षा, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, आदि), समृद्ध पाठ्यक्रम, बेहतर शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया, विद्यार्थी-अनुकूल मूल्यांकन आदि के संदर्भ में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है, तो उस संस्थान में छात्रों के नामांकन, प्रतिधारण, भागीदारी और उपलब्धि को बढ़ाने की अधिकतम संभावना होगी। हालांकि, एक शैक्षिक संस्थान की गुणवत्ता को पहचानने के लिए कई मापदंडों (यानी, नामांकन, प्रतिधारण, भागीदारी आदि) हैं, फिर भी संस्था की गुणवत्ता को पहचानने में मापदंड उपलब्धि की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। यदि नामांकन को शिक्षा का पहला चरण माना जाता है, और अवरोधन को शिक्षा का दूसरा चरण माना जाता है, तो उपलब्धि को शिक्षा में नामांकन और प्रतिधारण के अगले कदम के रूप में माना जा सकता है। विद्यार्थियों की बेहतर उपलब्धि या सफलता हासिल करना किसी भी शिक्षा प्रणाली का अंतिम लक्ष्य है।

शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों का खराब प्रदर्शन प्रणाली के विभिन्न पहलुओं में गुणवत्ता की कमी के कारण होता है। आइये हम निम्नलिखित खंडों में शिक्षा की गुणवत्ता में निहित मुद्दों और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कुछ उपायों को देखें।

11.5.1 शिक्षा में गुणवत्ता के मुद्दे

शिक्षा के हमारे संपूर्ण संपादन में, हम गुणवत्ता के मुद्दों या शिक्षा में निहित समस्याओं की एक बड़ी संख्या पाते हैं। शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण गुणवत्ता मुद्दों पर नीचे चर्चा की गई है:

उद्देश्य संबंधित मुद्दे: यदि संस्थानों में शिक्षा के उद्देश्य वर्तमान समाज और व्यक्तिगत जीवन के विकास में हो रहे परिवर्तन और ज्ञान के विकास आदि के साथ निर्धारित नहीं हैं, तो संस्थानों की शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। संस्थानों में संकीर्ण रूप से परिभाषित और असमान रूप से निर्धारित शिक्षा के उद्देश्य संस्थानों की गुणवत्ता को कम करते हैं।

संसाधन के मुद्दे: संस्थानों में पर्याप्त कक्षाओं, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, पेयजल और स्वच्छता, खेल के मैदान, बैठने की सुविधा, आदि जैसे विभिन्न संसाधनों की कमी संस्थानों की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।

पाठ्यक्रम और अधिगम सामग्री से संबंधित मुद्दे: पाठ्यक्रम में समस्याएं जैसे रुक्ष अवास्तविक पाठ्यक्रम, अतिभारित पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम जिसमें अप्रासंगिक सामग्री शामिल हो, समय और अध्ययन के विषयों के संबंध में खराब रूप से डिजाइन पाठ्यक्रम शामिल हैं। शिक्षा की गुणवत्ता को कम करना। यदि शिक्षण सामग्री की समय पर आपूर्ति नहीं की जाती या समय पर बाजार में उपलब्ध नहीं होती है, तो शिक्षा की गुणवत्ता भी बाधित होती है। इसके अलावा घटिया मानक के अधिगम सामग्री की आपूर्ति, जैसे खराब मानक की पाठ्यपुस्तकों, कार्यपुस्तिकाओं, शैक्षिक सहायता और किट, संदर्भ सामग्री आदि शिक्षा की गुणवत्ता को क्षीण करते हैं।

शिक्षण—अधिगम प्रक्रिया संबंधी मुद्दे: यदि शिक्षण—अधिगम प्रक्रिया मनोरंजक और शिक्षाप्रद नहीं है तो यह शैक्षिक प्रक्रिया की गुणवत्ता में कमी के साथ ही उसे निष्प्रभावी बनाती है। बड़े आकार की कक्षाओं, विषम रूप से मिश्रित कक्षाओं, बहु—ग्रेड कक्षाओं, आदि को विशेष शैक्षणिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है, और यदि इन कक्षाओं में उनकी प्रकृति पर विचार किए बिना समान शिक्षाशास्त्र का उपयोग किया जाता है, तो इन कक्षाओं में शिक्षण—अधिगम की गुणवत्ता में बाधा आती है।

मूल्यांकन से संबंधित मुद्दे: शिक्षा में छात्रों के व्यवहार का सतत और व्यापक मूल्यांकन एवं प्रतिक्रिया का अभाव शिक्षा की गुणवत्ता को कम करता है। इसके अलावा, प्रत्येक छात्र के प्रति व्यक्तिगत ध्यान की कमीय कमजोर छात्रों को उपचारात्मक कक्षाएं न देनाय और उज्ज्वल छात्रों के लिए उन्नत अभ्यास और कार्य, आदि विभिन्न तरीके शिक्षा की गुणवत्ता को कमजोर करते हैं।

शिक्षक से संबंधित मुद्दे: शिक्षक की अनुपस्थिति और पर्याप्त संख्या में योग्य और सक्षम शिक्षकों की कमी शिक्षा की गुणवत्ता को खराब करती है। अपने पेशे के प्रति उचित रूप से प्रेरित और प्रतिबद्ध शिक्षकों की कमी भी शिक्षा की गुणवत्ता को बुरी तरह से प्रभावित करती है।

प्रबंधन और पर्यवेक्षण से संबंधित मुद्दे: संस्थानों के विभिन्न पहलुओं में उचित प्रबंधन का अभाव, जैसे समय का प्रबंधन (उदाहरण के लिए कक्षा अनुसूची, शैक्षणिक कैलेंडर, आदि), भौतिक संसाधनों (उदाहरण के लिए शिक्षण—अधिगम सामग्री, शिक्षण—अधिगम साधन आदि), मानव संसाधन (उदाहरण के लिए शिक्षक, शिक्षण के लिए सहायक कर्मचारी, आदि) और विभिन्न गतिविधियाँ (उदाहरण के लिए कक्षा में शिक्षण—अधिगम, मूल्यांकन, आदि) संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता को कम करती हैं। इसके अलावा, संस्थानों की विभिन्न गतिविधियों की योजनाबद्ध पर्यवेक्षण और निगरानी की कमी से संस्थानों के शिक्षा की गुणवत्ता में कमी आती है।

गतिविधि 1

ऊपर चर्चा किये गए शिक्षा की गुणवत्ता के मुद्दों के अलावा, उल्लेख करें कि आपके अनुसार वे अन्य मुद्दे क्या हैं जो शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

11.5.2 शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाना

शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने के कुछ महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं:

- इमारतों, कक्षाओं, फर्नीचर, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, स्वच्छता सुविधाओं, आदि के संदर्भ में संस्थागत बुनियादी ढांचे का विकास।
- समाज में शिक्षार्थियों की बदलती जरूरतों के अनुसार शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित करना।
- पाठ्यक्रम को छात्रों कीआवश्यकता के अनुसार बनाने के लिए पाठ्यक्रम में सुधार लाना।
- विभिन्न शिक्षण—अधिगम संदर्भों की मांग के अनुसार विविध शिक्षार्थी—केंद्रित शैक्षणिक तकनीकों को अपनाना।
- शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शिक्षण—अधिगम में आईसीटी आधारित सामग्रियों सहित नवीन प्रथाओं का उपयोग करना।
- शिक्षार्थियों के व्यवहार के विभिन्न पहलुओं का लगातार आकलन करना।
- पर्याप्त संख्या में सक्षम और प्रतिबद्ध शिक्षकों की नियुक्ति और शैक्षिक प्रणाली की जरूरतों के अनुसार शिक्षकों को निरंतर प्रशिक्षण प्रदान करना।
- शिक्षकों और शिक्षणशास्त्र की बदलती आवश्यकता की रोशनी में शिक्षक—शिक्षा प्रणाली को मजबूत करना।
- शिक्षा के विभिन्न संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन के लिए शिक्षा प्रणाली को एक प्रभावी नेतृत्व और प्रबंधन शैली प्रदान करना।
- शिक्षा में समुदाय के सदस्यों की सक्रिय भागीदारी और समर्थन को सुरक्षित रखना।
- संस्थानों के विभिन्न पहलुओंधापदंडों में गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए संस्थानों में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना।
- संस्था के समग्र विकास और वृद्धि के लिए संस्थागत माहौलको लोकतांत्रिक बनाना और संस्थागत गतिविधियों को विकेंद्रीकृत करना।

अपनी प्रगति जाँचें 11.3

टिप्पणी : क) नीचे दिए गए खाली स्थान पर उत्तर लिखिए :

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से अपने उत्तर की तुलना कीजिए।

7. शिक्षक से संबंधित उन मुद्दों का वर्णन करें जो शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।

.....
.....
.....
.....

11.6 शिक्षा में समानता और समता

शिक्षा में समानता एक ऐसी अवस्था या स्थिति को संदर्भित करती है जिसमें सभी व्यक्तियों या हितधारकों को शिक्षा में एक ही तरह के अवसर दिये जाता है, भले ही उनके बीच भिन्नता हो। दूसरी ओर, शिक्षा में समता एक ऐसी अवस्था या स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें व्यक्तियों या हितधारकों को उनकी आवश्यकताओं, रुचियों, सामर्थ्य या क्षमताओं, आदि के अनुसार शिक्षा में अवसर या उपचार प्रदान किया जाता है। सभी बच्चों को सामान शिक्षा प्रदान करता शैक्षिक समानता का एक उदाहरण हैं, जबकि प्रत्येक बच्चे को उसकी जरूरतों, रुचियों और क्षमताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान करना शैक्षिक समता का एक उदाहरण है। सभी बच्चों को वजीफे की समान राशि प्रदान करना शैक्षिक समानता का एक उदाहरण है। सभी बच्चों को वजीफे की समान राशि प्रदान करना शैक्षिक समानता का एक उदाहरण है। किसी देश के विभिन्न क्षेत्रों के शैक्षणिक संस्थानों में एक ही पाठ्यक्रम को लागू करना शैक्षिक समानता के तहत माना जाता है, जबकि किसी देश के विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में अलग-अलग पाठ्यक्रम लागू करना शैक्षिक समता के तहत माना जाता है।

कुछ स्थितियों में समता, समानता प्राप्त करने के लिए पूर्व शर्त के रूप में कार्य करती है। चूंकि समता संसाधनों की आवश्यकता—आधारित और उचित प्रावधान को बढ़ावा देता है, इसलिए विभिन्न तरीकों से यह समानता प्राप्त करने में मदद करता है। कुछ अन्य स्थितियों में समता और समानता को एक ही अर्थ में उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए जब हम लैंगिक समानता कहते हैं, तो व्यावहारिक रूप से इसका अर्थ अलग—अलग लिंग (पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर) के प्रति समान व्यवहार बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका संदर्भ उनकी आवश्यकताओं और जरूरतों के अनुसार उनसे बर्ताव करने से है। विभिन्न लिंगों के लोगों की आवश्यकताएं और जरूरतें सभी संदर्भों में समान नहीं हैं। इसलिए, लैंगिक समता और लैंगिक समानता को एक दूसरे के पर्यायवाचक के रूप में उपयोग किया जाता है।

शिक्षा के अवसर का समानिकरण का प्रतिबिंब इसके विभिन्न पहलुओंशिक्षा के चरणों जैसे कि पहुंच या प्रावधान, नामांकन या प्रवेश, प्रक्रिया या संचालन और अंतिम परिणाम याप्रतिफल में दिखाई देता है। शैक्षिक अवसर की बराबरी का दायरा केवल शिक्षण संस्थानों की पर्याप्त संख्या खोलने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें संस्थानों के परिचालन पहलुओं या संस्थानों के शिक्षण—अधिगम का प्रकार, और संस्थानों में छात्रों के सफलता स्तर को

भी शामिल किया जाता है। इस संदर्भ में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) ने इस बात पर जोर दिया कि समानता को बढ़ावा देने के लिए न केवल पहुंच में बल्कि सफलता के लिए सभी को समान अवसर प्रदान करना आवश्यक होगा।

आइए हम निम्नलिखित शीर्षों में असमानता के आयामों और कारणों एवं समानता और समता प्राप्त करने के उपायों पर चर्चा करें।

11.6.1 असमानता के कारण और आयाम

शिक्षा में असमानता तब उत्पन्न होती है जब कुछ व्यक्ति या समूह अन्य व्यक्तियों या समूहों की तुलना में शिक्षा के विभिन्न पहलुओं जैसे कि पहुंच, नामांकन, प्रसंस्करण, उपलब्धि, आदि में नुकसान की स्थिति में होते हैं। भारतीय भूमि विश्व की संपूर्ण भूमि का 2.4: हिस्सा है। और भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया का 7वां देश है। भारतीय भूगोल विविध भूगोल है और भारतीय संस्कृति एक विश्वबंधुत्व वाली संस्कृति है। इस विशाल देश में, व्यक्तिगत जीवन और समाज के विभिन्न आयामों में एक साथ असमानता और एकता देखी जाती है, और इस तरह की असमानता और एकता का देश की शिक्षा प्रणाली पर एक मजबूत प्रभाव पड़ता है।

भारत में विविधता के कुछ सामान्य आयाम जिनकी चर्चा की जाती हैं, वे हैं नस्ल, धर्म, भाषा, जाति, वर्ग, भौगोलिक स्थिति, आदि। हालांकि ये हमारे समाज की विभिन्न विविधताएं हैं, फिर भी हम इन विविधताओं को कमजोरियां नहीं बल्कि अपनी ताकत के रूप में मानते हैं और अभ्यास करते हैं। ये विविधताएं हमें एक सूत्र में बांधने और एकजुट करने में मदद करती हैं। आइए भारत में शिक्षा में असमानता के कुछ कारणों पर चर्चा करते हैं।

प्रचलित सामाजिक विषमताएँ: नस्ल, जाति, वर्ग, संस्कृति, धर्म आदि के संदर्भ में प्रचलित सामाजिक विषमताओं की संकीर्ण व्याख्या शिक्षा प्रणाली में असमानता पैदा करती है।

लैंगिक असमानता: लिंग से संबंधित सामाजिक रीति-रिवाजों, परंपराओं, अंधविश्वासों आदि को रोकना विभिन्न लिंगों के लोगों की शिक्षा को प्रभावित करता है। लड़कियों और ट्रांसजेंडर बच्चों को सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक पदों पर लड़कों की तुलना में कम लाभ मिलता है।

शारीरिक और मानसिक क्षमता में अंतर: जिन बच्चों में शारीरिक, संवेदी और बौद्धिक चुनौतियां होती हैं या जो दिव्यांग होते हैं, वे कई मामलों में अपनी शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। यह शैक्षिक अवसर या प्राप्ति में असमानता पैदा करता है।

घर के वातावरण में अंतर: घर के माहौल में अंतर शैक्षिक स्थिति में घोर असमानता पैदा करता है। उदाहरण के लिए, एक मलिन बस्ती में रहने वाले गरीब परिवार के एक बच्चे को शहर के मुख्य क्षेत्र में के उच्च-स्थिति वाले परिवार के बच्चोंके सामान शिक्षा में अवसर नहीं मिल सकता है। एक बच्चे की शैक्षिक आकांक्षाएँ और प्रेरणाएँ उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के अनुसार निर्धारित की जाती हैं।

संस्थानों का मानक: उच्च मानक संस्थानों (भौतिक अवसंरचना, पाठ्यक्रम, शिक्षण—अद्यागम प्रक्रिया, शिक्षक, आदि के संदर्भ में) में अध्ययन करने वाले बच्चे आमतौर पर निम्न मानक वाले संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों की तुलना में शिक्षा में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। अतः संस्थानों के मानक में अंतर शिक्षा में असमानता पैदा करता है।

गरीबी: गरीबी के कारण भारी शैक्षिक असमानता पैदा होती है। गरीब माता—पिता अपने बच्चों के लिए शिक्षा शुल्क और अध्ययन सामग्री का खर्च वहन नहीं कर सकते हैं और इस वजह से उनके बच्चे या तो शिक्षण संस्थान छोड़ देते हैं या शिक्षण संस्थानों में खराब प्रदर्शन दिखाते हैं।

क्षेत्रीय असंतुलन: भारत के सभी क्षेत्र ऐतिहासिक, भौगोलिक, राजनीतिक और अन्य कारणों से समान रूप से विकसित नहीं हैं। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों के बीच उनकी प्रगति और विकास के संदर्भ में कई अंतर पाए जाते हैं। विकसित क्षेत्रों की तुलना में अविकसित क्षेत्रों में शैक्षिक अवसर कम पाए जाते हैं।

लोगों की चेतना का अभाव: शिक्षा के प्रति लोगों की चेतना की कमी के कारण शैक्षिक असमानता पैदा होती है। रुद्धिवादी रवैया, झूठे विचार, गलत धारणाएं और शिक्षा के प्रति अज्ञानता शिक्षा में बहुत अधिक असमानता पैदा करते हैं।

दोषपूर्ण शैक्षिक प्रशासन: शैक्षिक प्रशासन में भ्रष्टाचार, भाई—भतीजावाद और दोषपूर्ण शैक्षिक प्रशासन के कारणशिक्षा में असमानता कम नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, शैक्षिक योजनाओं और नीतियों के अनुचित कार्यान्वयन से विभिन्न रूपों में शैक्षिक असमानता बढ़ जाती है।

11.6.2 समानता और समता प्राप्त करने के उपाय

शिक्षा में समानता और समता प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एक तरफ राष्ट्र के समग्र विकास को बढ़ावा देती है और दूसरी तरफ राष्ट्र में न्याय को बढ़ावा देने में योगदान करती है। शिक्षा में समानता और समता की किसी देश की शिक्षा प्रणाली के लोकतंत्रीकरण में एक बड़ी भूमिका होती है। शिक्षा में समानता और समता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं।

- समाज के सभी लोगों को उनकी आवश्यकताओं, रुचियों और क्षमताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान करना।
- सार्वभौमिक औरध्या अनिवार्य शिक्षा को शिक्षा के एक निश्चित स्तर तक (उदाहरण के लिए, प्राथमिक स्तर या माध्यमिक स्तर या शिक्षा के किसी अन्य स्तर तक) बढ़ावा देना।
- उनके लिए प्रतिपूरक शिक्षा प्रदान करना जो अपनी आयु के उपयुक्त शिक्षा के किसी निर्धारित स्तर को प्राप्त नहीं कर सके।
- शिक्षा में समानता औरध्या समता के सभी संवैधानिक निर्देशों को लागू करना। उदाहरण के लिए, संविधान के अनुच्छेद 21-क (6–14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा) को लागू करना, संविधान का अनुच्छेद 29 (भाषा, लिपि और अल्पसंख्यकों की संस्कृति का संरक्षण), इत्यादि।
- समाज के कमजोर वर्गों जैसे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, अल्पसंख्यक समुदायों, महिलाओं, दिव्यांगों, आदि के लिए शिक्षा में आरक्षण, छात्रवृत्तिध्वजीफा आदि का विशेष प्रावधान करना।
- वंचित क्षेत्रों जैसे मलिन बस्तियों, दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों, उबड़—खाबड़ इलाकों, डेल्टा क्षेत्रों, जंगल क्षेत्रों, उबड़—खाबड़ पर्वतीय क्षेत्रों, आदि के लिए शिक्षा में विशेष प्रावधान करना।
- समूचे देश के लोगों के लिए शिक्षा के मूल या सामान्य ढांचे को बढ़ावा देना।

- सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के साथ—साथ बर्ताव के लिए एक स्पष्ट और निष्पक्ष नीति अपनाना।
- जनता की शैक्षिक मांग को पूरा करने के लिए औपचारिक शिक्षा संस्थानों के माध्यम से कई वैकल्पिक संस्थानों को जैसे गैर—औपचारिक शिक्षा संस्थानों, पत्राचार शिक्षा संस्थानों, आदि की स्थापना करना।
- अभिभावकों द्वारा अपने बच्चों को शिक्षण संस्थानों में भेजने के लिए माता—पिता में जागरूकता पैदा करनी चाहिए।
- शिक्षण संस्थानों में समानता और समता को बढ़ावा देने के लिए शैक्षिक संस्थानों में व्यक्तिगत निर्देश, उपचारात्मक शिक्षण, मार्गदर्शन और परामर्श सेवाओं आदि का प्रावृत्तानध्यवस्था की जानी चाहिए।
- शिक्षा व्यवस्था में मौजूदा भ्रष्टाचार, संकीर्ण राजनीति और एकरसता को दूर करने और व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता के विकास से शिक्षा की प्रशासनिक प्रणाली को सुधारने की आवश्यकता है।

अपनी प्रगति जाँचें 11.4

टिप्पणी : क) नीचे दिए गए खाली स्थान पर उत्तर लिखिए :

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से अपने उत्तर की तुलना कीजिए।

8. माता—पिता की गरीबी शैक्षिक असमानता कैसे पैदा करती है?

.....
.....
.....

9. 6–14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है?

क) 15

ख) 20

ग) 20—क

घ) 21—क

11.7 विविध समूहों के लिए शिक्षा

पूरे विश्व में भारतीय विविधता अद्वितीय है। भारत न केवल अपनी भौतिक और भौगोलिक विशेषताओं में विविध है, बल्कि विविध सामाजिक—सांस्कृतिक और भाषाई समूहों के लोग भारत में रहते हैं। भारत की ऐतिहासिक परंपरा, राजनीतिक स्थिति, सांस्कृतिक परिदृश्य और अन्य ऐसी विशेषताएं विभिन्न जातियों, जनजातियों, वर्गों, नस्लों, धर्मों, भाषाओं, आदि के लोगों को भारत में एक साथ रहने की अनुमति देती हैं। भारत के लोगों की संस्कृति और परंपरा, जीवन शैली, मूल्य प्रतिमान, लोकाचार, अनुष्ठान और संस्कार काफी हद तक उनकी भाषाओं, नस्लों, जातियों, धर्मों, आर्थिक स्थितियों, सामाजिक स्थिति, आदि के कारण निर्धारित होते हैं। भारत के लोगों में विद्यमान विविधता के करणभारतीय संस्कृति सुंदर, विश्वबंधुत्वादी और बहुसांस्कृतिक प्रतीत होती है।

11.7.1 शैक्षिक विन्यास में विविध समूहों की आवश्यकताएं

भारतीय सामाजिक—सांस्कृतिक विन्यास की विविध प्रकृति के भीतर, भारतीय लोगों के बीच कई पदानुक्रम और विषमताएं पाई जाती हैं। भारत के लोगों के बीच असमान आर्थिक वितरण भारतीय समाज में आर्थिक विषमता का लक्षण है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और दिव्यांग लोग विभिन्न मोर्चों से समाज में सबसे कमजोर वर्ग हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग समाज में बहुत कम सामाजिक—आर्थिक और शैक्षिक स्थिति का आनंद लेते हैं। धार्मिक अल्पसंख्यक, भाषाई अल्पसंख्यक एवं कई अन्य अल्पसंख्यक समूह हैं जो शैक्षिक मोर्चे और कई अन्य मोर्चों में समाज में वंचित स्थिति में हैं। महिलाओं और लड़कियों को पुरुषों तथा लड़कों की तुलना में बहुत निम्न सामाजिक स्थिति प्राप्त है। महिलाओं और लड़कियों के साथ भेदभाव घर, सार्वजनिक स्थानों और यहां तक कि सरकारी कार्यालयों में आसानी से दिखाई देता है। ट्रांसजेंडर लोगों को तो हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2014 में मान्यता प्रदान की गई है और वे अन्य लैंगिक पहचान वाले लोगों की तुलना में निम्न सामाजिक स्थिति में होते हैं। दुर्भाग्य से श्रवण, दृष्टि, शारीरिक विकलांगता याबौद्धिक विकलांगता वाले व्यक्ति के साथ उनकी विकलांगता के कारण समाज के अन्य सदस्यों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है।

शिक्षा प्रणाली समाज के अलगाव में कार्य नहीं करती है। सभी सामाजिक मुद्दे और समस्याएं एक समाज/राष्ट्र में शिक्षा प्रणाली को विभिन्न तरीकों से प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए, शिक्षा में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों की भागीदारी समाज में उनकी निम्न सामाजिक—आर्थिक स्थिति के कारण शिक्षा में बहुत कम है। शिक्षा में धार्मिक अल्पसंख्यकों और अन्य अल्पसंख्यक समूहों की पहुंच और सफलता का स्तर संतोषजनक नहीं है। भाषाई अल्पसंख्यक लोग शिक्षा के माध्यम से अपनी भाषा और संस्कृति की रक्षा करने में कठिनाई का सामना करते हैं। शिक्षा में लड़कियों के नामांकन और सफलता लड़कों के नामांकन एवं सफलता की तुलना में संतोषजनक नहीं है। खासकर अल्पसंख्यक समुदायों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और गरीब परिवारों की लड़कियों का शिक्षा में बहुत कम प्रतिनिधित्व है। ट्रांसजेंडर लोगों का भी शिक्षा में बहुत नगण्य प्रतिनिधित्व है। हमारे शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा में भाग लेने के अवसरों की कमी और आवश्यक संसाधनों की कमी के कारण विकलांग बच्चों की शिक्षा में निम्न भागीदारी है। इसलिए शैक्षिक प्रणाली में, विविध समूहों की विभिन्न आवश्यकताएं हैं। चूंकि लोगों के प्रत्येक समूह की समस्याओं की प्रकृति अद्वितीय और विशेष है, इसलिए लोगों के प्रत्येक समूह को उनकी बेहतर शैक्षिक प्राप्ति के लिए शिक्षा में विशेष प्रकार की सुविधा औरध्या उपचार दिया जाना चाहिए।

11.7.2 शैक्षिक विन्यास में विविध समूहों की जरूरतों को संबोधित करना

शैक्षिक विन्यास में विविध समूहों की जरूरतों को संबोधित करना शैक्षिक समता और न्याय की प्राप्ति के लिए एक बुनियादी शर्त है। एक शैक्षिक विन्यास के सभी पहलुओं, जिसमें शिक्षण—अधिगम के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण—अधिगम सामग्री, शिक्षण—अधिगम की प्रक्रिया, शैक्षिक मूल्यांकन, शैक्षिक वातावरण इत्यादि के उद्देश्य शामिल हैं, को समाज के विभिन्न वर्गों से आने वाले छात्रों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समावेशी शैली में डिजाइन किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, शिक्षक को कक्षा में विभिन्न धर्मों के छात्रों के साथ काम करते समय धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, लड़कियों को संस्था में सुरक्षित महसूस करना चाहिए, साइन लैंग्वेज और ब्रेल को कक्षा में क्रमशः बहरे और अंधे बच्चों के लिए पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र के भाग के रूप में शामिल किया जाना चाहिए आदि।

अकादमिक रूप से कमजोर छात्रों को उपचारात्मक निर्देश और विशेष कोचिंग, सलाह, आदि प्रदान किए जा सकते हैं। दिव्यांग छात्रों को किसी निर्धारित कार्य को पूरा करने के लिए यदि उन्हें इसकी आवश्यकता हो तो अधिक समय और सहायता दी जा सकती है। संस्था का पूरा वातावरण एक अलग परिवार, समुदाय और सामाजिक पृष्ठभूमि से आने वाले सभी छात्रों के लिए समावेशी होना चाहिए।

पाठ्यक्रम डिजाइन को सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा (*Universal Elementary Education & UEE*) के प्रति प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करना चाहिए, न केवल सांस्कृतिक विविधता का प्रतिनिधित्व करने में, बल्कि यह सुनिश्चित करने में भी कि विभिन्न सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चे शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और बौद्धिक विशेषताओं में बदलाव के साथस्कूल में सीखने और सफलता प्राप्त करने में सक्षम हैं। इस संदर्भ में, लिंग, जाति, भाषा, संस्कृति, धर्म या दिव्यांगों की असमानताओं से उत्पन्न शिक्षा में होने वाली हानियों को न केवल नीतियों और योजनाओं के माध्यम से, बल्कि अधिगम कार्यों और शिक्षाशास्त्रीय प्रथाओं के डिजाइन और चयन के माध्यम से प्रारंभिक बचपन की अवधि से भी सीधे संबोधित करने की आवश्यकता है। (राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा, 2005, पी – 5)।

समाज के विभिन्न कमजोर वर्गों के शैक्षिक उत्थान के लिए कुछ योजनाएँ, कार्यक्रम, गतिविधियाँ आदि हैं, जो हमारे देश में समय–समय पर संचालित होती हैं। उदाहरण के लिए प्री–मैट्रिक और पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना, मुफ्त कोचिंग, आदि कुछ योजनाएं ध्कार्यक्रम हैं जो अनुसूचित जाति के छात्रों के शैक्षिक विकास के लिए प्रारंभ की गई हैं। अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए संचालित होने वाली शैक्षिक योजनाएं ध्कार्यक्रम हैं— एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, प्री—मैट्रिक और पोस्ट—मैट्रिक छात्रवृत्ति, आश्रम स्कूल आदि। अन्य पिछड़ा वर्ग के शैक्षणिक हितों की पूर्ति के लिए विशेष योजनाएं ध्कार्यक्रम हैं— प्री—मैट्रिक और पोस्ट—मैट्रिक छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय फैलोशिप, निरुशुल्क कोचिंग, शैक्षिक ऋण पर डॉ अंबेडकर ब्याज सब्सिडी योजना। अल्पसंख्यक छात्रों को शैक्षिक सहायता प्रदान करने के लिए प्री—मैट्रिक और पोस्ट—मैट्रिक छात्रवृत्ति, मौलाना आजाद राष्ट्रीय फैलोशिप, प्रवासी अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋण के ब्याज पर सब्सिडी हेतु पढ़ो परदेश योजना, नया सवेरा—निरुशुल्क कोचिंग, आदि कुछ योजनाएं ध्कार्यक्रम संचालित हैं। निरुशुल्क कोचिंग, राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति, प्री—मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय फैलोशिप, सहायक मशीनों की खरीदधफिटिंग के लिए धन, आदि की योजनाएं ध्कार्यक्रम द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों को उनकी बेहतर शिक्षा के लिए प्रदान किए जाते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना, प्राथमिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPEGEL) और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जैसी कई अन्य योजनाएं ध्कार्यक्रम लड़कियों के शैक्षिक विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। समाज के कुछ कमजोर वर्गों जैसे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, और विकलांग लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा में आरक्षण प्रदान किया जाता है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों को भी देश के कुछ राज्यों में शिक्षा में आरक्षण प्रदान किया जाता है जो राज्यों की नीति पर निर्भर करता है।

शिक्षा में विविध समूहों की सक्रिय और सार्वभौमिक भागीदारी के लिए सरकार और सामान्य जन, दोनों स्तरों पर पूरे और निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान को समाज के कमजोर वर्गों से आने वाले छात्रों पर विशेष जोर देने के साथ ही सभी श्रेणियों के छात्रों तक उनकी पहुंच, नामांकन और भागीदारी के लिए पर्याप्त स्थान और सुविधा प्रदान करनी चाहिए। शिक्षा में विविध समूहों को शामिल करने के लिए नीतियों,

कार्यक्रमों और योजनाओं का एकमात्र सूत्रीकरण पर्याप्त नहीं है, बल्कि समता और न्याय की बेहतर प्राप्ति के लिए ऐसी नीतियां, कार्यक्रम और योजनाएँ जमीनी स्तर या उपभोक्ता स्तर पर सार्थक रूप से लागू की जानी चाहिए।

अपनी प्रगति जाँचें 11.5

टिप्पणी : क) नीचे दिए गए खाली स्थान पर उत्तर लिखिए :

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से अपने उत्तर की तुलना कीजिए।

10. कॉलम—ए में दिए गए आइटम को कॉलम—बी की वस्तुओं से मिलाएं

कॉलम—ए

एकलव्य आवासीय विद्यालय मॉडल

मौलाना आजाद राष्ट्रीय फैलोशिप

ब्रेल

बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना

कॉलम — बी

अल्पसंख्यक छात्र

अनुसूची जनजाति के छात्र

अनुसूची जाति के छात्र

दृष्टिबाधित छात्र

11. किन्हीं दो योजनाओं या कार्यक्रमों के नाम लिखें जो लड़कियों के शैक्षिक विकास के लिए समर्पित हैं।

.....

.....

.....

11.8 सारांश

यह इकाई भारतीय शिक्षा में मुद्दों और चिंताओं के विशिष्ट संदर्भ के साथ शिक्षा में मुद्दों और चिंताओं के बारे में बताती है। इकाई के आरंभिक चरणों में, शिक्षा में पहुंच, नामांकन, अवधारण, गुणवत्ता, समानता और इकिवटी जैसे मुद्दों के विभिन्न घटकोंध्यहलुओं को समझाया गया है। प्रारंभिक चरणों में भी, विभिन्न उपायों या रणनीतियों का सुझाव दिया गया है जिन्हें शिक्षा में वृद्धि, पहुंच, नामांकन, प्रतिधारण, गुणवत्ता, समानता और समता के लिए अपनाया जा सकता है। इकाई के अंतिम चरण में, शैक्षिक विन्यास में विविध समूह की जरूरतों के साथ—साथ शैक्षिक विन्यास में विविध समूह की जरूरतों को संबोधित करने के लिए अलग—अलग तरीके, जिसमें कुछ विशेष योजनाएं, कार्यक्रम, योजनाएं और गतिविधियां शामिल हैं, से समाज के कमज़ोर वर्गों की जरूरतों को पूरा करने वाली योजनाओं को प्रस्तुत किया गया हैं।

11.9 संदर्भ ग्रंथ सूची और सुझावित अध्ययन सामग्री

एमएचआरडी (2004–2005). सेलेक्टेड एजुकेशनल स्टेटिस्टिक्स, 2004–2005. नई दिल्ली: मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार

एमएचआरडी(2007–2008). वार्षिक रिपोर्ट, 2007–08. नई दिल्लीरू मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार

एनसीईआरटी (2005). राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2005. नई दिल्लीरू राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद.

- भारत सरकार (1964–66). शिक्षा आयोग, 1964–66. नई दिल्लीरू भारत सरकार.
- एनसीईआरटी (2005). राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2005. नई दिल्लीरू राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद.
- एनयूईपीए (2014). एजुकेशन फॉर ऑल— दुवर्ड्स क्वालिटी विथ इक्विटी. नई दिल्लीरू मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
- एमएचआरडी (2016). एजुकेशनल स्टेटिस्टिक्स एट ए ग्लांस. नई दिल्लीरू मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
- भारत सरकार (1986). राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986. नई दिल्लीरू भारत सरकार.

11.10 अपनी प्रगति जाँच के लिए उत्तर

1. शिक्षा तक पहुंच शिक्षा में सुविधाओं और अवसरों के प्रावधान को संदर्भित करती है।
2. समग्र शिक्षा कार्यक्रम में निम्नलिखित तीन योजनाओं को शामिल किया गया हैरू
 - क) सर्व शिक्षा अभियान,
 - ख) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, और
 - ग) शिक्षक शिक्षा
3. शैक्षिक संस्थानों में खराब सुविधाएं शिक्षा में पहुंच और नामांकन को प्रभावित करती हैं क्योंकि उन संस्थानों में कक्षाओं की खराब गुणवत्ता, शिक्षण—अधिगम सामग्री, शिक्षण—अधिगम प्रक्रियाएं, प्रयोगशालाएं, शिक्षक, खेल के मैदान, स्वच्छता, पेयजल आदि की स्थिति निम्न होती है।
4. शिक्षा में एक छात्र की पदोन्नति का संदर्भ उस स्थिति से है जिसमें छात्र सफलतापूर्वक एक निश्चित समय के भीतर अध्ययन या अधिगम के एक स्तर को पूरा करता है।
5. (घ) ठहराव
6. शिक्षा में अवधारण को बढ़ाने के लिए संस्थागत माहौल की प्रकृति शिक्षाप्रद, मित्रवत, सुरक्षित और लोकतांत्रिक होनी चाहिए।
7. शिक्षक की अनुपस्थिति और पर्याप्त संख्या में योग्य और सक्षम शिक्षकों की कमी शिक्षा की गुणवत्ता को खराब करती है। अपने पेशे के प्रति उचित रूप से प्रेरित और प्रतिबद्ध शिक्षकों की कमी भी शिक्षा की गुणवत्ता को बहुत प्रभावित करती है।
8. गरीब माता—पिता अपने बच्चों के लिए शिक्षा शुल्क और अध्ययन सामग्री की लागत वहन नहीं कर सकते हैं और इनकी वजह से, उनके बच्चे या तो शैक्षणिक संस्थानों को छोड़ देते हैं या शिक्षण संस्थानों में खराब प्रदर्शन दिखाते हैं।
9. (घ) 21—क
10. कॉलम— ए

कॉलम — बी

- | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------|
| एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय | → | अनुसूची जनजाति के छात्र |
| मौलाना आजाद राष्ट्रीय फैलोशिप | → | अल्पसंख्यक छात्र |
| ब्रेल | → | दृष्टिबाधित छात्र |

बाबू जगजीवन राम छत्रवास योजना

→ अनुसूचित जाति के छात्र

शिक्षा में मुददे
एवं चिन्ताएं

11. क) प्राथमिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPEGEL),
और
ख) कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGVB)



इकाई 12 विद्यालय एवं समुदाय के मध्य अंतःक्रिया

संरचना

- 12.1 परिचय
- 12.2 उद्देश्य
- 12.3 विद्यालय एवं समुदाय
- 12.4 विद्यालय एवं प्रतिवेश
- 12.5 विद्यालय में अभिभावकीय सहभागिता
 - 12.5.1 शिक्षण प्रक्रिया में अभिभावकीय सहभागिता की प्रभावशीलता
- 12.6 विद्यालय विकास एवं शिक्षण प्रक्रिया में समुदाय की भूमिका
 - 12.6.1 शिक्षा प्रक्रिया में समुदाय का सहयोग
 - 12.6.2 राज्यों द्वारा सामुदायिक सहभागिता के लिए उठाए गए कदम
- 12.7 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, विद्यालय एवं समुदाय को साथ लाने के संदर्भ में
 - 12.7.1 शिक्षा का अधिकार अधिनियम तथा समुदाय
 - 12.7.2 विद्यालय प्रबंधन समिति, (एसएमसी)
 - 12.7.2.1 विद्यालय प्रबंधन समिति की मूलभूत संरचना
 - 12.7.2.2 विद्यालय प्रबंधन समिति के मुख्य कार्य
 - 12.7.3 विद्यालय विकास योजना
 - 12.7.3.1 विद्यालय विकास योजना का निर्माण
- 12.8 सारांश
- 12.9 संदर्भ ग्रंथ एवं उपयोगी पठन सामग्री
- 12.10 प्रगति की जांच हेतु उत्तर

12.1 परिचय

सहयोग और साहचर्य सफलता के आधारभूत तत्व है। यह जीवन में आगे बढ़ने का सार है। कुछ भी आसानी से हो सकता है यदि हम काम सहयोग और सहकारिता से करें। विद्यालय एवं समुदाय का विषय भी बिल्कुल वैसा ही है। विद्यालय एवं समुदाय के साथ विद्यालय एवं समुदाय के मध्य अंतः क्रिया एक दूसरे के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्योंकि समुदाय एवं सहभागिता, संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया की योजना बनाने, प्रशासन एवं क्रियान्वयन के लिए एक महत्वपूर्ण भाग है। ऐसे ही समुदाय एवं प्रतिवेश के लिए विद्यालय भी समुदाय एवं प्रतिवेश की आवश्यकता एवं मांगों के अनुसार सक्षम आगामी पीढ़ियों का विकास करके सामुदायिक विरासत संस्कृति एवं संसाधनों को समृद्ध, विकसित एवं संरक्षित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विद्यालय में अभिभावकीय सहभागिता, विद्यार्थियों की उपलब्धियों में सुधार, अनुपस्थिति एवं विद्यालय छोड़ने की दर को कम करने, विद्यालय एवं अभिभावकों के मध्य अच्छा संबंधधर्वश्वास बनाने तथा विद्यालय का हिस्सा बनकर अभिभावकों का अपने बच्चों की शिक्षा में भरोसा वापस लौटाने में सहायता करती है।

शिक्षा का अधिकार (आर.टी.आई.) अधिनियम 2009 में शिक्षा प्रक्रिया में एक समुदाय के अपार महत्व के विषय में स्पष्ट तौर पर उल्लेख किया गया है। इसीलिए, इस अधिनियम ने हमें स्कूल संगठन में समग्र विकास प्रक्रिया के लिए सामुदायिक सहभागिता की दिशा में रास्ता दिखाया है। इसके लिए सभी प्रकार के हितधारकों जैसे पंचायती राज संस्थानों, विद्यालय प्रबंधन समितियों, महिला मित्र अभिभावक शिक्षक संघ इत्यादि की अर्थपूर्ण भागीदारी को आरटीई अधिनियम 2009 में परिभाषित किया गया है। किस अधिनियम में प्रभावी प्रबंधन के लिए हितधारकों की व्याख्या करते हुए और उनको कुछ नियत प्रतिनिधित्व देते हुए कई प्रावधानों का निर्माण किया है। सामुदायिक सहभागिता समुदाय के उन आप वर्जित व्यक्तियों में सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन लाती है, जो किसी समुदाय के सुविधावंचित वर्ग के कमजोर भाग से है। समुदाय की सक्रिय भूमिका विद्यालय विकास योजना बनाने, शैक्षणिक उपलब्धियों के निरीक्षण और बजट आवंटन पर नियंत्रण में सहायता करती है। आरटीई अधिनियम ने समुदाय एवं विद्यालय को एक मंच पर लाने का प्रयास किया है ताकि विद्यालय स्थानीय रूप से उत्पन्न समस्याओं को स्थानीय कार्य प्रणाली द्वारा सुलझा कर लाभान्वित हो सकें।

12.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप:

- विद्यालय एवं समुदाय के संबंध की व्याख्या कर सकेंगे;
- विद्यालय एवं प्रतिवर्ष के संबंध की व्याख्या कर सकेंगे;
- विद्यालय विकास में अभिभावकीय सहभागिता के महत्व को समझ सकेंगे;
- विद्यालय विकास में समुदाय की भूमिका को समझ सकेंगे;
- शिक्षा प्रक्रिया में समुदाय के महत्व का प्रारूप तैयार कर सकेंगे; और
- आरटीई अधिनियम तथा सामुदायिक सहभागिता के विषय में इसके प्रावधानों पर विचार विमर्श कर सकेंगे।

12.3 विद्यालय एवं समुदाय

विद्यालय एवं समुदाय एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। विद्यालय और समुदाय की सफलता विद्यालय और समुदाय दोनों की सक्रिय सहभागिता पर निर्भर करती है और एक दूसरे के लिए उनके अपने लाभों, विकास और आसान कार्य पद्धति के लिए काम करती है। विद्यालय समुदाय भागीदारी उनके संसाधनों के सहभाजन द्वारा तथा एक दूसरे को उनके विकास में शामिल करके बढ़ाई जा शक्ति है। समुदाय विद्यालयों में सुधार, प्रतिवेशकों प्रबल करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह विद्यालय के साथ-साथ समाज के सदस्यों की समस्याओं को सुलझाने में एकदेखने योग्य योगदान की ओर अग्रसर होता है। यहां सामुदायिक सदस्य उन लोगों का समूह है जो स्वैच्छिक रूप से अपनी सेवाएं विद्यालयको इसके विकास के लिए देने में रुचि रखते हैं। इसमें सामान्य तौर से परिवार/अभिभावक, स्थानीय सरकारें, आस-पड़ोस, व्यापारी संस्था, गैर सरकारी संस्था, समाजसेवक, शिक्षाविद, सिविक सोसाइटीजतथा धार्मिक समूह इत्यादि शामिल होते हैं। इस प्रकार की भागीदारी तथा सहयोग के निर्माण के लिए दूरदर्शिता, कूटनीतिक योजना, विशेषज्ञों तथा व्यवसायियों, जो कि इन विद्यालयों तथा समुदायों में विकास के लिए कार्य करते हैं, के लिए सृजनात्मक नेतृत्व तथा नई बहु आयामी भूमिकाओं की आवश्यकता है।

- विद्यालय एक विद्या प्राप्ति का संस्थान है तथा यह किसी भी समाज का सूक्ष्म रूप है। समुदाय स्वयं समाज का एक भाग है। समुदाय एक प्रकार का सांस्कृतिक वातावरण है जिसमें कोई विशिष्ट संस्कृति अंतर्निहित होती है। यह एक सामाजिक रूप से निर्मित संस्थान है जहां अधिगम के अनुभवों का सोच समझकर तथा साभिप्राय प्रारूप बनाया जाता है। इसे सामान्य रूप से सामाजिक लक्ष्यों को, एक निर्धारित अवधि के दौरान, प्राप्त करने के उद्देश्य प्रदान किए जाते हैं। इसे हमारे समाज का उपतंत्र भी कहा जाता है। इसे समुदाय के निकटवर्ती परिवेश, जिसमें यह स्थापित है, के साथ समन्वय करना चाहिए।

सभी प्रकार के समुदाय में, समुदाय की भूमिका, विद्यालय प्रबंधन में नियंत्रण, प्रशासन तथा योजना को अत्यंत प्रभावित करती है। सामुदायिक सहभागिता मुख्यतः दो प्रकार, यथा औपचारिक और अनौपचारिक होती है।

जब शिक्षा का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम 2009 शिक्षा को प्रत्येक बच्चे के लिए मौलिक अधिकार के रूप में लाया, तब यह बहुत महत्वपूर्ण हो गया कि इसे एक अधिकार के रूप में व्यावहारिक धरातल पर भी बनाया जाए। और यह केवल तभी संभव है जब सभी प्रकार के हितधारक एक बच्चे के समग्र विकास के लिए एक ही छत के नीचे हाथ मिलाए। यह सामुदायिक सहभागिता के औपचारिक रूप हैं जिसमें समिति के अनिवार्य संगठन के साथ—साथ समिति के विशिष्ट कर्तव्य तथा अधिकार भी अधिनियम में उल्लिखित हैं। आरटीई अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक विद्यालय की एक विद्यालय प्रबंधन समिति (एसएमसी) होनी चाहिए।

इन समितियों की संरचना विविध प्रकारों जैसे पंचायती राज संस्थानों, विद्यालय प्रबंधन समितियों, ग्रामीण शिक्षा समितियों (वीईसी), अभिभावक शिक्षक संघ, ग्रामीण समितियों इत्यादि जैसी हो सकती है। यह समितियां लगभग सभी राज्यों में एक या दूसरे प्रकार में काम कर सकती हैं। परंतु वे आरटीई अधिनियम 2009 में निर्धारित प्रावधानों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेंगे।

बच्चों के विकास तथा विद्यालय में अनौपचारिक रूप से सामुदायिक सहभागिता समुदाय के सदस्यों द्वारा शिक्षण संस्थानों को उनकी स्वैच्छिक सेवाएं प्रदान करके की जा सकती है। इन सेवाओं में दान, उद्यमी द्वारा शैक्षणिक तथा करियर मेले, कॅंपस रोजगार फोरम, विशेषज्ञ द्वारा व्याख्यान, वित्तीय सहायता, आधारभूत संरचना के विकास में योगदान इत्यादि शामिल है।

12.4 विद्यालय तथा प्रतिवेश

बच्चे का निकटवर्ती परिवेश जहां वह रहता है प्रतिवेश कहलाता है। विद्यालय तथा समुदाय के मध्य संबंध समुदाय निर्माण में एक महत्वपूर्ण घटक है। इस संबंध की महत्ता उस गुण में निहित है जो हमेशा शिक्षा पर तथा आत्म सुधार के अवसरों को दी जाती है जो कि उस ज्ञान में वृद्धि से आता है जो शिक्षा से उत्पन्न होता है।

अन्य नागरिक संस्थानों जैसे मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, गुरुद्वारा, थिएटर सामुदायिक सेंटर इत्यादि की तरह अब विद्यालय भी शहरों गांवों तथा कस्बों के केंद्र बिंदु बनते जा रहे हैं। अब विद्यालय उनके समुदाय के प्रतिनिधि बन गए हैं। इन दिनों विद्यालयों को समुदाय द्वारा इसके अभिन्न भाग के रूप में अंगीकार किया जा रहा है और यह समुदाय के केंद्र में निरंतरा पूर्वक स्थित है।

प्रतिवेश ने भी बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर दिखाई है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2009 के अनुसार, अभिगम्यता, अवधारणा, सृजन, प्रयोग विज्ञान से संबंधित सेवाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दे हैं जिन्हें 21वीं शताब्दी की चुनौतियों को पूरा करने के लिए शिक्षा तंत्र में उत्कृष्टता का निर्माण करना होगा के विराम इस चुनौती का एक समाधान सामान्य प्रतिवेश विद्यालयों की अवधारणा के विस्तार में निहित है। यह विभिन्न सामाजिक आर्थिक तथा विशिष्ट सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से बच्चों को सहायता तथा बड़े इच्छित उद्देश्यों के एकीकरण, निष्पक्षता तथा गुणवत्ता की उपलब्धि के लिए साथ लाएगा। पास के विद्यालयों के लिए स्थानीय समुदाय में सक्रिय भागीदारी तथा अभिभावकों के लिए निरीक्षण प्रबंधन तथा जांच आवश्यक होगी ताकि इनमें से कुछ बाधाओं को दूर किया जा सके। प्रतिवेश जीवन की गुणवत्ता सामुदायिक भावना तथा सुविधाएं प्रदान करके कल्याण को बढ़ावा देता है। समुदाय के संसाधनों और सुविधाओं का समुदाय के सभी सदस्यों द्वारा सहभाजन समुदाय या स्वयं प्रतिवेश की उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

जब एक विद्यालय को किसी प्रतिवेश में स्थापित किया जाता है यह इसके परिवेश तथा सामाजिक प्रयोजनों पर निश्चित रूप से प्रभाव डालेगा। पड़ोस के विद्यालयों का प्रतिवेश की गुणवत्ता के साथ साथ शिक्षार्थी की विकास की प्रक्रिया के साथ सीधा संपर्क होता है। पड़ोस में विद्यालय सुविधा, सुरक्षा तथा शिक्षार्थियों के मध्य सौहार्द प्रदान करता है। प्रतिवर्ष को विद्यालयों द्वारा लाभ मिलता है जो विद्यालय तथा प्रतिवेश के मध्य अन्तः क्रिया की सहायता से इसकी संस्कृति की समृद्धि द्वारा होता है। उपयुक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि विद्यालय परिवार समुदाय तथा प्रतिवेश यह निर्धारित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि बच्चों का शैक्षणिक विकास कैसे हो।

अपनी प्रगति जाँचें 12.1

टिप्पणी : क) नीचे दिए गए खाली स्थान पर उत्तर लिखिए :

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से अपने उत्तर की तुलना कीजिए।

1. एक समुदाय से आपका क्या अभिप्राय है?

.....
.....
.....

2. विद्यालय के संदर्भ में प्रतिवर्ष की भूमिका की व्याख्या कीजिए?

.....
.....
.....

12.5 विद्यालय में अभिभावकीय सहभागिता

यदि विद्यालय शिक्षा को एक वृत्त के केंद्र में रखा जाए तब इसकी परिधि अभिभावक होंगे जो संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया से सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं। यह एक कठु सत्य है कि मुख्य हित धारक केवल अभिभावक हैं या एक विद्यालय तंत्र में सेवा प्रदान करने वाले हैं। विद्यालय में अभिभावक नियुक्ति तथा अभिभावक सहभागिता दोनों विद्यालय तथा बच्चों की शिक्षण प्रक्रिया के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं।

अभिभावकीय नियुक्ति

अभिभावक और शिक्षक दोनों एक उत्तरदायित्व साझा करते हैं या उनके बच्चों के अधिगम में सहायता करने के लिए तथा शैक्षणिक लक्ष्यों को पूरा करने तथा उपलब्धियों के लिए साथ कार्य करते हैं। ऐसा तब होता है जब शिक्षक अभिभावकों को विद्यालय सम्मेलनों कार्यक्रमों में शामिल करते हैं तथा अभिभावक स्वेच्छा से घर पर तथा विद्यालय में उनका समर्थन करते हैं परंतु कई बार यह अभिभावकों पर होता है कि वह अपने बच्चों की शिक्षा में स्वयं को शामिल करें। इसमें शिक्षक एक ऐसे सहभागी की भूमिका निभाता है जो अभिभावकों को उनके बच्चों के अधिगम में शैक्षणिक सहायता प्रदान करता है।

इस प्रकार वे अपने बच्चे के विकास के साथ—साथ विद्यालय विकास में भी सहयोग करते हैं। अभिभावक अपने बच्चे के शैक्षणिक लक्षणों को प्राथमिकता देते हुए एक वादा करते हैं तथा शिक्षकों को सुनना चाहिए और अभिभावकों के साथ सहयोग के लिए एक स्थान प्रदान करना चाहिए।

अभिभावकीय सहभागिता

अभिभावक सहभागिता में अभिभावक विद्यालय के कार्यक्रमों या गतिविधियों में भाग लेते हैं तथा शिक्षक अधिगम के स्त्रोतों या उनके विद्यार्थियों के ग्रेड के विषय में जानकारी देते हैं। इसमें शिक्षकों की मुख्य स्थिति तथा प्राथमिक दायित्व शैक्षणिक लक्ष्यों को निर्धारित करने होती हैं। शिक्षक एक सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं एक सहभागी के रूप में नहीं जो अभिभावकों का उनके बच्चे के लिए शैक्षणिक सहायता के माध्यम से मार्गदर्शन करते हैं। विद्यालय में अभिभावक सहभागिता के लिए पहला कदम अभिभावक नियुक्ति तथा अंतिम रूप अभिभावक साझेदारी है। जब अभिभावक और शिक्षक परस्पर एक कक्षा उन्नत बनाने के लिए काम करते हैं तो उनके विद्यार्थियों पर विचारात्मक प्रभाव होता है।

अभिभावक और बच्चे एक शिक्षा तंत्र में मुख्य हित धारक हैं और यह वही है जो त्रुटिपूर्ण विद्यालय तंत्रध प्रणाली का बोझ उठाते हैं। उन्हें एक अवसर तथा सहायता दिए जाने की आवश्यकता है ताकि वे शिक्षा प्रणाली में एक परिवर्तन ला सकें। विद्यालय प्राधिकारी को समझना चाहिए कि इस प्रक्रिया में उनके सृजनात्मक और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से विद्यालय तंत्र में सुधार की शुरुआत करके तथा विद्यालय तंत्र में गिरावट को कम कर सकते हैं। अभिभावक एक सामुदायिक सदस्य के रूप में निम्नलिखित ढंग से योगदान दे सकते हैं:

- विद्यालय प्रबंधन समिति में उनके मूल्यवान सुझाव तथा उसके क्रियान्वयन के माध्यम से योगदान करके,
- एक प्रभाव कारी विद्यालय विकास योजना तथा उसके क्रियान्वयन को तैयार करने में सहायता करके,
- विद्यालय और समुदाय के मध्य एक पुल की भूमिका निभाकर विभिन्न मंचों पर विद्यालय का प्रतिनिधित्व करके,
- स्वैच्छिक रूप से अपनी सेवाएं विद्यालय को प्रदान करना जैसे कि बच्चे के साथ श्रेष्ठ समय बिताना तथा उनको विद्यालय में विभिन्न कौशल सिखाना।
- स्वेच्छा से अपनी सेवाएं एक सहायक शिक्षक के रूप में प्रदान करना जब कोई शिक्षक विद्यालय में उपलब्ध ना हो।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 शिक्षा प्रक्रिया में अभिभावकों की भूमिका विद्यालय में सामुदायिक भागीदार की सहभागिता को परिकल्पित करने पर देता है इस अधिनियम

में दर्शाए गए संगठन में विद्यालय विकास में सामुदायिक भागीदारी में अभिभावक की सहभागिता का उच्चतम प्रतिशत 75: स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। औपचारिक रूप से इस प्रकार की अवधारणा आरटीआई अधिनियम 2009 द्वारा मानी गए हैं परंतु विद्यालयों में अभिभावक की सहभागिता का विचार विद्यालयों के औपचारिक या अनौपचारिक प्रकार की धारणाके आरंभ से ही विद्यमान था। विद्यालयों में अभिभावकों की सहभागिता को अभिभावकों को विद्यालय की सभी प्रकार के कार्यक्रमों तथा गतिविधियों चाहे वह शैक्षिक हो या सह शैक्षिक में भागीदारी के रूप में वर्णित की जा सकती है। विद्यार्थी के व्यवहार में सामाजिक- भावनात्मक परिवर्तन तब आते हैं जब अभिभावक विद्यालय की गतिविधियों में सक्रिय भाग लेते हैं और शिक्षकों के साथ समायोजन करते हैं। अनुसंधान अध्ययनों से पहले से ही अभिभावकों की सहभागिता का उनके बच्चों की शिक्षा तथा कई अन्य पर भी पड़ने वाले अपरिमित प्रभाव साबित हो चुका है जैसे:

- बच्चे विद्यालय तथा विद्यालय परिवेश में अच्छे से सामंजस्य स्थापित करने में सक्षम होंगे।
- वे और अधिक गंभीरता तथा नियमितता से विद्यालय में उपस्थित होंगे।
- वे अपना गृह कार्य तथा असाइनमेंट करने में समनुरूप होंगे।
- उपलब्धि स्तर के साथ-साथ ग्रेड में भी सुधार।
- ज्यादा अच्छे सामाजिक कौशल की प्राप्ति।
- विद्यालय छोड़ने के कम अवसर।
- व्यवहार में सुधार।
- अभिभावकों के साथ अच्छी समझ तथा संबंध।
- उच्चतर आत्मसम्मान।

12.5.1 शिक्षण प्रक्रिया में अभिभावकीय सहभागिता की प्रभावशीलता

प्रभावशीलता को बहुत आसानी से समझा जा सकता है जब हमें यह तथ्य पता हो कि एक शिक्षक अभिभावक की प्रशंसा तथा सम्मान से प्रोत्साहित हो सकता है। जब एक अभिभावक का पूरा जीवन दांवपर होता है तब कोई कैसे इस तथ्य को नकार सकता है कि उन्हें शिक्षण प्रक्रिया के साथ सहभागी होना चाहिए। एक अभिभावक एक विद्यालय पर निम्नलिखित प्रकार से सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है :

- अभिभावकों द्वारा दिया गया सहयोग विद्यालय की शैक्षणिक उपलब्धियों को सुनिश्चित करने में एक प्रभाव-कारी घटक है। वे नए विचार तथा सुझाव विद्यालय विकास योजना के निर्माण में दे सकते हैं।
- वे विद्यार्थी के प्रदर्शन का निरीक्षण समय-समय पर अभिभावक शिक्षक सभा द्वारा कर सकते हैं, जो विद्यालय द्वारा नियमित रूप से या किसी भी समय जब इसकी आवश्यकता हो, आयोजित की जाती है।
- उनकी अभिप्रेरणा तथा प्रोत्साहित करने वाली प्रवृत्ति एक विद्यालय शिक्षक या प्रशासक को एक सकारात्मक दिशा में ले जाती है।
- उनके अपने बच्चे एक प्रकार की उत्तरदायित्व की समझ अपने शैक्षणिक उपलब्धि के साथ-साथ विद्यालय परिवेश के प्रति विकसित करेंगे।

चल रहे अनुसंधान ने हमें दर्शाया है कि अभिभावकों सहभागिता उनके बच्चों को एक प्रकार की सुरक्षा की भावना प्रदान करती है और वे प्रत्येक क्षेत्र में अच्छा करते हैं। परंतु कई बार यह भी पाया गया है कि अभिभावकों द्वारा किया गया अत्यधिक हस्तक्षेप विद्यार्थी की शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक स्वतंत्रता को व्यग्र करता है जो एक बच्चे के शैक्षणिक जीवन के लिए भी जरूरी है। कई बार यह भी देखा गया है कि देख रेख करने वाला एक अधिगम स्त्रोत बन जाता है क्योंकि वे आसानी से बहुत सार प्रबंध कर सकते हैं जैसे पानी की आपूर्ति या एक विद्यालय के कार्यक्रम के लिए चंदा इकट्ठा करना। वे आसानी से विद्यालयों तथा अन्य हित धारकों के मध्य एक प्रकार का पुल बन सकते हैं। अभिभावकों विशेषकर मां का प्रभाव कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में मददगार हो सकता है जैसे स्वास्थ्य तथा स्वच्छता के लिए सैनिटरी नैपकिंस का प्रयोग करना, किशोरावस्था के व्यवहार का सामना करना उनके बच्चों के बीच स्वास्थ्य एवं सुरक्षा तथा लैंगिक संवेदीकरण।

एक बच्चे का विकास केवल शिक्षकों या विद्यालय या केवल अभिभावकों द्वारा नहीं किया जा सकता। उन्हें सहयोग करना होगा तथा अपने हाथ साथ में मिलाने होंगे। हमेशा ही फायदेमंद स्थिति नहीं हो सकती कि अभिभावक हमेशा शिक्षण प्रक्रिया को सहायता तथा सहयोग ही करें परंतु कभी कभी उनके आलोचक सुझाव विद्यालय को उन छोटी चीजों के प्रति जागरूक कर सकते हैं जिन्हें विद्यालय के योजनाकारतों अनदेखा कर सकते हैं परंतु अभिभावक नहीं क्योंकि वे अपने बच्चों के प्रति विद्यालय कर्मचारीसे ज्यादा संवेदनशील होते हैं।

अपनी प्रगति जाँचें 12.2

टिप्पणी : क) नीचे दिए गए खाली स्थान पर उत्तर लिखिए :

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से अपने उत्तर की तुलना कीजिए।

3. अभिभावक शिक्षण प्रक्रिया में कैसे शामिल होते हैं?

4. अभिभावकीय सहभागिता तथा अभिभावकीय नियर्कि के मध्य अंतर बताएं।

12.6 विद्यालय विकास तथा शिक्षण प्रक्रिया में समुदाय की भूमिका

विद्यालय अभिभावकों तथा समुदाय को विद्यालय के विकास तथा शिक्षण प्रक्रिया के लिए साथ कार्य करना चाहिए। यह कदम निश्चित रूप से स्वास्थ्य सुख तथा सभी विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ावा देगा। जब विद्यालय अभिभावकों की सहभागिता तथा समुदाय के स्त्रोतों को विद्यालय में बेहतरी के लिए जोड़ने में इच्छुक होंगे तब वे विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के लिए प्रभावी रूप से प्रतिक्रिया देने में सक्षम होंगे। परिवार तथा समुदाय सहभागिता विद्यालय तथा समाज के साथ साझेदारी को बढ़ावा देती है। इस साझेदारी का परिणाम संसाधनों को साझा करना तथा अधिकतम लाभ उठाना है जो बच्चों को दूसरों के साथ स्वस्थ व्यवहार तथा संबंध विकसित करने में सहायता करेगा।

विद्यालय के विकास में समुदाय की भूमिका को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है:

- समुदाय एक संसाधन के रूप में।
- समुदाय एक दबाव समूह के रूप में।
- समुदाय एक निरीक्षण निकाय के रूप में।
- समुदाय एक मूल्यांकन—कर्ता के रूप में।
- समुदाय विद्यालय परिवार के भाग के रूप में ना कि विद्यालय से अलग संस्था
- समुदाय एक सेत के रूप में।

भारत जैसे देश में समुदाय का एक सार्थक महत्व है जहां विभिन्न संस्कृति तथा जातीयता है। ऐसी परिस्थिति में समुदाय को या तो औपचारिक या अनौपचारिक रूप में शामिल किए बिना विद्यालय एक उचित तथा आसान ढंग से कार्य नहीं कर सकते। समुदाय के पास विद्यालय के विकास योजना में भाग लेने तथा उनके विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक उपलब्धियों में भाग लेने के लिए औपचारिक तथा अनौपचारिक शक्ति है। विद्यार्थियों के विकास में समुदाय की भूमिका निम्नलिखित है:

- समुदाय के योगदान को स्पष्टतया देखा जा सकता है जब विद्यालय वृहत्तर नामांकन के लिए विद्यालय छोड़ने के मामलों को संभाल नहीं सकते। ऐसे मामलों में यह समितियां ऐसे विद्यार्थियों को उनके अपने मोहल्ले में ढूँढ़ती हैं तथा उनको विद्यालय आने के लिए मनाती हैं।
- वे कक्षा की समीक्षा कर सकते हैं तथा प्रतिपुष्टि के साथ कुछ सकारात्मक आपत्तियां भी दे सकते हैं।
- वे स्वयं को एक दबाव समूह की तरह प्रस्तुत कर सकती हैं ताकि कुछ सकारात्मक योजनाओं को लागू किया जा सके तथा कुछ नकारात्मक कार्यप्रणाली को हटाया जा सके।
- समुदाय ना केवल विद्यालयों की कुछ विशिष्ट गतिविधियों के लिए चंदा इकट्ठा करती है परंतु वे विद्यालयों के लिए आवंटित बजट का निरीक्षण भी करते हैं।
- समुदाय एक पुल के रूप में जिले खंड गांवों तथा विद्यालयों को बेहतर निर्णय के लिए जोड़ती है।
- समुदाय ना केवल शिक्षण प्रक्रिया की निगरानी, प्रशासन तथा प्रबंधन में शामिल होती है बल्कि वे शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए एक निर्धारक अनुरक्षक, रक्षक तथा समन्वयक के रूप में महत्वपूर्ण साधन हो सकते हैं जैसे मध्याह्न भोजन की तैयारी, विद्यालय संरक्षण की निगरानी कौशल निर्देश तथा स्थानीय संस्कृति की जानकारी प्रदान करना इत्यादि।
- वे अपने विचारों तथा प्रयासों को एसएमसी के लक्ष्यों के साथ मिलाकर काम कर सकते हैं तथा यह साझा दृष्टिकोण विद्यालयों को बहुत हद तक प्रभावी रूप से चलाने में सहायता करता है।

समुदाय विशेष संवर्धन के लिए अधिगम स्त्रोत बन सकते हैं क्योंकि उन्हें बहु उपयोगी क्षेत्रों में ज्यादा व्यावहारिक ज्ञान है जैसा कि उनमें से एक मामले के अध्ययन को नीचे दिए गए मामले के अध्ययन में वर्णित किया गया है।

केस स्टडी

समुदाय एक अधिगम संसाधन के रूप में

एक विद्यालय में एक गणित अध्यापक त्वरित गणना सिखाना चाहता था जो की खरीददारी में की जा सकती है। वह व्यावहारिक रूप से सिखाना चाहता था/थी। इसीलिए उसने एक सब्जी विक्रेता को विद्यालय के बाहर से आमंत्रित किया। विक्रेता ने समझाया कि वह कैसे मौखिक रूप से तथा शीघ्रता से 1 कि.ग्रा., 1/2 किलोग्राम, 1.25 किलोग्राम तथा 575 ग्राम जैसे मूल्यों की भी गणना कर सकता है। वह उस दिन शिक्षक का शिक्षक बन गया तथा विद्यार्थियों ने दोनों, उत्साह पूर्वक तथा आसानी से सीखा।

12.6.1 शिक्षण प्रक्रिया में सामुदाय का सहयोग

निम्नलिखित विषय वस्तु को आरटीई अधिनियम 2009 में दी गई सिफारिशों से वर्गीकृत किया जा सकता है:

- नीतियों में परिवर्तन
- क्षमता निर्माण
- शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार
- संपर्क तथा नेटवर्किंग
- जवाबदेही तथा पारदर्शिता

आरटीआई अधिनियम 2009 के द्वारा नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया गया जैसे विभिन्न समितियों के गठन में स्थानीय निकायों के निर्वाचित सदस्यों के विशेष प्रावधान। इन समितियों को विद्यालय कार्यक्रमों की निगरानी तथा प्रबंधन के लिए एक वार्षिक विद्यालय विकास योजना (एसडीपी) बनानी होगी। यह योजना मुख्यतः केंद्रित है:

- विद्यालय जनसंख्या की पहुंच के अंदर होना चाहिए (प्राथमिक के लिए 1 किलोमीटर तथा माध्यमिक के लिए 3 किलोमीटर)
- समुदाय में 6 से 14 साल के सभी बच्चों को विद्यालय आना चाहिए।
- विद्यालय के पास पर्याप्त तथा उच्चतम अवसंरचना होनी चाहिए जिसमें कक्षा, लड़कियों के लिए अलग शौचालय मध्याह्न भोजन की तैयारी के लिए कक्ष इत्यादि।
- आरटीआई अधिनियम में दिए गए शिक्षक तथा विद्यार्थी का अनुपात निम्न तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 1:30 तथा 1:35 को पूरा करने के लिए पर्याप्त शिक्षक होना चाहिए।
- समितियां शिक्षकों को नियमित रूप से दिए जा रहे प्रशिक्षण का निरीक्षण करें ताकि उनका क्षमता निर्माण किया जा सके।
- समितियां विद्यालय कार्यक्रमों के लिए चंदा इकट्ठा कर सकती हैं तथा बजट को भी बना सकती हैं।
- मुख्यतः इन समितियों को एक दबाव समूह के रूप में उनका निरीक्षण करना है वह एक साधन संपन्न संस्था के रूप में सभी हित धारकों तथा विद्यालय घटकों के मध्य पुल के समान जुड़ने के लिए कार्य कर सकती है। विद्यालय छोड़ने के मामलों पर बहुत कुछ इन समितियों द्वारा कार्यवाही की जाती है क्योंकि वे ही केवल छोड़ने वालों के कारण और अवस्थिति के विषय में जान सकते हैं। मुख्य रूप से वे विद्यालय की

सहायता स्थानीय रूप से उठी समस्याओं के लिए स्थानीय समाधान प्रदान करने में कर सकते हैं।

विद्यालय एवं समुदाय के मध्य अंतःक्रिया

12.6.2 राज्यों द्वारा सामुदायिक सहभागिता के लिए उठाए गए कदम

लगभग हर राज्य ने सामुदायिक सहभागिता की महत्ता को स्वीकार किया है तथा उन्होंने कदम उठाए हैं, कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं-

आंध्र प्रदेश: बाल मित्र केंद्र को समुदाय द्वारा बालिका की शिक्षा में सहायता के लिए गठित किया गया है।

ગુજરાત: સખી, સહયોગિની તથા આંગનબાડી સમુદાય કો વિભિન્ન વિદ્યાલય કાર્યક્રમોં કે નિકટ લાતી હૈ।

मध्य प्रदेश: उत्कृष्ट शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए विद्यालय शिक्षापंजिका का अनुरक्षण किया जाता है।

अपनी प्रगति जाँचें 12.3

नोट : क) नीचे दिए गए खाली स्थान पर उत्तर लिखिए :

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से अपने उत्तर की तुलना कीजिए।

5. सामुदायिक सहभागिता विद्यालय विकास में कैसे परिवर्तन लाती है?

6. शिक्षण प्रक्रिया के लिए सामुदायिक सहभागिता के दो उदाहरण दीजिए।

12.7 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, विद्यालय और समुदाय को साथ लाने के संदर्भ में

शिक्षा प्रत्येक समाज में कुछ समय के पश्चात सामाजिक परिवर्तन लाती है। इस अपरिहार्य तथ्य को ध्यान में रखते हुए हमारे नीति निर्माता तथा शिक्षाविद विद्यालय शिक्षा में विशेष कानून तथा प्रावधानों आरटीआई अधिनियम 2009 के अंतर्गत विद्यालय तथा समुदाय को साथ लाकर सुधार लाए गये हैं। आरटीई अधिनियम शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में परिकल्पित करने के लिए एक कानून के रूप में आया, विशिष्ट प्रावधानों को भाग 21 जिसमें विद्यालय और समुदाय सहभागिता का विचार दिया गया है, के माध्यम से रूपरेखा तैयार की गई तथा लागू किया गया है। यह भाग समुदाय के विद्यालय तथा शिक्षा प्रक्रिया में औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार से सक्रिय सहभागिता के विषय में बात करता है। आरटीआई अधिनियम 2009 समुदाय तथा विद्यालय को विभिन्न समितियों के माध्यम से साथ लाता है जैसे अभिभावक शिक्षक संघ, विद्यालय प्रबंधन समितियां इत्यादि। लगभग सभी राज्यों ने प्रबंधन में सुधार के लिए ऐसी समितियां बनाई हैं।

12.7.1 शिक्षा का अधिकार अधिनियम तथा समुदाय

भारत में अंग्रेजी राज के दौरान शिक्षा को समाज के केवल एक सीमित भाग तक प्रतिबंधित रखा गया था तथा बहुत से कानून का निष्पादन, लोगों के लिए अनिवार्य शिक्षा की वकालत के बावजूद किसी अर्थ पूर्ण उन्नति को परिणाम के रूप में प्राप्त नहीं किया गया। आजादी प्राप्ति के बाद अनुच्छेद 45 को भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित किया गया जो निर्दिष्ट करता है कि राज्य संविधान के आरंभ से 10 वर्षों की अवधि के दौरान सभी बच्चों को जब तक वे 14 वर्ष की आयु पूरी ना कर ले मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। भारत प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनिकरण (यूईई) सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष करता रहा तथा पहला मुख्य दस्तावेज जो सरकार की प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अच्छा तथा दृढ़ संकल्प को प्रतिबिंబित करता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपीई 1968 के रूप में आया। आखिरकार भारतीय संविधान के 86 व संशोधन में शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त किया परंतु इसमें एक अनुवृद्धि थी कि इस अधिकार का लाभ उठाने के तरीके का निर्णय वर्तमान कानून के बाद आने वाले अनुवर्ती कानून द्वारा किया जाएगा। बच्चों की मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अप्रैल 2010 को अगस्त 2009 के महीने में भारतीय संसद द्वारा पारित कानून के परिणाम के रूप में कार्यान्वित किया गया, जो एक अनुवर्ती कानून है जैसा 86 वें संशोधन 2009 में वर्णित है। नियम और निर्देशों को केंद्रीय सरकार द्वारा आरटीआई अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन में राज्यों की सहायता के लिए निरूपित किया गया था।

प्रत्येक विद्यालय के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी का गठन आरटीई अधिनियम 2000 9 के भाग 21 में बनाए गए महत्वपूर्ण विन्यास में से एक है तथा भाग 22 के अंतर्गत विद्यालय विकास योजना एसडीपी के साथ कई महत्वपूर्ण कार्य उन्हें निर्दिष्ट किए गए हैं। इस समिति में अभिभावक शिक्षक स्थानीय प्राधिकारी तथा सिविल सोसायटी के प्रतिनिधि सामुदायिक सदस्य के रूप में शामिल हैं जो विस्तृत स्थानीय समुदाय का उपयोग करेंगे तथा उन्हें उनके स्थानीय विद्यालय की समग्र बेहतरी के लिए साथ लाएंगी। यह अधिनियम समुदाय की भूमिका विद्यालय तथा शिक्षा प्रक्रिया की योजना प्रबंधन तथा प्रशासन को समुदाय आधारित संस्थानों जैसे विद्यालय प्रबंधन समिति ग्राम पंचायत समिति या अभिभावक शिक्षक संघ इत्यादि के विभिन्न प्रकारों को स्थापित करके परिकल्पित करती है। संक्षेप में यह अधिनियम उनकी सफलता में उच्चतम हिस्सेदारी वाले लोगों के लिए विद्यालय के प्रबंधन को सोपता है और उन्हें प्रबंधित करने के लिए यह सबसे अच्छा है। एसएमसी के कुछ कार्यों में शामिल हैं—विद्यालय विकास योजना एसपीडीज की तैयारी, विद्यालय की निगरानी तथा विद्यालय अनुदान के उपयोग का का निरीक्षण करना। इसके अतिरिक्त, वे किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए संपर्क का प्रथम बिंदु भी है जो स्थानीय स्तर पर उभर सकती है। इस प्रकार की संरचना की विशेषता यह है कि यह राज्यों को कानूनी रूप से बातें करता है तथा सभी भारतीय राज्यों पर प्रावधान समान रूप से लागू करता है। यहां हम विद्यालय प्रबंधन समिति तथा विद्यालय विकास योजना पर चर्चा करने जा रहे हैं जहां समुदाय उत्कृष्ट शिक्षा विद्यालय विकास तथा शिक्षा प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

12.7.2 विद्यालय प्रबंधन समिति (एसएमसी)

विद्यालय प्रबंधन समिति आरटीआई अधिनियम 2009 में एक महत्वपूर्ण घटक है तथा आरटीई के लक्ष्यों के प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें शिक्षा के वर्तमान तंत्र जिसमें शिक्षक तथा अभिभावक शामिल हैं के नवीनीकरण करने की अविश्वसनीय

क्षमता है। एसएमसी द्वारा सकारात्मक क्रियाओं की निरंतरता गतिशीलता को बदलेगी तथा समाधान आकार लेने लगेंगे, पहले केंद्रीय स्तर पर तथा उसके बाद वृहत्तर व्यवस्थित स्तरों पर।

आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार, प्रत्येक विद्यालय में चाहे वह सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त तथा विशेष वर्ग विद्यालय हों, सभी में एक एसएमसी होगी। जबकि निजी विद्यालय पहले से ही उनके ट्रस्ट/सोसायटी पंजीयन के आधार पर इस प्रकार की समितियां बनाने के लिए अनिवार्यता हैं। ये भाग 21-A में समाविष्ट नहीं हैं।

12.7.2.1 विद्यालय प्रबंधन समिति की मूलभूत संरचना

आरटीई अधिनियम के अनुसार एसएमसी की प्रकृति विषम है। स्थानीय प्राधिकरण, महिलाओं संरक्षक विषय विशेष शिक्षक तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों के प्रतिनिधि एसएमसी के सदस्य होने चाहिए।

आरटीई अधिनियम के अनुसार एसएमसी का गठन निम्नलिखित है:

- एसएमसी का आकार स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं है परंतु यह एक प्रबंधनीय आकार होना चाहिए। राजस्थान राज्य नेव्याख्या की है, सदस्यों की संख्या 15 होनी चाहिए तथा इसके अनुसार महाराष्ट्र में यह संख्या 12 से 16 के बीच में है।
- 75% अर्थात् तीन चौथाई सदस्य उस विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों के अभिभावक संरक्षक होने चाहिए।
- 25% अर्थात् एक चौथाई सदस्य स्वयं विद्यालय से होने चाहिए, जो विषय विशेष शिक्षक, स्थानीय प्राधिकारी तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति हो सकते हैं।
- महिलाओं का 50% प्रतिनिधित्व अनिवार्य है।
- कमजोर वर्ग का प्रतिनिधित्व अनुपातिक होना चाहिए।
- दो सभाओं के मध्य अंतर 2 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए तथा न्यूनतम 6 सभायें एक शैक्षणिक वर्ष में होना अनिवार्य हैं।
- बैठक के कार्यवृत्तको उचित प्रकार से दर्ज करना चाहिए।

उदाहरण के रूप में, दिल्ली राज्य का एसएमसी गठन निम्नलिखित है:

तालिका 12.1 दिल्ली में एसएमसी गठन

	सदस्य			
1.	विद्यार्थी के अभिभावक या संरक्षक	सदस्य / उपाध्यक्ष	बारह (3 / 4 अथवा 75%)	
2.	विद्यालय मुख्य अध्यापक	सदस्य / पदेन अध्यक्ष	एक	एक 1 / 4 अथवा 25%
3.	स्थानीय प्राधिकारी	सदस्य	एक	
4.	विद्यालय के विषय विशेष शिक्षक	सदस्य / संयोजक	एक	
5.	शिक्षाविद / मोहल्ले के सामाजिक कार्यकर्ता	सदस्य	एक	

(स्रोत: एससीआरटी 2019)

गतिविधि 1

विद्यालयों में एसएमसी की संरचना के विषय में जैसे ऊपर चर्चा की गई है, आपके अपने वर्तमान राज्य के विद्यालयों में एसएमसी संरचना की समीक्षा कीजिए।

.....
.....
.....
.....
.....
.....

12.7.2.2 विद्यालय प्रबंधन समिति के मुख्य कार्य

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 द्वारा अनुशासितविद्यालय प्रबंधन समितियों के कुछ मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं :

- एसएमसी का मुख्य कार्य भाग 22 के अंतर्गत आरटीई अधिनियम निर्देशों/नियमों के अनुसार विद्यालय विकास योजना (एस.डी.पी.) तैयार करना है।
- विद्यालय के विकास के लिए इसके प्रबंधन में शामिल होना तथा निरीक्षण करना।
- एस.डी.पी. के निरीक्षण तथा कार्यान्वयन में सहायता करना।
- विद्यालय में वित्तीय शैक्षणिक तथा अन्य सह-शैक्षणिक गतिविधियों का निरीक्षण तथा निगरानी करना।
- सामाजिक लेखापरीक्षा के माध्यम से तंत्र में जवाबदेही तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
- ग्राम सभा के साथ उपलब्ध निधि के आवंटन वितरण तथा उपयोग के उचित लेखा रखना।
- शैक्षणिक आधारभूत आंकड़े बनाना तथा उनका अनुरक्षण करना।
- बच्चों की शैक्षणिक प्रगति में सहायता तथा निगरानी करना।
- विद्यालय तथा समाज के मध्य उपलब्ध सामुदायिक संसाधनों के साथ समायोजन।

12.7.3 विद्यालय विकास योजना

विद्यालय प्रबंधन समिति विद्यालय विकास योजना के विनिर्माण का आकार के लिए जिम्मेदार है। समिति सदस्यों की सरकारी अनुदान तथा निधि के उपयोग के साथ संपूर्ण विद्यालय परिवेश की निगरानी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। विद्यालय विकास योजना को वित्तीय वर्ष के अंत से कम से कम 3 महीने पहले तैयार कर लेना चाहिए। विद्यालय विकास योजना तैयार करने का मुख्य उद्देश्य विद्यालय के गुण तथा कमजोरियों को पहचानना तथा पुनरावलोकन करना है। इसमें निम्नलिखित विवरण शामिल होने चाहिए:

- प्रत्येक वर्ष के लिए कक्षा के अनुसार नामांकन का आकलन।

- विद्यार्थियों के अनुमानित नामांकन के अनुसार विषय तथा ग्रेड के अनुसार आवश्यक अतिरिक्त शिक्षकों की संख्या जिसमें अंशकालिक शिक्षक भी शामिल हो।
- अतिरिक्त अवसंरचना तथा उपकरणों का आकलन।
- अतिरिक्त वित्तीय सहायता।
- शिक्षकों तथा विद्यार्थियों के लिए आवश्यक अतिरिक्त सहायता तथा प्रशिक्षण।
- योजना कोएसएमसी के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।
- यह उचित प्राधिकारी को वित्तीय वर्ष के अंत से पहले जमा करा देनी चाहिए।

12.7.3.1 विद्यालय विकास योजना का निर्माण

विद्यालय विकास योजना के निर्माण के लिए सदस्यों की निम्नलिखित जिम्मेदारी होनी चाहिए :

- विद्यालय तथा समुदाय में उपलब्ध संसाधनों की पहचान करना।
- विद्यालय विकास योजना के घटकों को श्रेणीबद करना तथा परामर्शक प्रक्रिया के आधार पर अगले 2 वर्षों के लिए परिमाणित करने योग्य लक्ष्यों को व्यक्त करना।
- कक्षा, शौचालय, विद्यालय की सीमा फर्नीचर, प्राथमिक चिकित्सा पीने का पानी बाग के लिए सामग्री, शिक्षण तथा अधिगम सामग्री, विद्यालय की वर्दी, पाठ्य पुस्तक, पुस्तकालय की पुस्तकें, निशक्तजन बच्चों के लिए सहायता तथा उपकरण, मध्याह्न भोजन आवश्यकताएं इत्यादि को परिमाणित करना।
- विद्यार्थियों तथा शिक्षकों से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विषय में उनके और अधिक विकास के लिए पता लगाना।
- कभी भी नामांकित ना किए गए बच्चों विद्यालय छोड़ना तथा विद्यार्थी के अधिगम के स्तर के लिए समुदायसंघटन पर ध्यान देना।
- विद्यालय विकास योजना की निगरानी तथा पुनरावलोकन को अंतिम रूप देना।
- विकास योजना के कार्य तथा कार्यान्वयन को प्राथमिकता देना।

विद्यालय में एसएमसी को समुदाय के साथ एकीकृत किया जा रहा है तथा इससे पार्टी के अनुसार सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहन मिल रहा है परंतु पूर्ण एकीकरण अभी बहुत दूर है क्योंकि इसके लिए न केवल प्रावधानों की जानकारी बल्कि उनकी संकल्पना भी आवश्यक है। आरटीआई के भौतिक मानदंडों जैसे संरचना का विकास करना, निधि आवंटन, शिक्षकों तथा विद्यार्थियों की उपस्थिति, मध्याह्न भोजन, इत्यादि के कुशल कार्यान्वयन के लिए सदस्यों के उनके विषय में जागरूक होने की आवश्यकता है। तथापि इसके लिए ऐसे प्रावधानों के पीछे छुपी अवधारणा को समझने की शीघ्र आवश्यकता है।

बहुत बार यह देखा गया है कि एसएमसी के सदस्य, एसएमसी में उनकी भूमिका तथा किए जाने वाले कर्तव्यों के विषय में जागरूक नहीं होते। इस संबंध में विद्यालय तथा खंड संसाधन केंद्र तथा संघ संसाधन केंद्र दोनों की, सदस्यों को एसएमसी में सक्रियता से काम करने के लिए सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका है।

अपनी प्रगति जाँचें 12.4

टिप्पणी : क) नीचे दिए गए खाली स्थान पर उत्तर लिखिए :

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से अपने उत्तर की तुलना कीजिए।

7. विद्यालय प्रबंधन समिति के निर्माण पर आरटीआई अधिनियम के कुछ प्रावधानों को चिह्नित करें।
-
.....
.....

8. विद्यालय प्रबंधन समितियों के गठन पर संक्षिप्त में चर्चा करें।
-
.....
.....

12.8 सारांश

इकाई की पुनरावृत्ति निम्नलिखित है :

1. सामुदायिक तथा प्रतिवेश की सहभागिता संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया की योजना बनाने प्रशासन तथा निष्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है।
2. विद्यालय समाज का सूक्ष्म प्रकार है विख्यात शिक्षावद जॉन ड्यूर्झ का कथन स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विद्यालय एक अधिगम संगठन है जिसमें हम उसी प्रकार वृद्धि करते हैं जैसे हम समाज में वृद्धि करते हैं।
3. समुदाय विद्यालय विकास योजना बनाने शैक्षणिक उपलब्धियों के निरीक्षण तथा विद्यालयों के बजट आवंटन की निगरानी में सहायता करता है। आरटीई अधिनियम 2009 ने समुदाय तथा विद्यालय को एक मंच पर लाने का प्रयास किया है ताकि विद्यालय को स्थानीय रूप से उठी समस्याओं का समाधान स्थानीय प्रबंधन के माध्यम से करने का लाभ मिले।
4. विद्यालय तथा प्रतिवेश के मध्य संबंध समुदाय निर्माण में एक महत्वपूर्ण घटक है
5. अभिभावक वचनवज्ञना एक प्रक्रिया है जिसमें अभिभावक तथा शिक्षक उनके बच्चों के बेहतर अधिगम शैक्षणिक लक्ष्यों को पूरा करने तथा शैक्षणिक उपलब्धियों में सुधार करने की जिम्मेदारी साझा करते हैं।
6. अभिभावकों वचनवज्ञना में शिक्षक अभिभावकों को एक सहयोगी के रूप में विद्यालय बैठक या कार्यक्रमों में शामिल करते हैं।
7. अभिभावक की सहभागिता की प्रक्रिया में अभिभावक विद्यालय कार्यक्रम या गतिविधियों में भाग लेते हैं।
8. शिक्षक के पास शैक्षणिक लक्ष्यों को निर्धारित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी है तथा एक सलाहकार के रूप में ना कि एक सहयोगी के रूप में जो अभिभावकों को उनके बच्चों की शैक्षणिक सहायता के माध्यम से मार्गदर्शन करता है।

9. समुदाय का योगदान स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है जब विद्यालय अधिक नामांकन के लिए विद्यालय छोड़ने के मामलों का प्रबंध नहीं कर पाते। ऐसे मामलों में यह समितियां ऐसे विद्यार्थियों का उनके अपने मोहल्ले से पता लगाती हैं तथा विद्यालय स्टाफ से कहीं बेहतर उनको विद्यालय में लाने के लिए मनाती है।
10. समुदाय ना केवल शिक्षा प्रक्रिया की निगरानी, प्रशासन तथा प्रबंधन में शामिल होता है बल्कि वे शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए निर्धारिक अनुरक्षक, रक्षक तथा समन्वयक के रूप में मध्यान भोजन की तैयारी, विद्यालय अनुरक्षण कौशल निर्देश प्रदान करने तथा स्थानीय संस्कृति की जानकारी इत्यादि में भी शामिल होता है।
11. प्रत्येक विद्यालयके लिए विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी का निर्माण भाग 21 (क) के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में बनाई गई महत्वपूर्ण अनुशंसा में से एक है तथा जिसमें विद्यालय विकास योजना (एस डी पी) तथा कई अन्य जिम्मेदारियां भी हैं।
12. एसएमसी में विद्यार्थियों के अभिभावकों के 75% भाग में 50% महिलाएं होनी चाहिए। शेष 25% यथा एक चौथाई सदस्य विद्यालय के शिक्षक स्थानीय प्राधिकारी के सदस्य तथा विद्यार्थी होने चाहिए।

12.9 संदर्भ ग्रंथ एवं उपयोगी पठन सामग्री

एप्पल, माइकल डब्लू. एवं बीन, जेम्स (2006). 'डेमोक्रेटिक स्कूल्स: लेशंस फ्रॉम चॉकफेस', एकलव्य पब्लिकेशन. पृ. सं. 245—246.

बॉल, एस.जे.(1987). 'माइक्रो पॉलिटिक्स ऑफ द स्कूल: टू—वर्ड्स ए थ्योरी ऑफ स्कूल ऑर्गनाइजेशन', मैथ्यूएन: लंदन एंड न्यूयॉर्क

भारत सरकार (2009).राइट ऑफ चिल्ड्रन टो, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन (आरटीई) अधिनियम 2009 मा. सं. वि. म., नई दिल्ली

भारत सरकार (2011)'सर्व शिक्षा अभियान: फ्रेमवर्क फॉर इंप्लीमेंटेशन बेर्स्ड ऑन द आरटीई एक्ट 2009' मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, विद्यालय शिक्षा एवं (लिटरेसी) विभाग

एससीईआरटी (2013)'स्कूल मैनेजमेंट कमिटी: ट्रेनिंग मैन्युअल 2013—14' न्म विभाग प्रकाशित नई दिल्ली, एससीईआरटी

एससीईआरटी (2019). ' हैंड आउट ऑन राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019 एंड मॉडल रूल्स अंडर द राइट टू चिल्ड्रन', नई दिल्ली

वेबसाइट

https://www-education-nh-gov/instruction/school_health/health_coord_family-html से 27 जुलाई 2019 को लिया

http://mhrd-gov-in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/SMC%20Constitution%20Delhi-pdf 27 जुलाई 2019 को लिया गया।

^Community Participation] Community Development and Non&formal Education*-Infed encyclopaedia-<http://infed-org/mobi/community&participation&community&development&and&non&formal&education/> पर उपलब्ध

12.10 प्रगति की जांच हेतु उत्तर

1. समुदाय एक प्रकार का सांस्कृतिक परिवेश है जहां लोग कुछ सामान्य विचारधारा मूल्यों तथा मैत्री के साथ रहते हैं।
2. प्रतिवेश विद्यालय का एक महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि विद्यालय और प्रतिवेश दोनों एक दूसरे के विकास के लिए जिम्मेदार हैं। प्रतिवेश सभी प्रकार की सहायता विद्यालयों के विकास के लिए प्रदान करता है।
3. अभिभावक, विद्यालय तंत्र में महत्वपूर्ण धारक हैं। अभिभावक विद्यालय के प्रत्येक विकास में भाग लेते हैं तथा विद्यालय तंत्र के साथ बेहतर अभिभावक की अंतःक्रिया विद्यालय में सहायक वातावरण बनाता है तथा यह उनके बच्चे की शिक्षा में सीधे रूप से सहायता करता है।
4. अभिभावक नियुक्ति— इसमें अभिभावक तथा शिक्षक दोनों उनके बच्चों के सीखने में सहायता तथा शैक्षणिक लक्षणों तथा उपलब्धियों को पूरा करने की जिम्मेदारी को साझा करते हैं। ऐसा होता है जब शिक्षक अभिभावकों को विद्यालय बैठक में कार्यक्रमों में शामिल करते हैं तथा अभिभावक स्वेच्छा से उनकी सहायता कर तथा विद्यालय में प्रदान करते हैं। इसमें शिक्षक एक सहयोगी की भूमिका अभिभावकों को उनके बच्चों के अधिगम में शैक्षणिक सहायता प्रदान करके निभाता है।

अभिभावक सहभागिता— जहां अभिभावक सहभागिता में अभिभावक विद्यालय कार्यक्रम में या गतिविधियों में भाग लेते हैं तथा शिक्षक अधिगम संसाधनों या उनके विद्यार्थी के ग्रेड के विषय में जानकारी प्रदान करता है। इसमें शिक्षक की मुख्य उपस्थिति तथा प्राथमिक जिम्मेदारी शैक्षिक लक्ष्यों को निर्धारित करने की होती है शिक्षक एक सलाहकार के रूप में कार्य करता है, न की एक सहयोगी के रूप में, जो अभिभावकों का उनके बच्चे के लिए शैक्षणिक सहायता के माध्यम से मार्गदर्शन करता है।

5. बिना समुदाय विद्यालय का कोई अस्तित्व नहीं है। इसीलिए विद्यालय को समाज का सूक्ष्म रूप कहा जाता है। समुदाय, विद्यालयों को विद्यालय संरचना तथा मानव संसाधन, व्यक्ति, शैक्षणिक तथा विद्यालय की अन्य गतिविधियों के अनुसार विकसित करने में सहायता करता है।
6. विद्यालय का क्षमता निर्माण तथा विद्यालयों में उत्कृष्ट सुविधाएं प्रदान करना।
7. प्रत्येक विद्यालय के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी का गठन भाग 21 (क) अंतर्गत शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में दी गई महत्वपूर्ण अनुसंशा में से एक है तथा एसएमसी का उत्तरदायित्व विद्यालय विकास योजना बनाना तथा इसके कार्यान्वयन की निगरानी करना है।
8. एसएमसी के 75% में विद्यार्थियों के अभिभावक शामिल हैं, जिनमें 50% महिलाएं होनी चाहिए शेष 25% यथा एक चौथाई सदस्य विद्यालय के शिक्षक स्थानीय प्राधिकारी के सदस्य तथा विद्यार्थियों में से होने चाहिए।